राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1]   सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 30वां दिवस   [संख्या 14

शनिवार

दिनांक 2 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :--

(1) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिकराय क्षेत्र में मानपुर-सिकराय सड़क को ऊंचा करने के कारण छोई नामक नदी के पानी का बहाव अवरुद्ध होने की घटना के विषय में।

(2) सर्व श्री घनश्याम तिवाड़ी व जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के विभिन्न स्थानों जैसे खैरथल व फतेहपुर तहसील के गांवों में उल्टी एवं दस्त की बीमारी से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के विषय में।

ये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास जानकारी प्राप्त करने हेतु भेजे जा रहे हैं एवं जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र में नहरों को आगे बढ़ाने के सुझाव के विषय में।

(4) श्री समरथलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हायर सैकण्डरी स्कूल, राजगढ़ (अलवर) की इमारत जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण उसके गिरने की आशंका के विषय में।

(5) सर्वश्री नन्दलाल मीणा व बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गांव मारगिया के कुछ किसानों की जमीन डूब में आ जाने के विषय में।

(6) सर्व श्री बालचन्द आर्यवीर व अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 26 जुलाई को धरासर गांव में एक हरिजन महिला से किये गये बलात्कार की घटना के विषय में।

(7) श्री रामरघुनाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 10 मई को थाना पुलिस मेड़ता रोड में अर्जुनदास पुत्र भूरादास के अपहरण तथा कत्ल की घटना के विषय में।

यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इनको आवश्यक कार्यवाही हेतु सरकार के पास भेजा जा रहा है।

(2)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले एक निवेदन करना है। मैंने कल निवेदन किया था कि सीकर में जो बाढ़ आई है और वहां जो स्थिति है उस पर चार दिन पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, समाचार पत्रों में भी लगातार आ रहा है। उस स्थगन प्रस्ताव को राज्य सरकार को जानकारी हेतु भेजने के पश्चात् भी सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है और न कोई सहायता ही देने की घोषणा की है। मैंने सरकार से निवेदन किया था कि कल सरकार इस विषय में वक्तव्य दे। अगर सरकार वक्तव्य नहीं देती है तो आज सुबह से मैंने अन्न छोड़ दिया है और मैं यहीं अनशन पर बैठ रहा हूं। सरकार वक्तव्य दे देती है, तब तो ठीक है।

दूसरा मेरा प्रस्ताव खैरथल व फतेहपुर तहसील के गांवों में उल्टी एवं दस्त की बीमारी से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के विषय में था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप परम्परा को तोड़ रहे हैं। इसको मैंने जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार को भेजने के लिए कहा है। जानकारी आने के बाद निर्णय लिया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर संक्रामक रोग फैल गया है। डाक्टर लोग कह रहे हैं कि हैजा नहीं है, फिर ऐसी कौनसी जानकारी लेने की बात है–

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जानकारी आने दीजिये। श्री हीरालाल जी आर्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने कहा था कि रूलिंग देंगे। सरकार से जानकारी आने के बाद इसका सरकार द्वारा उत्तर देने के लिये...

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में इस पर विचार कर लेंगे। 24 घण्टे हो गये हैं और जानकारी नहीं आई है तो उस पर निर्णय दिया जायगा। स्टेटमेंट दिलाने की बात मैंने अभी कही इसलिये अभी आप इस प्रश्न को नहीं उठावें।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ऐसा कदम नहीं उठावें। घण्टे दो घण्टे में चेम्बर में मिलकर बात हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सूचना आ जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वैसे, अध्यक्ष महोदय, चार दिन हो गये हैं, 96 घण्टे हो चुके हैं। सोमवार को दिया था–

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, सीकर की बड़ी बुरी हालत है। आधे सीकर में पानी भरा हुआ है। सीकर जिले की कुछ तहसीलों में यह बीमारी फैली हुई है। यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सरकार को फौरन कदम उठाना चाहिए। अगर फौरी कदम नहीं उठाया गया तो सैंकड़ों जानें चली जायेंगी, लोगों की माली हालत खराब हो जायगी। इसलिए माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है वह बहुत मौजूं है और ऐसा है जिस पर पूरा गौर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस पर चेम्बर में विचार विमर्श कर लेंगे। उसके बाद उचित कार्यवाही करेंगे माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था भारत इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड केमिकल्स के सम्बन्ध में, 24 घण्टे हो गये।

श्री अध्यक्ष : उस पर वक्तव्य दिलाया जा रहा है, माननीय सदस्य, सरकार से।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, अमेरिकी वैज्ञानिकों के विषय में।

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी मांगी है, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : दो तीन दिन में तो सारे लंगूर···

श्री अध्यक्ष : दो तीन दिन में सब लंगूरों के बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है।

श्री त्रिलोक सिंह : मैंने कातरे के बारे में स्थगन प्रस्ताव 25 तारीख को रखा था। अभी तक कुछ भी जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : उसमें तिथि शायद मुकर्रर कर दी है, माननीय सदस्य, स्टेटमेंट दिलाया जायगा।

श्री त्रिलोक सिंह : 10 दिन में तो फसल चौपट हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : उस पर स्टेटमेंट दिलाया जायगा, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, अभी देश में भयंकर अकाल चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : पीपल्दा क्षेत्र में नहरों को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में।

श्री हीरालाल आर्य : मैं उसी पर बोल रहा हूँ।

राजस्थान में अक्सर अकाल की स्थिति रहती है। कभी पानी की कमी के कारण सूखा पड़ता है और कभी पानी की अधिकता के कारण अकाल पड़ता है। सूखे एवं अकाल की स्थिति से निपटने के लिए और किसानों के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की जा सके इसके लिए सरकार कई छोटे एवं बड़े बांध बांधती है। अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा एक सिंचित क्षेत्र है। सिंचित क्षेत्र होते हुए भी मेरे क्षेत्र में कई स्थान हैं जो सिंचित नहीं हैं। कारण यह है कि वहां पर नहरें नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में कई नहरें ऐसी हैं अगर उनका विकास हो जाय आगे बढ़ा दी जाय तो किसानों के खेतों में सिंचाई हो सकती है। उनमें सिंचाई नहीं होने की वजह से किसानों की खेती हर साल सूख जाती है। हर साल हजारों बीघा फसल किसानों की सूख जाती है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। मेरा क्षेत्र एक गरीब क्षेत्र है, सूखे की वजह से जब किसानों की फसलें सूख जाती हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि सरकार खेतों की

(श्री हीरालाल आर्य)
सिंचाई करने के लिए नये बांध बांधते है किन्तु मेरे क्षेत्र में तो नहरें हैं उनको आगे बढ़ाने मात्र से वहां पर सिंचाई हो सकती है तो उसके लिये प्रयत्न किया जाना चाहिए। मैंने इसके लिए कई बार निवेदन किया। मैंने, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में प्रश्न उठाया तो सरकार से यह उत्तर मिला है कि तकनीकी दृष्टि से इन नहरों को बढ़ाया जाना उचित नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह नहरें ऐसी है, जिनमें खास तौर से लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी, गेंटा डिस्ट्रीब्यूटरी, कजलिया माइनर, बमूलियां कलां, खेड़ा बिनायका, नोबेरा लिफ्ट आदि को यदि आगे बढ़ा दिया जायें तो खेती में फ्लो द्वारा सिंचाई हो सकती है, बहुत आसानी से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। यहां के इन्जीनियर वहां जाते नहीं हैं, सर्वे कराते नहीं है, नहरों को देखते नहीं हैं और बिना देखे यहां उत्तर भेज देते हैं कि तकनीकी दृष्टि से इन्हें बढ़ाना सम्भव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद जाकर देखा है, वहां भूमि समतल है और इतनी अच्छी समतल है कि वहां आसानी से नहरें पहुंचायी जा सकती हैं। अगर वहां नहरें पहुंच जायं तो खेतों की सिंचाई हो सकती है।

मैं आपके मार्फत सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं आपके अधिकारी जो गलत रिपोर्टिंग करते हैं, वह गलत कहते हैं। तकनीकी दृष्टि से नहरों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता या आगे बढ़ाया जाना उपयुक्त नहीं है, वह गलत है। अपने अधिकारियों को आप वार्निंग दें। जब देश में अकाल की स्थिति हो, नहरें होते हुए भी खेत सूखे रहें और फसल सूख जाय, यह आश्चर्य की बात हैं। उन अधिकारियों से कहें कि यदि वहां पर नहरों के द्वारा सिंचाई हो सकती है तो नहरों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वहां के जो गरीब किसान हैं, उनके खेतों में पानी पहुंच जाय तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है।

मैं फिर माननीय सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान देकर इन नहरों को आगे बढ़ाये जाने के आदेश प्रदान करने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष : श्री समरथलाल। हायर सैकण्डरी स्कूल राजगढ़ की इमारत के संबंध में।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल की इमारत करीब दो सौ वर्षों से भी पुरानी बनी हुई है। राजगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल अलवर जिले का सबसे पुराना हायर सैकण्डरी स्कूल है। उसके हिसाब से जो इमारत है, वह बहुत पुरानी है। उस इमारत के अन्दर आज से 10–15 वर्ष पहले केवल एक मंजिल थी, लेकिन अब दो मंजिली बिल्डिंग बन चुकी है। वह पहाड़ी पर टिकी हुई है। उसका आगे का जो हिस्सा है वह मार्केट से, सड़क से जुड़ा हुआ है। पीछे से इस स्कूल की इमारत से होकर के, अध्यक्ष महोदय, पानी इस समय आ रहा है और इसकी जड़ों के अन्दर से हो कर के पानी आ रहा है तो शहर की जो सड़क है उसकी तरफ निकल रहा है। इसलिए उस इमारत के गिरने की पूरी पूरी सम्भावना नजर आती है। इस सम्बन्ध

(श्री समरथ लाल)

में जिलाधीश, अलवर को भी निवेदन किया गया। जिलाधीश, अलवर ने एक्स.ई.एन. पी. डब्ल्यू. डी. को लिखा। एक्स.ई.एन. पी. डब्ल्यू. डी. ने जानकारी करके जिलाधीश को यह रिपोर्ट दी है कि उस इमारत के अन्दर स्कूल चलाना कतई उचित नहीं है। क्योंकि वह इमारत कभी भी गिर सकती है।

अध्यक्ष महोदय, उस स्कूल के अन्दर और उस बिल्डिंग के अन्दर करीब 1700 छात्र पढ़ते हैं, 100 अध्यापक हैं। 10 बजे स्कूल शुरू होता है। 10 से 5 बजे के बीच में अगर इमारत, मान लीजिये, गिर जाती है तो मैं समझता हूं कि राजगढ़ के लिए एक बहुत बुरी बात होगी, बहुत बड़ी घटना होगी। इसलिए राज्य सरकार से मेरा कहना है इस सन्दर्भ में कि उस इमारत में जो स्कूल चल रहा है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाये। दूसरी जगह एक इमारत है, वह पुलिस स्टेशन की इमारत है। उस पुलिस स्टेशन की इमारत के अन्दर उस स्कूल को अविलम्ब शिफ्ट किया जाये और पुलिस स्टेशन को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाय। जो हाई स्कूल का दूसरा हिस्सा है, उसमें पर्याप्त जगह है, उसमें पुलिस स्टेशन को शिफ्ट किया जाये।

मैं समझता हूं कि यह कार्यवाही जल्द से जल्द की जानी चाहिए। वरना जो पानी बरसात का है वह उसकी जड़ों के अन्दर से होकर के निकल रहा है, उससे वहां के छात्र और जितने अध्यापक हैं वह भयभीत हैं। बार-बार उनके राज्य सरकार और जिलाधीश को टेलीग्राम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मेरा यह कहना है शिक्षा मंत्रीजी से कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री बंसीलाल पटवा।

(अनुपस्थित)

श्री बालचन्द्र आर्य। गत 26 जुलाई को थोरासर गांव में एक हरिजन महिला से किये गये बलात्कार की घटना के विषय में।

श्री बालचन्द आर्य (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के एक हरिजन मुख्य मंत्री होने के नाते अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब इस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव रखे जाते हैं और हरिजनों की बात आती है तो मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वह राजस्थान के बाहर बहुत जल्दी जाने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो विधवा महिला के साथ बलात्कार हुआ था बंगाड़ा और भीसमोली में, उसके सन्दर्भ में मैंने पहले भी अवगत कराया था। इस प्रकार से लगातार आज राजस्थान में हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं लेकिन इस अन्धी सरकार की अभी तक आंख नहीं खुली है। यह सरकार हरिजनों की भलाई करने वाली सरकार है जबकि आज भी हरिजन महिलाओं के साथ, हरिजनों के साथ इस प्रकार के अत्याचार हो

(श्री बालचन्द आर्य)
रहे हैं ? जो एक साप्ताहिक पत्र निकलता है, उसमें 28-7-80 को छपा है : उसमें जो छपा है उसको पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं :—

"दिनांक 27 जुलाई को सरदार शहर के पास घोरासर गांव का रोही में एक 20 वर्षीय हरिजन औरत के साथ एक सवर्ण युवक भंवर राम जाट द्वारा बलात्कार किये जाने का समाचार मिला है।" यह जो बलात्कार किया है···

एक माननीय सदस्य : यह सब आपके आदमी हैं।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्य : आपकी सरकार ने अब तक क्या किया है ?···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर!

श्री बालचन्द आर्य : कांग्रेस का है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन महिला तो आपकी वोटर हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर !

श्री बालचन्द आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, "पुलिस थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार युवती को अकेला देख कर युवक ने उसे दबोच लिया। युवती के शोरगुल की परवाह न करते हुए उसके साथ कुकर्म किया। गांव का भूरा राम चमार के मौके पर पहुंचने से वह बलात्कारी भाग गया। अभी तक बलात्कारी को पकड़ा नहीं गया और सरकार का पुलिस विभाग मुक्त सो रहा है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस अन्धी-बहरी सरकार को अभी तक मालूम नहीं है। यह तो हरिजन का भला और बड़ा हित करने वाली सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जो राजस्थान के अन्दर केस हुए उनकी जांच करा कर गरीबों का हित करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार !

श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर सरकार को सत्तारूढ़ हुए करीब डेढ़-दो महीने हो चुके हैं। इस समय के अन्दर एक-दो केस बलात्कार के हो चुके हैं। उनमें अधिकांश केसेज हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार के हुए हैं। पूर्व में भी सदन में इस बारे में कई बार स्थगन प्रस्ताव लाये गये लेकिन आज तक सरकार की तरफ से न तो इस प्रकार का आश्वासन दिया गया है और न सरकार से इस प्रकार का वक्तव्य आया है कि सरकार बलात्कार को रोकने के लिए प्रयत्नशील है, हरिजन महिलाओं के शील के बचाव के लिए कुछ कर रही है।

यह जो सरदारपुरा शहर के पास बलात्कार हुआ है यह बलात्कार भी एक हरिजन महिला के साथ हुआ है। सवाल इस बलात्कार का नहीं है, श्रीमान, आज लगातार बलात्कार की घटनायें होती जा रही हैं। बलात्कार की घटना होने के बावजूद प्रशासन और पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं

(श्री अनंग कुमार जैन)

की जा रही है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार के प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। ये बलात्कार की घटनायें क्यों रिपीट होती जा रही हैं? इसका एकमात्र कारण यह है कि सरकार इस पर मौन साधे बैठी हुई है। कई बड़े मामले ऐसे हमारे सामने आये कि पुलिस कर्मियों के द्वारा बलात्कार किये गये। उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

झालावाड़ जिले के अन्दर पुलिस कर्मियों के 3 केसेज हुए। तीनों में पुलिस कर्मियों ने बलात्कार के केस किये। एक ए. एस. आई. है, उसने एक महिला के साथ बलात्कार किया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन उसका आज तक कोई चालान पेश नहीं हुआ। उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। दूसरे एक हैड कान्सटेबल के द्वारा एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुलिस कर्मियों द्वारा ही बलात्कार किया जाये तो सरकार को कम से कम सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। बलात्कार के संबंध में यहां प्रश्न लगाया जाता है तो उत्तर आता है कि अनुसंधान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों में तीन तीन महीने तक अनुसंधान होता रहे, मुलजिम डी. एस. पी. के ऑफिस में बैठा रहे और रोजाना हाजरी दे इसके बावजूद उसके खिलाफ चालान पेश नहीं किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है?

अध्यक्ष महोदय, इससे ऐसा लगता है, जैसे बजट में एक लाइन कही गयी है कि सरकार ने नीतियों को नया मोड़ दिया है। नया मोड़ यह दिया है कि सरकार ने बलात्कार करवाने की नीति तय कर ली है। बलात्कार के बारे में सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। बलात्कार के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जनता अपनी असुरक्षा महसूस करती है, महिला वर्ग अपनी असुरक्षा महसूस करता है। पूर्व में भी हमने कई बार निवेदन किया कि यह अहम मामला है। पूरे महिला समाज से संबंधित मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार गम्भीरता से काम ले। इस तरह के जुर्म होते हैं उनको रोका जाये और जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। जो पुलिस कर्मियों के द्वारा बलात्कार किये जा रहे हैं तो उनके खिलाफ तो कम से कम तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। जो मामले पुलिस में दर्ज होते हैं उनमें से कई मामलों में पुलिस 24 घंटों में मुलजिम को पकड़ कर अदालत में पेश कर देती है तो क्या कारण है कि पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार के मामलों में तीन तीन महीने तक चालान नहीं किये जाते? इस पर पूर्व में भी सदन में चर्चा हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इसको प्रश्नों के माध्यम से भी उठाया गया है, सरकार के नोटिस में यह बात अच्छी तरह से है कि पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार किये जा रहे हैं। क्या कारण है कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में तुरन्त कार्यवाही की जाये ताकि आम

(श्री अनंग कुमार जैन)

जनमानस के अन्दर यह भावना पैदा हो कि सरकार इन मामलों को रोकने के लिए प्रयत्नशील है और सरकार बलात्कारी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है। लेकिन लगता है कि सरकार ने अपनी नीति तय करली है कि बलात्कार करवाये जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 दिनों से यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि यदि बलात्कार और अपहरण के मामले कोई दर्ज करवाने जाता है तो दर्ज नहीं किये जाते हैं। हो सकता है कि मंत्री महोदय ने ऐसे गुप्त आदेश प्रसारित करवाये हों कि ऐसे मामले दर्ज नहीं किये जायें। जब इस तरह के मामले दर्ज नहीं किये जायेंगे तो निश्चित रूप से आंकड़ों में कमी आयेगी। लेकिन आंकड़ों से जुर्म के अन्दर कमी नहीं आयेगी, जुर्म निरन्तर बढ़ते ही जायेंगे और जो ऐसे लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के अन्दर सालोदिया ग्राम के अन्दर बद्री नारायण नामक आदमी की बहू को भगा कर ले जाया गया···

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं तो इसी विषय पर कह रहा हूं। उसके साथ बलात्कार किया गया उसकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराने गये लेकिन उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी···

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव में जिस घटना का उल्लेख किया है उसी तक सीमित रहें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे केसेज के अन्दर सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। जो डी. आई. जी हैं एस. पी. वगैरह उनके आदेश प्रसारित किये जाने चाहिए कि ऐसे मुकदमों के संबंध में कठोरता बरती जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियमित रूप से सदन में रोज एक बलात्कार का मामला आ रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला रोज आता है, दुर्भाग्य यह है कि रोज आता है, गृह मंत्री महोदय बलात्कार की घटनाओं के ऊपर अपना वक्तव्य दें जब अगली बार सदन मिले।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार चुप्पी साधे बैठी रहे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय गृह मंत्री जी, अगली बार जब सदन मिले कल के बाद तो इसके ऊपर निश्चित रूप से वक्तव्य दें। आप ऐसे निर्देश मुख्य मंत्री जी को या गृह मंत्री जी, जो कि एक साथ दोनों विभाग संभाले हुए हैं, को दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी!

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक मिनट का समय लेना चाहती हूं।

यह बड़ा अहम प्रश्न यहां उठाया गया है। यहां की खबरें बाहर तक जाती हैं, इस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बारे में चिंता व्यक्त की गयी है। यह निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। सदन का माहौल उस चिंतित अवस्था के माफिक होना चाहिए। सरकार का अपनी जिम्मेदारी से मुकरना, मैं समझती हूं, बड़ा गलत होगा। सरकार को, मैं आप से आग्रह करूंगी, आप आग्रह करें कि इस सारे काम का नियंत्रण करे और शीघ्र करे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी। गत 10 मई को थाना पुलिस मेड़ता रोड में अर्जुनदास पुत्र भूरादास के अपहरण तथा कत्ल की घटना के विषय में।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की राजस्थान में कई घटनायें घट रही हैं उसके साथ में एक कड़ी और जुड़ गयी। दिनांक 10-5-80 को सायंकाल अर्जुनदास पुत्र भूरादास कामठ, जो कि अनुसूचित जाति का एक गरीब व्यक्ति है, सायंकाल अपने नित्य कार्यक्रम से निवृत्त होने के लिए गया था। वहां से पुलिस थाना मेड़ता रोड के भूतपूर्व जागीरदार हनुमानसिंह पुत्र माधोसिंह ने उसका अपहरण कर लिया और उसको ले जाकर कहीं छिपा दिया। लेकिन चूंकि...

श्री अध्यक्ष : कृपया किसी व्यक्ति का नाम सदन में न लें। मानहानिकारक और अपमानजनक मामलों में किसी का नाम लिया जाये तो पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व सूचना दी है उसमें मैंने नाम आपको लिख कर प्रस्तुत किये हैं इसलिए नाम ले रहा हूं। जो नाम लिख कर प्रस्तुत किये हैं उनके अलावा किसी का नाम नहीं लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस को और कलेक्टर को बहुत दिन ढूंढ़ने के बाद एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि इस तरह से मेरे भाई का अपहरण किया गया है। यह फलां व्यक्ति हो सकते हैं। उसमें उसने यह कारण लिखा है कि मेरे परिवार की महिला मेरे गांव में सार्वजनिक नल पर पानी भरने के लिए गयी थी तो हनुमानसिंह ने उससे छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ के बाद काफी हो-हल्ला हुआ। उसके बाद हनुमानसिंह वहां से भाग गया। कुछ दिनों के बाद अर्जुनदास को हनुमानसिंह बोटल थाने में जो भी इन्चार्ज था उसके अन्तर्गत मिला तो उसने कहा कि यह अच्छा काम नहीं किया। इस तरह से महिला के साथ छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है। तो हनुमानसिंह ने इस डर के मारे कि कहीं यह रिपोर्ट दर्ज न करा दे उसके साथ मारपीट की, मारपीट करने के बाद अर्जुनदास पुलिस थाने गया। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी और जिलाधीश को भी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिलाधीश ने बोटल थाने में उस रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा। वह जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि हनुमानसिंह फिर अर्जुनदास के पास पहुंचा और उसे धमकाया। जब वह धमकाने से नहीं माना तो उसके साथ मार-पीट की। जबरदस्त उस पर जोर डाला गया, क्योंकि उसने रिपोर्ट की थी इसलिए वह राजीनामा करे। राजीनामा तो नहीं हुआ लेकिन उसको डर है कि कहीं और पुनः मुकदमा दर्ज नहीं करा दे इसलिए वह इस फिराक में रहा कि अर्जुनदास को गायब कर

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

दिया जाये या और कुछ किया जाये। 10-5-80 को अर्जुनदास जब सायंकाल निवृत्त होने गया उसके बाद वापस लौट कर घर नहीं आया। जब लोगों ने छानबीन की तो जानकारी मिली कि वह अन्तिम बार गया था तो उसके पीछे-पीछे हनुमानसिंह और दीपसिंह को जाते देखा था। इस आशय की रिपोर्ट एक जिलाधीश को और एडीशनल एस.पी. को की लेकिन एडीशनल एस.पी. ने जांच नहीं की। फिर मेड़ता के एडीशनल एस. पी. के पास गये तो हनुमानसिंह को थाने में बुलाया और पूछताछ की तो मारपीट के भय से हां भरी कि मैंने कत्ल तो कर दिया है लेकिन मैं आपको बता दूंगा वह थाने से खिसक गया। उसको पुनः पकड़ने की कोई कार्यवाही नहीं की तब तंग आकर अर्जुनदास के परिवार के लोग जिलाधीश से पुनः 17-7-80 को मिले। उसके बाद से आज तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही उस आदमी के खिलाफ नहीं की गयी है। पुलिस के पास मुकदमा दर्ज किया हुआ है। आज भी पुलिस न जाने किस प्रेसर से दबी हुई है या क्यों नहीं कार्यवाही कर रही है। इसलिए मैं यह स्थगन प्रस्ताव के द्वारा आपके ध्यान में लाना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, अगर जान और माल की हिफाजत करने में सरकार असमर्थ रही और इस तरह की हत्या और अपहरण बढ़ते गये, जैसा कि अभी और माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मेरे ख्याल से इस सरकार से लोगों की आस्था उठ जायेगी। इसलिए मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह निवेदन है कि वह पुलिस को तुरन्त आदेश प्रसारित करें कि जिनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज हैं उन मुलजिमों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही तुरन्त करें। जिसका कत्ल किया गया उसकी लाश तुरन्त बरामद करायी जाये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर जिले की तहसील चौहटन शिव व बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में भीलों व मेघवालों की जमीन से बेदखली व शरणार्थियों को जमीन का आवंटन

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री राम रघुनाथ चौधरी, श्री परसराम मदेरणा श्री अमीन खां, सदस्य विधान सभा बाड़मेर जिले की तहसील चौहटन शिव व बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में भीलों व मेघवालों को जमीन से बेदखल कर शरणार्थियों को देने से उत्पन्न स्थिति की ओर पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले का गांव सोमराड़ तहसील चौहटन में आता है वहां पर जमीन पर काबिज लोगों, जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और भील जाति के हैं, से पुलिस जबरन कब्जे छुड़ाने की कार्यवाही कर रही है। वह उनके साथ मारपीट कर रही है। उन लोगों का एक डेपुटेशन आया और मुख्य मंत्रीजी से मिला था। मैं भी उन लोगों से मिला। मैंने सम्पूर्ण मामला और मौके पर हालात देखे। निवेदन यह है कि यह भील लोग वहां पर, अध्यक्ष महोदय, सन् 1975 से काबिज हैं। उनके साथ मारपीट की जा रही है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, उनको वहां से हटाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महो-

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

दय, जब मुख्य मंत्रीजी से वह लोग मिले तो मुख्यमंत्रीजी ने यह आदेश दिया कि जिन लोगों का अभी कब्जा है, फिलहाल ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि उन काबिजों को तंग न किया जाये और उन्हें अन्य निर्णय नहीं हो तब तक हटाया न जाये।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि बाड़मेर जिले के भूमिहीन काश्तकार 5000 चौहटन में थे, 1500 भूमिहीन काश्तकार शिव में थे और 1500 भूमिहीन काश्तकार बाड़मेर में थे। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के कब्जे सन् 1975 की एक जुलाई के पूर्व के थे उनका राजस्थान सरकार ने 1977 में नियमन कर दिया। इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में चौहटन में 1500 भूमिहीन काश्तकारों का व शिव में 800 भूमिहीन काश्तकारों का व 700 बाड़मेर में भूमिहीन काश्तकारों का नियमन किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार द्वारा जो अभियान सन् 77 में अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में चलाया गया था उस दौरान एक नियमन कमेटी बनी थी उसके द्वारा नियमन किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, नियमन का कार्य वहां के उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया था। इसके बाद में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 1973 में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत 8 जिले गये थे उनके अन्दर आवंटन राज्य सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया था। जिलाधीशों से यह सूचना मांगी गई थी कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां वन व चरागाह बनाये जा सकते हैं एवं उसके बाद में कितनी भूमि इस हेतु उपलब्ध हो सकती है। जब आवंटन बन्द हो गया, अध्यक्ष महोदय, सन् 1975 में चूरू जिलाधीश ने राज्य सरकार से एक स्पष्टीकरण मांगा कि क्या इस आदेश के अन्तर्गत सीलिंग से अधिकृत भूमि के आवंटन एवं नियमन के कार्य भी बन्द हैं। जिस पर राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि इन कार्यों हेतु पाबन्दी नहीं है। इस स्पष्टीकरण के बाद बाड़मेर जिले को छोड़ कर और जिलों में तो नियमन एवं आवंटन कार्य शुरू कर दिया गया पर बाड़मेर में नहीं किया गया। राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि सीलिंग से अधिक कोई भूमि हो तो आवंटन किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में राज्य सरकार ने एक आदेश इस निर्णय के साथ निकाला कि दिनांक 1-7-75 से पूर्व के कब्जे का नियमन कर दिया जावे। इस प्रकार जो भूमिहीन काश्तकार जिस जमीन पर सन् 75 की एक जुलाई के पहले काबिज थे उन काश्तकारों का काबिज भूमि पर नियमन किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह आदेश हालांकि कांग्रेस की भूतपूर्व सरकार ने निकाले पर सन् 1977 में अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में राजस्व अभियान चलाया जाकर जनता सरकार द्वारा भी पूर्व की कांग्रेस सरकार के आदेशों की पालना की गई। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जिन लोगों के सन् 75 जुलाई के पहले से कब्जे थे उनका नियमन कमेटी द्वारा नियमन कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आवंटन के लिए एक कमेटी बनी हुई थी जिसमें एस. डी. एम, सरपंच, विधायक सम्बन्धित क्षेत्र के विकास अधिकारी सभी थे। अध्यक्ष महोदय, एक परफोर्मा इस कमेटी के द्वारा बनाया गया जिसमें सारा रिकार्ड किया गया

(१२)

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

कि कितनी भूमि है, किस किस की कितनी भूमि है, कितनी भूमि किसके पास कब से है और सीलिंग से अधिक भूमि किसके पास है। उसमें यह भी लिखा गया, इसको स्वीकार किया जावे या नहीं। जिसे स्वीकार किया जाना हो उसको स्वीकृत लिख दिया जाता और जिसको स्वीकार न किया जाना हो उसको अस्वीकार करना लिख दिया जाता। जो ऐसे लोग थे जो कि वहां के नागरिक नहीं थे उनको जमीन स्वीकार नहीं की गई और उनके नाम के आगे लिखा गया कि स्वीकार नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, जो जमीन उस कमेटी द्वारा अलाट होती थी उस पर वहीं पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे। अध्यक्ष महोदय, जब उन लोगों को जमीन का अलाटमेंट हो गया उसके बाद में राजस्थान जनता पार्टी के कुछ मंत्री उसमें इन्ट्रेस्टेड हो गये। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी व्यक्तिगत तौर से सम्बन्धित थे उन पर प्रेसर आया। उन्होंने यहां से टेलिफोनीकली बाड़मेर जिलाधीश और उप जिलाधीश को आदेश दिये कि इनकी जमीन का नियमन नहीं किया जावे। तब तक, अध्यक्ष महोदय, नियमन की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी।

(व्यवधान)

उसके बाद में एस. डी. ओ. को सैकन्ड थोट आया। उसने रेकार्ड को टेम्पर किया एवं एक नोट लगा दिया कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 61 व 63 की उप-धारा (1) के खण्ड (8) में भूमि का आवंटन न करने के आदेश हैं जब कि इस प्रकार के कोई किसी के आदेश नहीं हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के कोई आदेश नहीं थे। वैसे, अध्यक्ष महोदय, दूसरे सभी जिलो में आवंटन किया गया और जिन भूमिहीन काश्तकारों का कब्जा 1 जुलाई, 75 के पहले का था उन सभी का नियमन किया गया फिर बाद में एस. डी. ओ. बाड़मेर ने ऐसा आदेश क्यों निकाला ? इस तरह उप जिलाधीश बाड़मेर ने काश्तकारों को धोखा दिया, सरकार को धोखा दिया, और राज्य सरकार ने जो आदेश दिया था उनको नहीं माना। अध्यक्ष महोदय, यह सैकन्ड थोट भी उनको एक महीने बाद आया। उन्होंने पिछली डेट में कागजों को बदल कर दस्तखत किये। इसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1977 से 1979 तक यह मामला सदन में किसी न किसी रूप में निरन्तर लाया जाता रहा। सदन में मैंने मंत्री महोदय से यह कहा कि आप इस मामले को सख्ती से ध्यान देकर निपटावें। उस समय जनता सरकार के राजस्व मन्त्री जी थे उन्होंने आखिर 1979 के सत्र में सदन में यह आश्वासन दिया कि एक कमेटी इसके लिए बना दी है। कमेटी से इस सारे मामले की छानबीन करा कर सदन को अवगत करायेंगे। अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी के अध्यक्ष स्वयं राजस्व मंत्री जी थे और भूतपूर्व सदस्य श्री मथुरादास माथुर, भूतपूर्व सदस्य श्री गंगाराम जी, जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता तथा बाड़मेर जिलाधीश को इस कमेटी का सदस्य बनाया। अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी की मीटिंग राजस्व मंत्री जी के चेम्बर में दो दिन तक चली। उसके बाद में पूरा केस देख कर यह निर्णय लिया गया कि जो भूमिहीन काश्तकार जिस जमीन पर 1 जुलाई, 1975 से काबिज

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

हैं उन काश्तकारों को उस जमीन से हटाना उचित नहीं है। इस तरह उन काश्तकारों को उन जमीनों पर काश्त करने के लिए फाइनली मालिक मान कर उन्हें काबिज मान लिया गया था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार फाइनली नियमन किया गया था। उसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर न जाने क्यों जनता सरकार को जोश आया। उस जोश में यह भूल बैठी कि हमारे देश के नागरिक, जो भूमिहीन हैं, हर प्रकार से प्राथमिकता रखते हैं। बाहर के आये हुए चाहे शरणार्थी हैं, उनको शरण देना हमारा फर्ज है, उनके जीवन-यापन के साधन जुटाना हमारा फर्ज है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि जो हमारे यहां के देशवासी हैं जो बसे हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर जमीन न देकर, उनके जीवन-यापन का ख्याल न करके उनको तो भूखों मरने दें और उनका हक छीन कर दूसरों को जमीन दें। फरवरी, 1978 में एक आदेश निकाला और वह आदेश निकाला, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ बाड़मेर और जैसलमेर के लिए। राज्य सरकार ने अन्य आदेश निकाले कि आवंटन सिर्फ अन्त्योदय योजना में उन शरणार्थी परिवारों को किया जावे। ऐसे आदेश भेजे और यह आदेश सिर्फ बाड़मेर और जैसलमेर के लिए भेजे। अध्यक्ष महोदय, इस आदेश के बाद क्योंकि नियमन नहीं होता था और नियमन नहीं होने से जो आगे कार्यवाही की हुई थी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था इसलिए 1978 जून में एक अन्य नोटिफिकेशन से आदेश निकाला और आदेश यह निकाला, अध्यक्ष महोदय, आवंटन के नियम के नियम 17 के अन्तर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, पाली व जालौर जिलों में वहां के जिलाधीश महोदय एवं अतिरिक्त जिलाधीश को सीधे बिना किसी आवंटन कमेटी को बुलाये व राय लिए आवंटन करने को अधिकृत किया जाता है। जब 1978 में जिलाधीश और अतिरिक्त जिलाधीश को एम्पावर किया गया, शक्ति प्रदान की गई तो, अध्यक्ष महोदय, बाहर के आये हुए शरणार्थियों का उन जमीनों का आवंटन किया जिनका नियमन अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में हुआ था। वहां की आवंटन कमेटी ने नियमानुसार सब डिविजनल आफिसर की अध्यक्षता में आवंटन किया था। मेरा निवेदन यह है कि उन जिलाधीशों ने सरासर नाजायज आवंटन किया या फिर राज्य सरकार ने सब नियमों की अवहेलना कर जो आवंटन समिति थी उसके रहते हुए भी सब अधिकार कलेक्टर को देकर उन लोगों को नाजायज जमीन देने का प्रयास किया, यह सरासर गलत है। इसके साथ ही मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि 1977 में जब बहुत झगड़ा चला था तो पुनर्वास मंत्री राजस्थान राज्य और पुनर्वास मंत्री भारत सरकार, ये दोनों व्यक्ति समस्या को सुलझाने के लिए बोर्डर पर गये। उनकी बैठकें यहां भी हुईं। मैं सोचता था, मेरा यह विचार था कि हमारे कांग्रेस के भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री शायद यहां सदन में उपस्थित होंगे तो वे प्रकाश डाल सकेंगे और वास्तविक स्थिति को बता सकेंगे। जब वे बोर्डर पर गये थे तो उन्होंने यह कहा था कि जितने पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं वे ×××या इस तरह के कार्य हैं जो हमारे देश के लिये लाभदायक नहीं हो सकते हैं अतः उन लोगों को यहां नहीं बसाया जा

×××अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(१४)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि शरणार्थी हैं और शरण लेने के लिये आये हैं तो राजस्थान नहर के हिस्से में या जैसलमेर के बोर्डर के हिस्से, जो बोर्डर से लगा हुआ भी है और बोर्डर से दूर भी है, पर बसाने का प्रयास किया जा सकता है। इस तरह की बात उन्होंने सन् 1977 में की थी। मेरी समझ में नहीं आता है जिन आदमियों के लिये राज्य सरकार ने और भारत सरकार के किसी भी मंत्री, जो उस वक्त मंत्री थे, ने अगर ऐसा विचार किया हो और जिनको ××× समझा हो उन लोगों को 1978 में उस भूमि का आवंटन कैसे कर दिया जब कि 1975 में उस पर अन्य काश्तकार काबिज थे और काश्त करते आ रहे थे? अब स्थिति यह बनती है कि उन काश्तकारों को तो निकालने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस को भेजा जा रहा है। जिलाधीश अपनी बात पर अड़े हैं वे चाहते हैं कि उन काश्तकारों को येन-केन प्रकारेण हटा दिया जाय। राज्य सरकार यह भी कहती है कि जिन लोगों को आवंटन किया गया है, उनका कब्जा है और जिन लोगों का नियमन किया गया है, उनका कब्जा नहीं है। उन्होंने कब्जे अब किये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जिन लोगों का नियमन किया गया था, अध्यक्ष महोदय, उनके 1975 से पूर्व के कब्जे थे। जिलाधीश के आदेश के अनुसार या सब डिवीजनल आफिसर ने खुद ने मौके पर देख कर रिकार्ड में उनका नियमन 1977 में किया था। जिन लोगों का 1977 में नियमन हुआ और जिनके कब्जे थे उस जमीन पर तो यह कैसे माना गया कि उस जमीन पर उनके कब्जे नहीं थे इसलिये जमीन खाली समझ कर आवंटन कर दिया गया? यह आवंटन गलत हुआ है और रिकार्ड पर केवल कागजी कार्यवाही हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मौके पर जाकर देखा जाये। इस सदन की एक कमेटी बना दीजिये, मंत्री महोदय की अध्यक्षता में बना दीजिये आप खुद पधार कर मौका देख लीजिए। आप पायेंगे कि उन लोगों के 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से झोंपड़े बने हुए हैं, मकानात बने हुए हैं, उनके जानवर वहां बन्धते हैं और वे उन ढाणियों में रहते हैं। आप मुझे बताइये किस तरह का न्याय होगा उनके साथ। जो वहां पर बस रहे हैं, वर्षों से काबिज हैं और जिनका एक मात्र जीवन-यापन का साधन भूमि है उनको पुलिस मारपीट करके निकाल रही है और जिनकी केवल कागज के अन्दर भरपाई हुई है, कागजी कार्यवाही हुई है उनको वहां जबरदस्ती बसाया जा रहा है। यह सरासर जनता सरकार ने अपने स्वार्थों के लिये किया है। वह स्वार्थ भी पूरा नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग पाकिस्तान से आये हुए हैं, उनके लिये हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी का यह सोचना था कि सारे आने वाले लोग मुझे वोट देंगे और बाड़मेर, जैसलमेर में रखने से मेरी पार्टी के लोग हो जायेंगे लेकिन वह स्वार्थ भी पूरा नहीं हुआ। तो, अध्यक्ष महोदय, उनका स्वार्थ पूरा हुआ नहीं, वहां की जनता का स्वार्थ पूरा हुआ नहीं, उनके साथ न्याय हुआ नहीं तो फिर यह सरासर अन्याय क्यों?

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं इस मामले को इसकी सीरियसनेस से देखा जाये। वहां के जो काश्तकार सन् 1975 से

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

पूर्व के निश्चयी तौर पर काबिज हैं उनको जमीन दी जाये । 1977 में केबिनेट में निर्णय लेने के बाद सरकार ने आदेश प्रसारित किये थे कि उन लोगों, जो काबिज हैं, को भूमि दी जाये, नियमन किये हुए काश्तकारों का कब्जा माना जाय और उनको वहीं रहने दिया जाय, पुलिस उनके साथ मार-पीट न करे, इस प्रकार के आदेश दें कि वे उनको निकालने का प्रयत्न नहीं करें । यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां ।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, इसी विषय के बारे में मेरा भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है । प्रस्ताव बिलकुल सीधा सा और सही है । बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील और शिव तहसील के बारे में मैंने एक अतारांकित प्रश्न पूछा था 30-7-80 को, उसका उत्तर मिला, सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के अनुसार 4569 इन तहसीलों में भूमिहीन व्यक्ति हैं जो जन्म से भारतीय नागरिक हैं । उनमें से 1028 तो वे शख्स हैं जो सं. 2032 से उस जमीन पर काबिज हैं । उनमें से 370 शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं और बाकी के सवर्ण जाति के हैं । कई क्षेत्रों में मैंने मौके पर जाकर देखा है । जब पुलिस उनको हटा रही थी ग्राम ढूंढिया बाड़मेर तहसील में तब भी हमने कहा था, फोटोग्राफर साथ लेकर गये थे । बहुत वर्षों से लोगों के वहां टांके बने हुए हैं, ढाणियां बनी हुई हैं; झोंपड़े बने हुए हैं । हमने एस. पी. और कलेक्टर से निवेदन किया कि जो सरकारी पड़त जमीन पड़ी है वह ही बदल कर दे दें । जिनके बच्चे हैं, टांके बना रखे हैं, ढाणियां बनी हुई हैं उनको बेदखल करते हो तो इसका जनता पर और शासन पर बुरा असर पड़ेगा । मगर यह नहीं हुआ और उनके चालान किये गये, पुलिस ने केस दर्ज किये ऐसी हालत में....

एक माननीय सदस्य : वे तस्कर हैं....

(व्यवधान)

श्री अमीन खां : 111 शरणार्थी व्यक्तियों के फॉरिनर एक्ट के तहत मुकदमें दर्ज हुए हैं । होम डिपार्टमेंट के जवाब के अनुसार 63 व्यक्ति स्मगलर हैं जिनके केस दर्ज हुए हैं । इससे ज्यादा दूसरे हैं चाहे आप होम डिपार्टमेंट से पूछलो....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : XXX है....

श्री अमीन खां : आप सब्र कीजिये, मेरा निवेदन है इतने भूमिहीन आप किसी जिले में सहन करके बता दें । आप पांच आदमी को भी जमीन दे सकते हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कितने स्मगलर हैं ?

श्री अमीन खां : 63 व्यक्ति हैं और पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 111 व्यक्तियों के मामले फॉरिनर एक्ट में दर्ज हुए हैं जो पाकिस्तान जाकर वापस आये हैं । यह सरकार या होम डिपार्टमेंट कभी भी यह विश्वास

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री अमीन खां)

नहीं कर सकता कि उनकी गतिविधियां राष्ट्र के हित में है। राष्ट्र के हित में नहीं है। वहां के कदीमी निवासी को हटा कर दूसरों को बसाना राष्ट्रीयता नहीं है। जिन्होंने वहां जन्म लिया है उनके हकों को छीनना किसी प्रकार जायज नहीं है। 4163 आदमियों को जमीन अलाट की गई है, उनको हम सहन करने को तैयार हैं लेकिन वहां के मूल निवासियों को जबरदस्ती हटा कर 12 हजार शरणार्थियों को बसाया जा रहा है यह न्याय किसी के पक्ष में नहीं है और इसे कोई भी आदमी ईमानदारी और इन्साफ से सहन नहीं कर सकता है, आप में से भी कोई आदमी यदि उधर जायगा तो भी वे यही कहेंगे कि हम सात पुश्तों से काबिज हैं हमको हटाकर दूसरों को दे रहे हैं यह इन्साफ नहीं है। 1028 परिवार ऐसे हैं, अगर ईमानदार ऑफिसर को लगावें तो मालूम होगा कि वह नाजायज तौर पर सरकारी जमीन पर काबिज हुए हैं उनको फौरन हटाओ। लेकिन जो आदमी भूमिहीन हैं, जिनके पास और जमीन नहीं है, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जन जाति के हैं, वे वहां बैठे हैं। अगर जुर्म किया है तो आप उनको सजा दे दें। कहां जमीन दें यह निर्णय राज्य सरकार को करना है। यह कोई सहन नहीं करेगा कि सीकर जिले में बाड़मेर के आदमी को जमीन अलाट कर दें। सहन करेंगे। हम हजारों आदमियों को सहन कर रहे हैं? मेरी पंचायतों में दो सौ परिवारों को जमीनें दी हैं मेरे पड़ोस में खालिया, भूदिया, गडरा, बागरूढ़ पंचायत में 800 आदमियों को जमीनें अलाट हुई हैं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि मामूली दो-दो, चार-चार आदमियों को बेदखल करके अलाट हुई हैं बाकी सरकारी जमीन थी। हमारी उनके साथ मोहब्बत है। आज एक गांव के आदमी को दूसरे गांव में जमीन अलाट करते हैं तो सहन नहीं करते हैं। पाकिस्तान से आये हुए आदमी इस मुल्क के वफादार हो गये? जिन्होंने इस मुल्क में जन्म लिया है, दुःख-सुख सहन किया है उन आदमियों को हटा कर इन आदमियों को जमीनें देना कतई सहन नहीं करेंगे। कोई डेमोक्रेट सहन नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई जमीन हो, अभी भी हम कहते हैं कि आप जांच कराइये। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, अगर ऐसे लोगों को बेदखल करके इनके साथ सहानुभूति प्रदर्शित की गई तो विशेष व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शरणार्थी की हैसियत से नहीं। हमारे आदमी बेरोजगार बैठे हैं उनका एक भी पेशा नहीं। उनको आप पूरी की पूरी जमीनें दे दें अनाप-शनाप पैसा दे दे, उनको लोन दे दें यह क्या तरीका है। हम तो काफी सब्र कर चुके हैं। हम तो यहां तक कहते हैं कि पड़ोस में फलां खसरा नं. है उसको अलाट कर दो। कहते हैं, नहीं, हम आपको हटायेंगे। यह कोई पार्टी विशेष का काम नहीं है, जाति का मामला नहीं है, मोहब्बत का मामला नहीं है, गरीब आदमी को बेदखल करने का मामला है, उनको तबाह करने का मामला है। जैसा माननीय सदस्य ने पहले अर्ज किया था कि यह सारे के सारे वोट जनता पार्टी को मिलेंगे इसलिये किसी तरह से पिछली सरकार ने इनको हटा दिया। यह लोग पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप में रहे हैं, वे सत्ता वालों को वोट देंगे वे किसी को नहीं मानते हैं चाहे किसी ने भला किया है। अगर मेरी रिपोर्ट

(श्री अमीन खां)

को नहीं मानते तो होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, पूछ लें, उनकी गतिविधियों की चाहे भारत सरकार, चाहे राज्य सरकार के लेवल पर हम एक सीधी सी बात कहते हैं तो आपके अधिकारी नहीं मानते हैं। इसीलिये तो हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रीगण बैठे हुए हैं, हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला दें पर जो इन्साफ है वह इन्साफ का फैसला दें। उन्होंने जो शासन में बैठ करके 1028 परिवारों को हटा दिया है उनको आप ठीक करें। वह हिन्दुस्तान के आदमी हैं, आपके आदमी हैं, हमारे आदमी हैं। वह 1028 आदमी पुलिस के जरिये बाहर निकाले जा रहे हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरी आपकी मार्फत, सरकार से अर्ज है और सरकार से मैं चाहता हूं कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करके उन गरीब किसानों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वालों को पुलिस की हथकड़ियों से बाहर करें। सं. 2032 से जो मामले पैन्डिंग पड़े हुए हैं, अगर कोई नाजायज कब्जा है तो मैं आज भी कहता हूं, आप हटाओ। भूमिहीन नहीं हो, जमींदार के नाम पर कब्जा रखना चाहता हो, फौरन हटाओ। मगर जो भूमिहीन गरीब काश्तकार हैं, उनका कब्जा है, उनको मत हटाइये। शरणार्थियों का मामला भारत सरकार का है, पूरे भारत का है केवल हमारी तहसील जिम्मेवार नहीं है। सारे देश में उनका हिस्सा बांटो। हमारे सर पर मत रखो। आज तक मोहब्बत और भाई चारे का नाता बना हुआ है वह खतरनाक होगा। लोगों में नफरत पैदा करेंगे तो शांति भी भंग होगी। बाड़मेर की तहसील शिव और जैसलमेर जिले के अन्दर हमने पूरा सर्वे कर लिया है कृषि भूमि पर कतई गुजारा नहीं होता है। पशुओं पर गुजारा रहता है। यहां की जमीन अलाट करके, उनको दे देंगे तो वहां के सारे लोग बेरोजगार हो जावेंगे। हमने जो हिसाब लगाया है, वहां की जमीन में, एक बीघा जमीन में 40 किलो बाजरा नहीं होता है। गुजारा नहीं होता है हमने हिसाब लगाया है कि 500 बीघा जमीन में 12 महीने का गुजारा नहीं होता है। 50 भेड़, बकरी और गाय पर गुजारा होता है। पांच सौ बीघा जमीन जिनके पास है उनको रोटी खाने का साधन नहीं मिलता। वहां 50 पशुओं पर गुजारा होता है। इसलिए पूरी की पूरी जमीन मत अलाट करिये, कुछ पशुपालकों के लिये रखें। एक-एक पंचायत के अन्दर 3-3 हजार परिवार गोचर में बैठे हुए हैं। सन् 71 से आये हुए हैं कोई सहन कर सकता है? हमने सहन किया है। भूमि अलाट हुयी है तो भी वे दबा कर बैठे हैं। पंचायतों की जमीनें रोक कर बैठे हैं। तीन-तीन हजार परिवार हैं, मेरे ख्याल में कोई माननीय सदस्य छाती पर हाथ रख कर बोल जाये कि मेरी पंचायत में 10 आदमी बैठे हुए हैं। यह तीन तीन हजार आदमी बैठे हुए हैं। 3000 असंनी में, 2700 तरवी में, 1300 गेराव में और 1700 गडरा में बैठे हुए हैं वहां के लोगों को तकलीफ है। वहां के दरख्त काटे जाते हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विदेशियों को राजस्थान से निकाल रहे हैं···

(18)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : आपको तकलीफ हो रही है, आप ले जाइये आपके जिले में···

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विदेशी राजनीतिज्ञों को निकालो···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें, आसन पैरों पर है।

एक मिनट स्थान ग्रहण कीजिये।

माननीय सदस्य जानते हैं जो माननीय सदस्य वाद विवाद में हिस्सा ले रहे हैं वे पिछली पंक्ति में बैठने वाले एक माननीय सदस्य हैं। उनको कोई बोलने का शौक नहीं है। कभी कोई तकलीफ होती है तो अपनी बात कहते हैं। पढ़े–लिखे मामूली हैं। ग्रामीण परिवार के व्यक्ति हैं। अपनी तकलीफ की बात कह रहे हैं तो यह अच्छा नहीं लगता कि बीच में बाधा उपस्थित करें। अच्छे वक्ता हों कोई और बात कह रहे हों उसमें आप बाधा उपस्थित करें तब तो ठीक है। यह अलग बात है।

एक माननीय सदस्य : तकलीफ बाड़मेर की···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वे साधारण ग्रामीण हैं। ग्रामीण के तरीके से बोल रहे हैं, शांति से बोल रहे हैं। उस इलाके का बड़ा महत्वपूर्ण मसला है उस पर कह रहे हैं। आप यदि कुछ कहना चाहते हैं तो अन्य किसी तरीके से इस मसले को उठा सकते हैं। कृपया शांत रहें। इस मामले में उनको अपनी बात कहने दें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ामालानी) : मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य जब फर्मा दें उसके बाद हमको भी मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, उपयुक्त समझूंगा तो। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की एक सीमा होती है। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज !

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में जो अलाटमेंट हुए हैं उसकी कानूनी प्रक्रिया किसी व्यक्ति ने पूरी की है किसी ने नहीं की है उसका तजुर्बा अहमद बक्स जी को, माननीय खेतसिंह जी को होगा, मैं कानून नहीं जानता हूं। मुझे मालूम हुआ है, जहां तक मैं जानता हूं रूल 17 के अन्दर सरकार को पावर है किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह अलाट कर सकती है। मगर रूल 14 की पालना करने के उपरांत ही कर सकते हैं। इसलिये रूल 14 की पालना करने के बाद अलाटमेंट करना था, वह भी नहीं किया। एक नोटिफिकेशन जारी करके चैम्बर में बैठ कर ए. डी. एम. द्वारा हजारों आदमियों को अलाटमेंट किया है। यह हमारे को तानाशाह कहते हैं, यह प्रजातंत्र पार्टी की सरकार ने किया है। जो चैम्बर में बैठ कर पांच-पांच हजार अलाटमेंट करते हैं उनको कोई सदन नहीं कर सकता। पांच पांच हजार अलॉटमेंट करते हैं उनको कोई आदमी कहां तक सहन कर सकता है, बाड़मेर में ऐसा किया गया। इसलिए

(श्री अमीन खां)
मेरी आपकी मार्फत सरकार से यह अर्ज है कि इस मामले को चाहे कोई भी जाति का समझें या किसी इलाके का समझें, वास्तव में यह मानवता का सवाल है और भविष्य में वहां के पशुपालक लोगों को और गरीब लोगों को उजाड़ने का सवाल है, इस पर सरकार सहानुभूति से विचार करे और सही और इन्सानियत का निर्णय ले। 1028 परिवारों को जबर्दस्ती हटाया जा रहा है दूसरे आदमियों के कारण, उनको नहीं हटाया जाय और उनका नियमन किया जाय।

इतना ही कह कर मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मेरा निवेदन है कि कानून की प्रक्रिया के अनुसार इसको लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह अलाउ नहीं करूंगा। आर्डर प्लीज !

श्री भगवान दास !

श्री भगवान दास (चौहटन) : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, जो अलाटमेंट हुए हैं, उनमें से एक एक अधिकारी के मार्फत हुआ है, उसमें बहुत गलतियां भी हुई हैं, घपले भी हुए हैं। अब जो 1028 परिवार हैं, उनके नियमन की बात चल रही है। बीकानेर वालों का जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है, इसमें कई दूसरे सवर्ण परिवार भी हैं। अलाटमेंट को एक तरह से रद्द कर दिया गया तो फिर 1028 परिवार, जो शरणार्थी बसे हैं को उखाड़ा जायेगा तो फिर झगड़ा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी बना करके जांच होनी चाहिये। वास्तव में जो झोंपड़े बना कर बैठे हैं उनको गलत तरीके से हटाया है, उनको नहीं हटाया जाना चाहिए। अधिकारियों को अधिकार दे दिये गये तो इसमें घपले होंगे। हमारी सहानुभूति शरणार्थियों के प्रति भी है, सरकार की भी है, जो मेघवाल और गरीब आदमी आये हैं, जो बेचारे मेघवाल और भील हैं, उनको····

(व्यवधान)

श्री अहमदबक्स सिंधी (जोधपुर) : आप को उनके वोट नहीं मिले हैं।

एक माननीय सदस्य : हमें वोटों की चिन्ता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आप क्या करते हैं ? आप उनकी वकालत करते हैं, जिनसे आपको वोट मिले। हम सभी की वकालत करते हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास : ऐसा है, यह बात वोटों से नहीं तोलनी चाहिए। शरणार्थी जो हमारे देश में आये हैं, उनके प्रति भी सहानुभूति है। उनको बहुत तरह से तकलीफें दी जा

(20)

(श्री भगवान दास)

रही हैं, जो अलाटमेन्ट हुए, जो ए. डी. एम. ने चेम्बर में बैठ कर किये, वाकई में वे गलत किये। किसी लोग को किसी भूमि का अलाटमेंट और किसी लोग को किसी जगह कर दिया। उनको बसाने का मामला था, इसमें बहुत रिश्वतखोरी हुई है और बहुत घपले, बहुत गड़बड़ हुई है। जो अलाटमेंट हुए हैं, उनकी जांच करने के लिए कमेटी हो। कमेटी बना कर उसकी जांच होनी चाहिए। कमेटी के जरिये वाकई जो गरीब आदमी हैं, जिन का नियमन होना बाकी है, उनका नियमन होना चाहिए। जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं उनकी जमीन पर उनके दूसरे जो भाई-भतीजे हैं वह कब्जा करके बैठे हैं। वह उसको नहीं छोड़ते। वह उसको इस तरह से दवा कर बैठे हैं। लेकिन जो गरीब मेघवाल, गरीब भील उस पर कब्जा करके बैठे हैं, उनको हटाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है।

मेरा दूसरा निवेदन है शरणार्थियों के मामले में कि उनको बाड़मेर में जमीन दी हैं, वे जैसलमेर जाना चाहते हैं। उनको जो जमीन दी गयी हैं, वह काबिल काश्त नहीं है, उनको जबर्दस्ती धकेला जा रहा है, उनकी सहायता बन्द की जा रही है, उनसे जबर्दस्ती सहायता के फार्म भराये जा रहे हैं। अगर सरकार को शरणार्थियों को सैटल करना है तो इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। जो अलाटमेंट हुए हैं उनका नियमन हो या वह खारिज हों इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए। एम. एल. ए., बी. डी. ओ., प्रधान सब मिल कर स्थिति देखें। गांवों के अन्दर जो अभी भी शरणार्थियों की जमीनें पड़ी हैं, वहां उनको सैटल किया जा सकता है। अगर कमेटी हो तो मौके पर बैठ कर, जाकर देखे। वहां किसी का झगड़ा नहीं है, अभी भी वहां सैटल कर सकते हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। इसके लिये कमेटी बनानी चाहिए जिसके द्वारा नियमन का भी झगड़ा सुलझाया जाय और जहां शरणार्थियों को भी बसा सकते हैं, वहां शरणार्थियों को बसाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिए, पहले। पहले मन्त्री जी का वक्तव्य होगा, उसके बाद जिन माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगना हो, उनको मैं अवसर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : हमारी बात सुनने के बाद आप मन्त्री जी का वक्तव्य दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा उनकी बात सुनी। मंत्री उत्तर देंगे फिर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं आपको मौका दूंगा, बाद में बोलिये आप।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री, राजस्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डेगाना, शिव एवं चौहटन से आये माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से यहां कहा कि कुछ जमीनें आवंटित की गयीं और भूमि के आवंटन को लेकर चाहे वह मेघवाल हों, चाहे भील हों, चाहे अन्य व्यक्ति हों, उनके साथ ज्यादतियां हुई बतायी गयी हैं। इस सारी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं थोड़ी पृष्ठ भूमि में जाना चाहूंगा।

राज्य के पश्चिमी जिलों में भूमि का उपयोग क्या हो एवं कितना बल कृषि पर

(श्री रामपाल उपाध्याय)

दिया जाय तथा कितना पशु पालन पर, यह लम्बे अर्से से विचार का विषय रहा है। दी स्टेट लैण्ड यूटीलाइजेशन कमेटी की वर्ष 1960 में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन जिलों की भूमि खेती के लिहाज से उपयुक्त नहीं है एवं चराई तथा वृक्ष लगाने के ही लिहाज से उपयोग की है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन के भाग 13 में यह सिफारिश की है कि रेगिस्तानी क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था मुख्यत: पशुपालन प्रधान रहनी चाहिए। आयोग के मतानुसार भूमि का वितरण कृषि प्रयोजन हेतु नहीं किया जाना चाहिए। यह मत वैज्ञानिक आधार पर इन क्षेत्रों की भूमि की उत्पादन क्षमता एवं इन क्षेत्रों में होने वाली वार्षिक औसत वर्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। पश्चिमी जिलों की इस समस्या पर जिलाधीशगण की बीकानेर में वर्ष 1974 में हुई क्षेत्रीय बैठक में भी विचार हुआ था एवं उस बैठक में भी यह सिफारिश की गयी थी कि राजकीय सिवाय चक भूमि कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित न की जाय एवं इसे चरागाह विकास के लिए आरक्षित रखा जाय। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 11 सितम्बर, 1974 को पत्र सं. एफ. 3 (16) राज/3/73, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर एवं चूरू इन 8 जिलों के जिलाधीशगण को लिखा गया कि यह तय किया गया है कि राजकीय सिवाय चक भूमि को चरागाह विकास के लिए आरक्षित रखने पर जिलाधीशगण जिला स्तर पर विचार करें। जहां यह उचित समझा जाय कि भूमि आरक्षित रखी जाय वहां राजस्व विभाग को परीक्षण हेतु ठोस प्रस्ताव भेजें। जिलाधीशगण स्वयं इन मामलों में अन्तिम निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं होंगे। वे एक मास में अपने प्रस्ताव भेजें अथवा पत्र लिखें।

इस मामले पर आगे विचार हुआ एवं विभागीय पत्र क्रमांक एफ. 3 (10) राज/3/73, भाग 2, दिनांक 3-9-75 के द्वारा जिलाधीशगण को लिखा गया कि दिनांक 11-9-74 को जारी किये गये आदेश को आवंटन पर मुकम्मल प्रतिबन्ध न माना जाये। अभी राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि आवंटन पर रोक लगे अथवा नहीं। परन्तु इस प्रतिबन्ध का सीलिंग कानून के तहत अधिगृहीत भूमि से सम्बन्ध नहीं है। सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गयी भूमि को सम्बन्धित नियमों के तहत आवंटित किया जाता रहे। इस प्रकार दिनांक 3-9-75 के इस पत्र के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि सीलिंग सरप्लस भूमि के आवंटन पर कोई रोक नहीं होगी।

बाद में इस मामले पर विचार होकर पत्र क्रमांक एफ. 3 (16) राज/3/73 दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के द्वारा लिखा गया कि :—

(1) सरप्लस भूमि के आवंटन पर रोक नहीं होगी,

(2) राजकीय सिवाय चक भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों को इस बावत जारी किये गये निदेशों/परिपत्रों के अनुसार नियमित किया जाय।

इस पत्र के जारी होने के पश्चात पत्र क्रमांक प. 6 (9) राज/4/76 दिनांक 21-4-76 के द्वारा लिखा गया कि मरुस्थलीय

(२२)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

जिलों में भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन न करने तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने के प्रश्न पर पूर्णरूपेण विचार कर निर्णय लिया गया है कि मरुस्थलीय जिलों में एक हैक्टेयर तक भूमि के टुकड़ों के आवंटन के सिवाय अन्य किसी भूमि का आवंटन नहीं किया जाय।

अतः इन 8 जिलों में एक हैक्टेयर तक के टुकड़ों में स्थित भूमि के आवंटन के सिवाय किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जाए। एक हैक्टेयर से अधिक का सिवाय चक क्षेत्र मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखा जाए। इस प्रकार इस आदेश के द्वारा इन 8 जिलों में भूमि का आवंटन करने के बाबत नीति का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर दिया गया।

जिलाधीश बाड़मेर के द्वारा नियमन की समस्या उठाये जाने पर अर्द्ध-शासकीय पत्र क्रमांक 24/पी.ए./एल.आर.सी./78 दिनांक 3–2–78 के द्वारा जिलाधीश, बाड़मेर को स्पष्ट कर दिया गया कि जिले में आवंटन पर प्रतिबन्ध है, अतः नियमन भी नहीं किया जा सकेगा। तदोपरान्त दिनांक 13/15 नवम्बर, 1978 के द्वारा इन आठों जिलों के जिलाधीशगण को लिखा गया कि इन जिलों में अतिक्रमणों का नियमन उस सीमा से अधिक नहीं किया जा सकता जिस सीमा तक आवंटन की अनुमति ऐसे क्षेत्रों में दी गई है। अतः जो प्रतिबन्ध डी. पी. ए. पी. क्षेत्र में अन्य आवंटनों पर है वही प्रतिबन्ध अतिक्रमणों के नियमन पर भी रहेगा। दिनांक 1–7–75 तक के कब्जों के नियमन के आदेश दिनांक 14–4–77 को हुए हैं उनके पूर्व ही डी. पी. ए. पी. क्षेत्रों में आवंटन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। अतः नियमन करते समय इस प्रतिबन्ध को ध्यान में रखा जाए। जब आवंटन पर रोक हो तो नियमन की अनुमति देना अतिक्रमियों को बढ़ावा देना मात्र ही बन जाता है। इससे कानून की पालना करने वाले नागरिकों की तुलना में कानून का उल्लंघन करने वालों को तरजीह देना हो जावेगा।

जब अन्त्योदय योजना राज्य में चालू हुई तो पश्चिमी जिलों में इस योजना के तहत चयनित परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन पर भी विचार किया गया। इस पृष्ठ भूमि में यह निर्णय किया कि इस योजना के तहत चयनित परिवारों को भूमि का आवंटन इन जिलों में करने की अनुमति दे दी जाए। फलतः राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 6 (9)राज/4/76, दिनांक 4-2-78 के द्वारा यह छूट दे दी गई। परन्तु पत्र में लिखा गया कि यथासम्भव बड़े-बड़े भू-खण्ड मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए रखे जाएं एवं अन्त्योदयी परिवारों को छोटे-छोटे भू-खण्ड ही यथासम्भव दिये जाएं।

भारत-पाक युद्ध वर्ष 1971 के समय पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के पुनर्वास की एक राष्ट्रीय समस्या राज्य सरकार के सामने आई। शरणार्थी जिन परिस्थितियों में भारत आये उनमें इनको लौटाना सम्भव नहीं था अतः इन्हें केन्द्रीय सरकार ने भारतीय नागरिकता प्रदान की। जब तक इन्हें बसा न दिया जाए तब तक इन्हें शरणार्थी शिविरों में रख कर इनके

(श्री रामपाल उपाध्याय)

निर्वाह की व्यवस्था की जा रही है। इस पर होने वाले खर्चों, समस्या के मानवीय एवं राष्ट्रीय पहलुओं आदि पर विचार करके इनके पुनर्वास की जो योजनाएं बनीं उनमें खेतिहर लोगों को भूमि देकर बसाना भी शामिल है। मामले की महत्ता को देख कर इन्हें भी भूमि का आवंटन करने का निश्चय किया गया एवं आवंटन पर लगे प्रतिबन्ध में इनके लिए छूट दी गई है। इसके साथ-साथ विज्ञप्ति संख्या प. 6(31) राज/क/78, दिनांक 21 अप्रेल, 1979 जारी करके राज्य सरकार की भूमि का आवंटन करने की समस्त शक्तियां जिलाधीशगण को दे दी गई जिनके तहत जिलाधीशगण स्वयं बिना सलाहकार समितियों के परामर्श के भूमि का आवंटन करने के लिए अधिकृत कर दिये गये। इन अधिकारों का प्रयोग करके ही आवंटन की कार्यवाही जिलाधीशगण कर रहे हैं। यह व्यवस्था बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली और सिरोही जिलों के लिए की गई है।

इस समस्या पर निरन्तर विचार होता रहा है। दिनांक 10-4-80 को राज्यपाल महोदय के तत्कालीन सलाहकार की अध्यक्षता में भी एक बैठक इस मामले में विचार करने हेतु हुई थी जिसमें यह निर्णय हुआ कि मौजूदा नीति सही है एवं इसे चालू रखा जाए।

जहां तक बाड़मेर जिले की चौहटन, शिव एवं बाड़मेर तहसील का सम्बन्ध है, इनमें कुल भूमिहीनों की संख्या 1-7-75 तक किये गये अतिक्रमणों के मामलों की संख्या तथा भूमिहीनों एवं अतिक्रमियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है। शिव, चौहटन और बाड़मेर में कुल मिलाकर 1028 जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, वह है। इसके मेरे पास आंकड़े हैं कि अनुसूचित जातियों के कितने हैं, अनुसूचित जनजातियों के कितने हैं, यह सारे हैं।

इन तहसीलों में कुल 1028 मामले ऐसे लोगों के हैं जिनका दिनांक 1-7-75 से पूर्व का अतिक्रमण कृषि भूमि पर है परन्तु सूखा संभाव्य क्षेत्र के जिलों में आवंटन पर रोक होने के कारण इन मामलों में नियमन नहीं किया जा रहा। अतिक्रमियों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की जा रही थी। इस पर राज्य सरकार ने दिनांक 17-7-80 को एक तार जिलाधीश, बाड़मेर को भेज कर आदेश दिया कि तहसील शिव, बाड़मेर के आर. आई. सर्किल रामसर व तहसील चौहटन में सम्वत् 2032 से काबिज काश्तकारों को भूमि से फिलहाल बेदखल न किया जावे एवं वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तत्काल भेजी जावे। इस प्रकार बेदखली की कार्यवाही को रोक दिया गया है।

जहां तक शांति व व्यवस्था का सम्बन्ध है, जिलाधीश एवं पुलिस विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। इस जानकारी के अनुसार वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :—

बाड़मेर जिले की तहसील चौहटन, शिव एवं बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस द्वारा मारपीट करके भीलों एवं मेघवालों को इनकी काश्त शुदा भूमि से जबरन बेदखल करने एवं फसल सहित खेतों का कब्जा लेकर शरणार्थियों को दिए जाने की शिकायतें की गई हैं उनमें से अधिकांश निराधार हैं।

(व्यवधान)

(श्री रामपाल उपाध्याय)
पुलिस द्वारा भीलों एवं मेघवालों की काश्त शुदा भूमि का न तो कोई कब्जा शरणार्थियों को दिया गया है और न कोई कब्जा देने की कार्यवाही की जा रही है। यह सही है कि....

(व्यवधान)

आप, माननीय सदस्य, तालियां बजाने से पहले मेरी बात पूरी सुनने की कोशिश करें।

यह सही है कि भीलों, मेघवालों एवं शरणार्थियों एवं लोकल लोगों में आपस में भूमि सम्बन्धी मामलों को लेकर भयंकर तनाव बने हुए हैं। पुलिस ने शान्ति व्यवस्था कायम करने हेतु 20 इस्तगासे धारा 107/116 सी.आर. पी.सी. के अन्तर्गत एस.डी. एम. के समक्ष प्रस्तुत किये हैं ताकि भूमि सम्बन्धित विवादों को लेकर शांति भंग न हो। इनमें अधिकतर इस्तगासे भीलों और मेघवालों के पक्ष में ही प्रस्तुत किये गये हैं। यह भी जानकारी मिली है कि भूमि विवाद को लेकर आतंक का वातावरण जो पहले ज्यादा था उसमें अभी जो राज्य सरकार ने कार्यवाही की है उससे थोड़ी शांति आ पायी है।

अध्यक्ष महोदय, जो तीनों माननीय सदस्य महानुभावों ने चिन्ता प्रकट की है और कई बातें कही हैं उनमें से मेरे इस वक्तव्य, जो मैंने पठन किया है, से कई बातें स्पष्ट होंगी। मूल में यह समस्या शरणार्थियों के आने के कारण उत्पन्न हुई, नम्बर वन।

नम्बर-2, सारी आवंटन समितियों को भंग करके केवल जिलाधीशों को अधिकार दे दिए सन् 1978 और 79 में, उसके बाद यह समस्या ज्यादा उत्पन्न हुई है। मैं तीनों सदस्य महानुभावों की इस चिन्ता से सम्पूर्णतया सहमत हूं कि यह विवाद इस प्रकार का हो गया है कि इस विवाद का अविलम्ब हल करना राज्य सरकार के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। कई प्रश्न जो उठाये हैं मैं करीब-करीब उनसे सहमत हूं। इनसे इन्कार करने में कोई कारण नहीं समझता। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता और जिस प्रकार की वस्तुस्थिति हो गई है उसके बारे में दो ही बातें निवेदन करना चाहूंगा। पहली यह कि शरणार्थियों के पुनर्वास का जहां तक प्रश्न है, मैंने पुनर्वास मंत्रालय से निवेदन किया है कि भारत सरकार की जो नीति है उसके अनुसार उनके पुनर्वास की व्यवस्था राजस्थान कैनाल में शीघ्र ही करने की व्यवस्था की जावे।

दूसरा जो भूमि आवंटन को ले करके इन दो तीन वर्षों में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है, यह सही है कि वहां के जो मूल निवासी हैं उनको जिस तरीके से परेशान आज इन शरणार्थियों द्वारा किया जा रहा है मैं समझता हूं कि यह राज्य प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज यह स्थिति राजस्थान में पैदा हुए व्यक्तियों के लिये महान दिक्कत का कारण बन गई है। इसलिए इसका समाधान करने की दृष्टि से, आप देखें कि कितने मामले इन दिनों के अन्दर पुलिस केसेज के रूप में दर्ज हुए हैं, एस. डी. एम. के पास, कलेक्टरों के पास में दर्ज हुए हैं। कुल मिला करके राज्य सरकार इस भूमि विवाद और सारी समस्या को पूरी तरह से मिटाने के लिए यह ठीक समझती है कि राजस्व विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेज कर अविलम्ब सारी जांच

(श्री रामपाल उपाध्याय)

करवाये जब तक जांच पर निर्णय नहीं हो तब तक वहां के जो मूल निवासी हैं, राजस्थान निवासी हैं, उनको बेदखल नहीं किया जावेगा। राज्य सरकार यह भी चाहेगी कि जन प्रतिनिधि, चाहे विधायक के रूप में हों, चाहे सांसद के रूप में हों, चाहे सरपंच के रूप में हों, इन सब को साथ लेकर सारी समस्या का वैधानिक, संवैधानिक और मानवीय सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान किया जाये। मैं समझता हूं कि मेरा यह वक्तव्य समुचित होगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन इसमें यह है कि जो माननीय सदस्य इस समस्या से परिचित हों वही बहुत ही थोड़े में यदि स्पष्टीकरण करना चाहें तो वे कर सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्स सिंधी : मुझे इजाजत दीजिए, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रवीरसिंह।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बात पर आब्जेक्शन उठाना चाहता हूं कि डेगाना से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि शरणार्थी XXX हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि इन्होंने ...

श्री अध्यक्ष : आप मुद्दे की बात पर आइये, इस तरह के आरोप, प्रत्यारोप चलते रहते हैं।

(व्यवधान)

इन बातों से कोई हल नहीं निकलता है। आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जो समस्या है, उस पर यदि आप कुछ फर्माना चाहें तो अवश्य करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे शरणार्थियों को XXX कहना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जावे।

एक माननीय सदस्य : ये वह लोग हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की फौजों को पाकिस्तान के अन्दर जाने में सहयोग दिया।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, उनके लिये XXX वर्ड यूज किया है उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैंने यह कहा था कि 1977 में केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री और राज्य के पुनर्वास मंत्री मौके पर गये थे। वहां पर लोगों से मिलने के बाद उन्होंने लोगों से यह कहा था मोस्टली पाकिस्तान से आने वाले लोग XXX का काम करते हैं। यह XXX है। मैंने अपने भावों का प्रदर्शन नहीं किया था, अगर आपने शान्ति से सुना हो तो। नहीं तो आप मंगा कर देख लीजिये। जो

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(26)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सुना था वह मैंने अभिव्यक्ति की है यहां पर। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को और कहीं बसाया जाये, बोर्डर पर नहीं बसाया जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कोट किया है दोनों अधिकारियों को, इसका क्या कोई डाकूमेंट है? नहीं, आपका तो यह कथन नहीं है किन्तु आपने अपने मुख से उनके मुख में जो बातें डाली हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी इम्पोर्टेन्ट बात है। ऐसा कोई डाकूमेंट है, और उनका कोई भाषण लिखित है? जो अखबारों में आया है, उसके आधार पर यहां कहें तो यह माना जायेगा कि वहां कोई डाकूमेंट नहीं है। तो यह माना जायेगा कि वह कथन माननीय सदस्य महोदय का है। उनके मुंह में डाल कर यह बात कहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं समझता हूं आप इससे सहमत होंगे।

एक माननीय सदस्य : लोग कहते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लोग कहते है तो मैं...

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप यहां बहुत सी बातें कहते हैं कि हमने वहां सुनी थी, लोगों ने हमको कहा था वह हम यहां कह रहे हैं। अभी आप सवेरे से बलात्कार पर बहुत भाषण दे रहे थे, उसमें आपने कहा था कि हमने वहां सुना था ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। मैं इसकी कार्यवाही मंगा कर देखूंगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह !

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि कलेक्टर ने मनमानी से भू-आवंटन कर दिया है शरणार्थियों को। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जैसलमेर के अधिकतर गांवों में जहां-जहां भू-आवंटन किया गया है, वहां-वहां हाई कोर्ट से स्टे आये हुये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाधा उपस्थित न करें, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह : मैं आपकी इनफार्मेशन के लिए बता रहा हूं, श्रीमन् जो आरोप लगाया गया है कि इस तरह से गलत भू-आवंटन हुआ है, मेरी राय में कोई ऐसा गलत भू-आवंटन नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह : शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर आरोप लगाया है कि शरणार्थी ×××स्मगलिंग करते हैं। मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से उनको यह अवगत करवाना चाहता हूं, पिछले साल के आंकड़े देखो, और उसमें देखो, कितनी जाति के लोगों को पकड़ा गया, कितने राजपूत, कितने मुसलमान, कितने जाट,

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

कितने भील और कितने शरणार्थी लोगों को स्मगलिंग के आरोप में पकड़ा गया है ?

एक माननीय सदस्य : सारे आंकड़े

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर । माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं ।

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत जो आवंटन रुका हुआ था, इस सब झगड़े का मूल कारण यह है। जहां-जहां हम शरणार्थियों को भू-आवंटन करेंगे, वहां-वहां आपके सामने यह समस्या उत्पन्न होगी। लोग कहेंगे कि हम यहां के रहने वाले हैं, हम यहां के निवासी हैं। माननीय सदस्य, यह ठीक है, उनको तो भू-आवंटन नहीं हो रहा है और बाहर से आये हुए पाकिस्तानी शरणार्थियों को भू-आवंटन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत अलाटमेंट रुका हुआ है, उसको खोल दिया जावे।

धन्यवाद

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बोलें, उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : दो बातें मुख्य रूप से पैदा हुई हैं · · ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारे पास भी जानकारी है।

श्री नाथूसिंह : आप बोल लीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रमुख बात यह है शरणार्थी आये हुए हैं वह मुझे याद है अच्छी तरह से, वह लोग इस पुनर्वास समस्या को लेकर के दिल्ली में मेरे पास भी आये थे। उस समय उनके सारे डाकूमेंट देख कर और उनकी सारी बातें सुनने के पश्चात् मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा, वह यह था कि जो शरणार्थी भारत में आये वह वे लोग थे जिन्होंने जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई हुई थी, उस समय, अध्यक्ष महोदय, भारतीय सेना की वह मदद की थी, जिसकी जितनी तारीफ की जाये उतनी कम है। उन्होंने भारतीय सेना के पाकिस्तान में आगे बढ़ते हुए कदमों में सहयोग किया, स्मगलिंग जो होती थी, उस पर उन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया है। हो सकता है · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है

(श्री नाथूसिंह)

लेकिन × × × अध्यक्ष महोदय, वह लोग उनके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि उनको जमीन नहीं दी जाये। उनको बसाया नहीं जाये, उनको वापस भेजा जाय। ऐसा वह लोग सोच सकते हैं XXX ऐसा वह सोच सकते हैं, लेकिन हम नहीं सोच सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब उनको जमीन दी गई, लोगों ने कहा कि वहां के रहने वालों को बेदखल किया गया है, उनकी जमीन ली गई है, यह बिल्कुल गलत है। हुआ यह था कि कुछ लोग वहां रह रहे थे, उनके आस पास सरकारी जमीन पड़ी हुई थी, फालतू जमीन पड़ी हुई थी, जब वह उनको दी गयी तो उन लोगों ने आपत्ति उठायी कि यह जमीन हमको अधिक दी जाये, यह जमीन हमको अलॉट की जाये, इस पर इनको नहीं बसाया जाये। तो सरकार के सामने यह प्रश्न पैदा हुआ कि ये लोग जो आये हैं यहां पर, इनको यहां से हटा करके अन्यत्र कहीं जमीन देंगे तो यहां के लोग जो आपत्ति कर रहे हैं वही वहां के लोग आपत्ति करेंगे उन छोटी-मोटी बातों को लेकर। जब उनको जमीन दी गई तो यह समस्या उत्पन्न हुई और यह झगड़ा हुआ। कुछ लोगों की जमीन, जिनको गलती से अलॉट की हुई थी, पर मान लीजिये कि किसी ने कब्जा कर लिया था, थोड़े बहुत अगर कुछ केसेज ऐसे आये तो उन मामलों में हाई कोर्ट से पहले स्टे दिया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सब मामलों में यह कह देना कि जबर्दस्ती कब्जा किया है, सरकार द्वारा जबर्दस्ती वहां के लोगों को जमीन दी गई है, वह सरासर गलत है। ऐसा बिलकुल नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां स्मगलिंग होती है, उस पर आप पूरी.....

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : पूरी तरह से चोकसी करवायें।

विषयान्तर नहीं हो रहा हूं।

जिन लोगों को जमीन नहीं दी गई है, जैसा आपने कहा, पुनर्वास मंत्रालय से आप बातचीत कर रहे हैं तो इस मामले में जल्दी से जल्दी जिन लोगों को वहां जमीन मिल चुकी है, कहीं ऐसा न हो, जैसा कि आपने कहा, मैं सहमत हूं इनके कथन से, आप केवल इनके कहने मात्र से ऐसा कर दें कि जिन लोगों को आलरेडी जमीन दी गई है, उनको आप बेदखल कर दें। आपस में झगड़ा कराके, दंगा फसाद कराके, उन लोगों को स्मगलर करार करके, किसी को झूठा करार करके आप उनको भगा देंगे, मुझे ऐसी संभावनाएं लगी हैं। अहमद बक्स जी, उनके इनटेन्शन से मालूम चल रहा है, इस कोशिश में हैं कि जो शरणार्थी लोग आये हैं, उनको स्मगलर का खिताब दिया जाये। उनको स्मगलिंग के केसेज में फंसाया जाये।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्स सिंधी : मैंने ऐसे कोई लफ्ज नहीं कहे...

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूसिंह : शरणार्थियों के साथ कुछ ज्यादतियां जो आपकी सरकार की तरफ से की गई हैं, कांग्रेस के कुछ बन्धु जो बैठे हैं, XXX उन लोगों ने उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, तो हम इसका सख्त विरोध करेंगे और इसके लिये हमें जो भी करना पड़ेगा, करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें...

(व्यवधान)

इतने आवेश में नहीं आवें, माननीय सदस्य।

श्री अहमद बक्स सिन्धी : हम पर इल्जाम लगा रहा है। XXX इतनी हिम्मत हाउस के अन्दर...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसाम में क्या हो रहा है? यह हालत हुई।

एक माननीय सदस्य : ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, शरणार्थियों का जो प्रश्न है, यह मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें राज्य सरकार ने जो जानकारी प्राप्त करी है, वह किसी हद तक सही है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो वहां पर गरीब, हरिजन और भीलों का प्रश्न है, उसको और शरणार्थियों के प्रश्न को समान दृष्टिकोण से देखा जाये। उसमें यह कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिये कि शरणार्थी बाहर से आये हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह दूसरी बात है, पंचायत की, उनका यह कहना कि ये आयेंगे तो हमारे यहां पक्षपात होगा। इन शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार भारत सरकार ने प्रदान कर दिये हैं तो नये और पुरानों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जो शरणार्थी आये हैं और जो पुराने भील और हरिजन हैं वे समान हैं। उनको समान दृष्टिकोण से देखना चाहिये। 72-74 के जो राज्य सरकार के आदेश हैं वह बिल्कुल पक्षपातपूर्ण षड्यन्त्र था। उनका षड्यन्त्र था और वे लोग नहीं चाहते थे कि उनको बसाया जाय। उनकी भावना थी कि ये रहेंगे तो उनका वर्चस्व कम हो जायेगा। इस सबको देखते हुए जो शरणार्थी वहां आये हुए हैं उनका इस सरकार के प्रति और इस देश की अखण्डता के प्रति पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारी विधान सभा एक सर्व-सत्ता सम्पन्न संस्था है, इसके माध्यम से हम और वे लोग आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं। उनको नहीं भुलाया जाय। उनको न्याय मिलना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति व शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब शरणार्थियों को तकलीफ होती है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, इसमें चर्चा आगे नहीं बढ़ाऊंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री सूरजपाल सिंह : जिन जिलों में समस्या है शरणार्थियों के पुनर्वास की उन लोगों को बोलने का समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : बोल रहे हैं दूसरे माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

श्री सूरजपाल सिंह : जिन जिलों में समस्या है, शरणार्थी आये हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां इस चीज से कतई तकलीफ नहीं है कि शरणार्थी हिन्दुस्तान में न बसायें। जो शरणार्थी आये हैं उनकी हम इज्जत करते हैं। वे हिन्दुस्तान के निवासी हैं। जब हमने उनको नागरिकता दे दी है तो वे निश्चित तौर से यहां रहेंगे। पुनर्वास की समस्या भारत सरकार की है और राजस्थान सरकार की भी है इसमें कोई सन्देह नहीं। विपक्ष के लोग उत्साहित हो रहे हैं मगर इस समस्या को हल करना पड़ेगा। शरणार्थी बाड़मेर में भी बैठे हुए हैं, वहां जो शरणार्थी आये हैं उनको बाड़मेर और जालौर में ही थोप दिया जाये, यह कैसे होगा। आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं तो क्यों नहीं आप भी उनको अपने यहां लेना चाहते हैं। कोटा वालों को कहना चाहिये कि हमारे यहां भेज दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने दीजिये, कृपया। किस शालीनता से उन्होंने बात कही थी उसको आप समझने की कोशिश नहीं करते। सदन का समय खराब करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : मैं आपसे इजाजत लेकर खड़ा हुआ हूं। वरना हम आपको नहीं बोलने देंगे। यह क्या तरीका है ? आप हाउस में सुनिये तो।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये। आसन पैरों पर है। ऐसा है जब आप डिबेट कर रहे हों, भाषण दे रहे हों तो आसन की ओर मुख रखिये। दूसरे क्या कह रहे हैं, यह मेरी जिम्मेदारी है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवधान पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरी तरफ देखेंगे। मैं आसन से व्यवस्था चाहूंगा। कोई भी माननीय सदस्य अगर व्यवधान पैदा नहीं करें तो समय जाया नहीं होगा।

श्री खेत सिंह राठोड़ : बहुत अच्छा सुझाव है । बैठ जाइये, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो शरणार्थियों की समस्या है इसको निश्चित तौर से···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आसन की तरफ देख रहा हूं।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, शरणार्थियों की समस्या है। जालौर जिले के अन्दर भूतेड़ी जेरम में शरणार्थी बसे हुए हैं जिनको हमने नागरिकता दे दी है उनको हमें हिन्दुस्तान में बसायें, या राजस्थान के किसी गांव में बसायें, जालौर है, बाड़मेर है या नागौर है या अन्य कोई जिला है अगर वहां समुचित जमीन है तो मैं कहता हूं कि हमें कतई एतराज नहीं है। मगर बाड़मेर या नागौर जिले के निवासी यह कतई पसन्द नहीं करेंगे कि वहां गोचर भूमि उनके मवेशियों के चरने के लिए भी नहीं रहे। वहां की जो जनसंख्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बैठे हुए हैं उनको जमीन अलॉट नहीं हो। जो थोड़ी बहुत जमीन है, 100–200 बीघा जमीन गांव में है जिस पर वहां के मूल निवासी बैठे हुए हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको वह जमीन न देकर शरणार्थियों को बसाया जाये यह वे लोग कतई पसन्द नहीं करेंगे। इसी कारण से चाहे जालौर का जेरम कैंप है, अगर वहां भूमि है तो 5–10 परिवारों को हम बसा सकते हैं तो मैं समझता हूं निश्चित तौर से जन प्रतिनिधि मदद देंगे। अगर जमीन नहीं है, गोचर भूमि नहीं है फिर भी जेरम में बसना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप भी उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और यह समस्या आपके सामने भी आ चुकी है। वहां के लोगों के पास मवेशियों को चराने के लिये ही भूमि नहीं है। फिर भी शरणार्थियों को दें तो निश्चित तौर से वातावरण उग्र होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां जमीन है वहां बसायें। अगर झुंझुनूं के जोहड़ में जमीन देना चाहते हैं, वहां अगर दो हजार बीघा जमीन शरणार्थियों को देंगे तो निश्चित तौर से वातावरण अशांत होगा या उग्र होगा। इसलिये चाहे राजस्थान कैनाल में बसाये और जालौर जिले में भी अगर कोई भूमि है वहां के मवेशियों के लिये भूमि निकालने के बाद, जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको जमीन की सुविधा देने के पश्चात् अगर भूमि रहती है तो निश्चित तौर से हम वहां शरणार्थियों को बसाने में पूर्ण सहयोग देंगे। मगर इस तरह से एक छोटे से गांव जेरम में 132 परिवारों को बसा देते हैं या थोप देते हैं तो निश्चित रूप से लोग असंतुष्ट होंगे, लोग हाई कोर्ट में जायेंगे और पुनर्वास की समस्या कभी सुलझने वाली नहीं है। इसलिये हमें इस पर आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है। एक कमेटी बना देनी चाहिए। सरकार जिन्हें भी उचित समझे, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और जो भी अधिकारी हैं उनकी समिति बना कर निर्णय करना चाहिये। इसमें कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जैसे मवेशियों की पापुलेशन भी बढ़ चुकी है। 1971 की

(32) /

(श्री सूरजपाल सिंह)
जनसंख्या को आधार बनाया जाता है जो आज बहुत बढ़ चुकी है। अगर कहीं भी जमीन है तो उसमें देने के लिये न तो बाड़मेर वालों को ऐतराज है, न नागौर और न जालौर वाला को ऐतराज है, इसलिये हमको शांति से समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र सिंह।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाया गया वह भूमि अलॉटमैंट से संबंधित प्रश्न था उसको विरोधी सदस्यों ने राजनैतिक प्रश्न बना कर उठाया और ऐसा बना कर पेश किया जैसे अहमद बक्स सिंधी और इधर बैठने वाले सभी सदस्य XXX हैं और वह सब जैसे प्योर हिन्दुस्तानी हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री देवेन्द्रसिंह : यह सांप्रदायिकता फैलाने की जिम्मेदारी उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों की है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे हम लोग सहमत हैं और उससे सारा समाधान हो सकता है। रहा सवाल स्मगलिंग का...

श्री अध्यक्ष : आप विषय से अलग हो रहे हैं।

श्री देवेन्द्रसिंह : और जिन्होंने स्मगलिंग की बात कही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1978 में वे लोग कितना क्या ले गये हैं वे स्वयं बतायें उससे पता चलेगा कि क्या क्या होता है। इस तरह के आरोप उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने लगाये हैं वे गलत हैं। जो मा. उप मंत्री ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाये।

एक माननीय सदस्य : इसमें समर्थन की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : श्री चांद खां।

श्री चांद खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, जो विषय चल रहा है उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। करीब दो महीने से अधिक हो गये मुझे यहां आये हुये। मैं चुप रहा आज तक। जब मैं यहां आया तब सोच रहा था कि यहां पर पढ़े-लिखे आदमी आ गये हैं उनके बीच तेरी दाल नहीं गलेगी, तू वहां कैसे काम करेगा, कैसे बोलेगा लेकिन जो कुछ मैंने यहां पर देखा तो मैं ताज्जुब करने लगा। यहां पर एक एम. एल. ए. को दो-डेढ़ लाख आदमी चुन कर भेजते हैं। वे अच्छे आदमी, पढ़े-लिखे आदमी को चुन कर भेजते होंगे परन्तु यहां पर आकर देखा तो जैसे हमारे गाय ढोर चराते हैं उनसे भी गये गुजरे निकले।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चांद खां : और फिर मैंने फैसला कर लिया कि तेरी यहां पर दाल गल जायेगी, यहां तो जैसे तू अनपढ़ है वैसे ही बहुत से

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चाव खां)

तेरे जैसे साथी मिलेंगे । इसलिए, साथियों, यहां पर सिवाय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के दूसरा काम होता ही नहीं है । चाहिए तो यह कि आप लोग यहां पर चुन कर आए हैं, जनता ने आपको चुन कर भेजा है, आप इस लिए चुन कर आए हैं कि आप अपने इलाके के लिए, अपने प्रदेश के लिए ऐसे काम करें जिससे हमारे प्रदेश का विकास हो, प्रदेश ऊंचा उठे और बाहर के सूबों में हमारी इज्जत बढ़े न कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर समय को खराब करें, नष्ट करें । आज यहां पर यह प्रसंग आया है । कोई भी माननीय सदस्य अपने इलाके की बात रखते हैं, अपनी तकलीफ को कहते हैं तो हमारे साथी दोस्तों की तरफ से, दूसरी तरफ से बोलने नहीं दिया जाता है । हम सभी हिन्दुस्तान में रहते हैं । हिन्दु, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सभी कौमें यहां पर रहती हैं । जिस वक्त वोट लेने का समय होता है, उस समय तो आप पाकिस्तान की बात नहीं कहते हैं । हम सभी इनके घर घर जाते हैं । चुनाव के वक्त पार्टियां होती हैं परन्तु जब चुन कर आ जाते हैं तो पार्टियां खतम हो जाती हैं । कोई मुसलमान बोलता है तो उसके लिए आप××× होने की बात कहने लगते हैं । यह शर्म की बात है । यहां पर जो हैं सभी हिन्दुस्तानी हैं । जो हमारे यहां पर पुरुषार्थी भाई आए हैं उनको हमने यहां पर बसाया है । मेरे इलाके में, मेरी तहसील में 15,000 आदमियों को बसाया गया है । वे वोटर हैं और मौजूद हैं । वे भाई की तरह रहते हैं । मिल कर रहते हैं । उन से हम अपने दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं । ब्याह, शादी में भी हम उनको बुलाते हैं । जो मुसलमान भाई पाकिस्तान को चले गये उन से हमारा क्या रिश्ता रह गया है । हमारा रिश्ता है इन लोगों से जो हमारे इलाके में बसे हुए हैं । सवाल इस बात का है, हम यह नहीं चाहते कि एक आदमी को उजाड़ा जाए और उसकी जगह दूसरे आदमी को बसाया जाए । यह अन्याय है, न्याय नहीं है । अगर वहां पर जमीन है, दूसरे लोगों को उनके बसाने से कोई तकलीफ नहीं है तो बसाया जाए । या जो पाकिस्तान चले गये हैं उनकी जमीन इनको अलॉट हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं है । कुछ आदमियों को उजाड़ा जाए, यह मुसलमान है इसलिए हटाया जाए तो यह बर्दाश्त नहीं होगा । यह अच्छी बात नहीं है । इसलिए जितनी जमीन है, उस पर उनको बसाया जाए तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है । जहां जहां पर जमीन है इनको दीजिए लेकिन इस बात को देख कर कि बसे हुए आदमी को न उजाड़ा जाए मैं अपने साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि यहां पर हिन्दू, मुसलमान की बात नहीं आनी चाहिए । पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान जाते तो आप रोकने वाले नहीं थे । हम खुद चले जाते । हम तो यहां पर पैदा हुए हैं, यहीं पर रह कर मरेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे । यह हमारा दावा है । इसलिए, मेरे दोस्तों, कोई भी अच्छी बात हो तो वह करनी चाहिए । कोई गलत बात अपने देश के लिये हो, झगड़े की बात हो तो दोनों मिल कर सुलझावें । पार्टियां तो चुनाव होने तक थीं । जब तक हम चुनाव लड़ते हैं पार्टियां होती हैं । चुन कर आ जाते हैं तो पार्टियां नहीं रहतीं । हमें यहां पर काम करना है । जो भी काम करो सोच-समझ कर करो जिससे अपने-अपने इलाके की

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चाव खां)

भलाई हो। अगर भारत देश के अधीन ऐसी कोई बात करते हैं, अपने प्रदेश के लिए भलाई की बात करते हैं तो वह आप लोगों को करनी चाहिए, उसको आप लोगों को मानना चाहिए। आप कोई बात कहते हैं तो भी हमारे साथियों को माननी चाहिए। आप भलाई की तरफ जावें। ऐसे तो बहुत कम आदमी हैं, 134 आदमी हैं। ये तो यह उम्मीद कर रहे थे कि पांच-दस साल सत्ता में रहेंगे लेकिन ढाई साल में ही ये इधर आ गये। अगर आपने भी इसी तरह से काम किया तो ढाई साल तो क्या दो साल बाद आप भी इधर आ जाओगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, दोस्तों, काम करो अच्छा काम करो...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चाव खां : जो कांग्रेस के माननीय सदस्य चुन कर आए हैं, मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरे सामने कोई पार्टी नहीं है। ईमानदारी और सिद्धान्त के अनुसार जो काम होंगे उनको मैं पसन्द करता हूं। जो ईमानदारी, सिद्धान्त के खिलाफ होंगे उनको मैं बुरा मानता हूं। मैं तो सच्चाई का साथी हूं। अगर हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने भलाई के काम किए तो मैं उनकी सराहना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब तो समाप्त करें। काफी बात कह दी है। बढ़िया सलाह दी है आपने। बधाई आपको।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, जब आप कहेंगे, आर्डर प्लीज कहेंगे मैं उसी समय बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ। इस बात को आप मखौल में नहीं डालें, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जो कुछ शब्द उन्होंने कहे उस पर मुझे आपत्ति है। मैं उन शब्दों पर आपत्ति उठाना चाहता हूं। किसी भी माननीय सदस्य के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिव से आने वाले माननीय सदस्य जब इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उस वक्त उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने उनको उत्तेजित किया। उन के बाद माननीय सदस्य नाथूसिंह ने अपने भाषण में तो यहां तक कहा कि सामने बैठने वाले ××× तो शरणार्थियों के लिए जो काम किया था वह कौन थे? किन्होंने उनकी मदद की थी? उस समय हम लोग ही पावर में थे, आप तो स्टूडेन्ट थे। आपको क्या मालूम कि कौन थे और कौन नहीं थे?

श्री नाथूसिंह : मैं भी गया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि गैर जिम्मेदारी वाली बात आप कहें। इस तरह के लांछन हमारे माननीय सदस्यों पर लगाये जाएं तो यह उचित नहीं है। खास तौर से माननीय ह्विप महोदय

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

से, विपक्ष के सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, विरोधी दल के नेता महोदय तो यहां पर मौजूद नहीं है, इस तरह की बात किसी भी माननीय सदस्य के प्रति वे न कहें। अपन इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहनी चाहिए। किसी दूसरी जाति का माननीय सदस्य होने की वजह से उसको दुश्मन राज्य से ताल्लुक रखने वाला कह दिया जाए, यह कोई शोभा की बात नहीं है। यहां पर सभी माननीय सदस्य इस पर एतराज उठाएंगे। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात यहां पर कही है। नाथूसिंह जी, जब आप कोई बात कहते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं, प्रेस की तरफ देखते हैं, ताकि आप जो बात कहें उस सम्बन्ध में आपका नाम मोटे अक्षरों में अखबार में छप जाये। आप कांग्रेस के सदस्य को×××बता कर अपना नाम छपवाना चाहते हैं, यह चलने वाला नहीं है। किसने पाकिस्तान के हमले का मुकाबला किया? हमने किया है और इस देश को पाकिस्तान के हमले से बचाया है। आपने तो कुछ नहीं किया। आप तो उस समय पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद पहली बार यहां चले आये। आपको जिम्मेदारी के साथ यहां पर बोलना चाहिए। मेरी जैसी आदत है, मैं कभी भी बीच में दखल नहीं करता हूं परन्तु क्या करें, नाथूसिंह जी, आपने जिस तरह से गैर जिम्मेदार रूप से यहां पर तकरीर की है उसका इम्पेक्ट लोगों के दिमाग पर पड़ता है इसलिए मेहरबानी कर के आप इस प्रकार की बात न करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रीय कांग्रेस केवल आपकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय खेतसिंह जी ने यह चार्ज लगाया मुझ पर, यह आरोप लगाया कि मैंने किसी माननीय सदस्य के लिये कहा है कि वह××× हैं और मंत्री और विधायकों के लिये कहा। शायद जिस समय मैं बोल रहा था माननीय खेतसिंह जी का ध्यान कहीं और था। अगर मैंने यह कहा है तो सदन की कार्यवाही आप मंगाकर देख लीजिये, टेप भी हुआ है। खेतसिंह जी, मैं आपको चेलेंज करता हूं कि किसी मंत्री का नाम लेकर यहां यह कहा हो कि वह×××है तो या तो सदन से मैं त्याग-पत्र दे दूंगा या आप त्याग पत्र दे देना ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा मैं बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई किसी भी पार्टी का हो, चाहे वह कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस का हो या जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी का हो पार्टी हमारी अलग-अलग हो सकती हैं ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

एक माननीय सदस्य : आपने यह कहा था।

श्री नाथूसिंह : पहले आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय खेतसिंह जी ने यह बात कही...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करिये।

(व्यवधान)

आप बीच में न बोलें।

श्री नाथूसिंह : मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया विराज जाइये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मैंने माननीय अहमद बक्स सिंधी के लिये यह नहीं कहा था। जो शब्द कहे थे वे यह नहीं थे। मैंने इस तरह से नहीं कहा था कि वे × × × हैं। मैंने यह कहा था आपके लिये कि आपके दिल में सौ गलत फहमियां हैं शरणार्थियों के लिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : हम किसी भी पार्टी में हो सकते हैं चाहे कांग्रेस में हों.....

(व्यवधान)

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज : आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : लेकिन मुझे गर्व है जब देश पर संकट आता है उस समय हम सब एक हो जाते हैं। हम अलग अलग, भिन्न-भिन्न पार्टी के हो सकते हैं परन्तु हमारा देश एक है। मुझे इस बात का गर्व है कि उस समय हम एक हैं। इसलिये मेरी ऐसी भावना नहीं थी। माननीय खेतसिंह से कहना चाहता हूं कि जब भी बोलता हूं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं। वह यह कहें कि बुजुर्ग होने के नाते सारी बुद्धि उन्हीं के पास है तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। Mind is not directly proportional to the age एक बात का वे ध्यान रखें कि मैं जब भी बोलता हूं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं जिम्मेदारी वे उधर वालों को सिखायें...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : गैर जिम्मेदारी से बोले हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय चीफ व्हिप महोदय ने कुछ शब्दों के बारे में एतराज उठाया है। माननीय चाव खां ने कुछ कहा, मैं उसके लिये जो उस संबंधी सारी प्रोसीडिंग्स हैं उनको मंगवा कर देख लूंगा। यदि

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

वास्तव में उसमें कुछ अनपार्लियामेंट्री शब्द हैं तो इसके बारे में उचित कार्यवाही की जायेगी। अब मैं....

(व्यवधान)

कृपया. . . .

श्रीमती कमला (पुनर्वास मंत्री) : इसके संबंध में ही है. . . .

श्री अहमद बक्स सिंधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट दीजिये। मुझे जानकारी है.....

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन लिया है। आप अब बैठ जाइये।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस बात का जिस गम्भीरता से और तथ्यात्मक दृष्टि से हल और निराकरण निकालने का विचार था और चर्चा होनी चाहिये थी उसके बजाय कुछ माननीय सदस्यों ने इसको दूसरा रूप देकर के वातावरण को विषाक्त करने की चेष्टा की है। उससे समस्या का हल नहीं निकलता है। इस बात को किसी भी इधर बैठे वाले माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि शरणार्थियों को बसाया नहीं जाय। शरणार्थी जो हैं इस देश के माननीय हैं। शरणार्थी इस देश के माननीय नहीं हैं, उनको तकलीफ है, या राज्य सरकार उनके लिए व्यवस्था नहीं कर रही है और आपको ही उनका सब से ज्यादा दर्द आ रहा है, यह कहते हैं कि उनको बसाने के लिए राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, उनके सबसे ज्यादा हिमायती हम हैं। पर बात यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने उनको बसाने के लिए नीति बनायी है। हम उनको बसाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। उनकी दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने 11 हजार से अधिक जो शरणार्थी आये थे उनमें से बहुत से सुविधाजनक ढंग से उन क्षेत्रों में, जहां बसाया जा सकता था, या पशुधन के आधार पर या कृषि के आधार पर बसाये जा चुके हैं। अन्य स्थानों पर जहां उन्हें सुविधाजनक दृष्टि से नहीं बसाया जा सकता हैं उन्हें राजस्थान कैनाल पर बसाये जाने के लिए भारत सरकार से निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है। मैंने कल एक प्रश्न के उत्तर में आपको निवेदन किया था कि शेष जो शरणार्थी रह गये हैं उनको राजस्थान कैनाल पर बसाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

जहां तक वहां के स्थानीय लोगों का सवाल है, उनकी समस्या के बारे में प्रश्न उठाने वाले माननीय सदस्य ने कहा है वह स्वाभाविक है। जो व्यक्ति वहां पर आदि काल से बसे हुये हैं जिनके परिवारों को शरणार्थियों के बसाने के कारण असुविधा हो रही है, शरणार्थियों को भी सुविधाजनक ढंग से बसाने की कार्यवाही की जा रही है लेकिन साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों के हक-हकूक और जीवन यापन के साधन नहीं जुटें यह भी सरकार की जिम्मेदारी है। जैसा माननीय उप मंत्री महोदय ने बयान दिया, उसमें स्पष्ट किया कि वहां के स्थानीय लोगों के जो हक हकूक हैं वह किसी प्रकार नहीं मारे जायेंगे। उनको सुविधाजनक स्थान पर रखेंगे, प्राथमिकता के आधार पर सुविधा दी जायेगी। इसके लिये भी

(श्रीमती कमला)

सरकार व्यवस्था करने जा रही है। जो आज तक जिलाधीश या एस. डी. ओ. के आवंटन के कारण गलती हुयी है, वहां पर दोनों ग्रुपों शरणार्थी और स्थानीय लोगों में आपस में संघर्ष के कारण अव्यवस्था हुयी है उन सबके निराकरण के लिये एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी को अपनी पूरी टीम के साथ भेजा जाकर सभी समस्या का तत्परता से अध्ययन किया जायेगा और उनके निराकरण के लिये अतिशीघ्र व्यवस्था की जायेगी। मैं इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि जिस प्रकार का वातावरण हम बनाने जा रहे हैं, हमारी धरती पर बसने वाले हैं, जिनको हम भारतीय मानने वाले हैं, उनके लिये कोई व्यक्ति एक बड़ी भारी उपमा देने की कोशिश करे कि वह हमारे सबसे बड़े हैं और दूसरे छोटे हैं दूसरे व्यक्ति उनसे घृणा करते हैं और आप उनको बहुत प्यार करते हैं तो जो इस धरती पर रहने वाले हैं हम सबको प्यार करते हैं। स्थानीय लोगों की भावनाओं का ख्याल करने की भी राज्य सरकार पर बराबर जिम्मेदारी है इसलिये ही शरणार्थियों के हक का ध्यान रखते हुए सरकार पूरी जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। उस पर दूसरे ढंग से किसी मोटिव से कोई बात कहना और किसी प्रकार का आरोप-प्रत्यारोप लगाने का जो सिलसिला हाउस में चला वह अच्छा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार के मामलों पर माननीय सदस्य आगे से गम्भीरता से विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अहमद बक्स सिंधी।

श्री अहमद बक्स सिंधी : अध्यक्ष महोदय, जो सन् 71 से हमारे शरणार्थी भाई पाकिस्तान से आये...

श्री अध्यक्ष : सरकार ने जो वक्तव्य दिया उसके संबंध में कुछ बातें आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री अहमद बक्स सिन्धी : उनके संबंध में गलतफहमी पैदा करने के लिये यह जो फिरकापरस्त लोग हैं जो इसको फैलाने में विश्वास करते है····

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री अहमद बक्स सिन्धी : वह लोग है जो ऐसे प्रश्न उठाया करते हैं। आज उन्होंने··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया इस विवाद को यहीं समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री अहमद बक्स सिन्धी : हमारी गवर्नमेंट वहां पर इन्क्वायरी कराने जा रही है रेवेन्यू आफिसर से उसके लिये एक कमेटी बनाई जाये, इस सदन की कमेटी बनायी जाये। सरकारी आफिसरों पर भरोसा नहीं किया जाये। जो रिपोर्ट कलेक्टर ने भेजी है वह

(श्री अहमद बक्स सिन्धी)
उसकी बनाई हुई नहीं है वह तहसीलदार की बनायी हुयी है। तहसीलदार जिस तरह का बाड़मेर में काम कर रहे हैं। बाड़मेर का तो खुदा ही न्यारा है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनेंगे तो ताजुब होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अहमद बक्स सिन्धी : वक्त आयेगा तब बताऊंगा।

दूसरी अर्ज यह है कि जिन लोगों के कब्जे नाजायज हैं, जिनका कब्जा संवत् 2032 से था, जिनके नियमन के आर्डर हो चुके थे और जिनके पास से जमीन छुड़ा ली गई है उसको वापस दिलायी जाये। वह उनको वापस मिलनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि जिनका संवत् 2032 से कब्जा है उनके नियमन के आदेश हो चुके हैं और जो काबिज हैं और जिनका नियमन नहीं हुआ है, कायदे कानून से उनका नियमन लाजमी है। उनकी जमीन भी अगर नाजायज तौर पर ली है तो दिलाई जाये।

तीसरी बात अर्ज करना चाहता हूं, मैंने इस विषय में रिटें कर दी हैं हाई कोर्ट में। करीब डेढ़ सौ दो सौ मेरे मार्फत हुई हैं। बाकी दूसरों के मार्फत हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने टेम्प्रेरी इन्जंक्शन जारी कर दिये। इन्जंक्शन कन्फर्म कर दिये। फिर भी बाड़मेर का जो प्रशासन है, मैं तो कहता हूं खुदा न्यायी है उनका, उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। उनको अभी तक कब्जे जबर्दस्ती दिलाते रहे। फिर लोगों को पुलिस की मार्फत खेतों और ढाणियों से घसीट-घसीट कर बाहर निकाला और ले जाकर उन पर मुकदमे कायम किये। ऐसे लोग, जिन्होंने यह परवाह नहीं की कि हाई-कोर्ट क्या कहता है, कहते हैं हमने पहले ही कब्जा दे दिया था। यह बाद के आर्डर हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : सही बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अहमद बक्स सिन्धी : गिरदावरी में उनके कब्जे नहीं लिखे गये। इतनी बेईमानी हुई है वहां। किसके इशारे से? पहले जो जनता सरकार थी, उसने उन बेसहारा लोगों को बेघर किया। बिना खेत का बनाया, जमीनें नहीं रहीं उनकी। आप कहते क्या हैं? हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं माना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री अहमद बक्स सिन्धी : क्या किया इन्होंने? चेम्बर में बैठ कर अलॉटमेण्ट करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अहमद बक्स सिन्धी : अभी तक जो काबिज हैं उनकी गिरदावरी नहीं है। माफ कीजियेगा, सामने वालो, क्या कारण है जो नाजायज बेदखली की है? उनकी गिरदावरी बराबर होनी चाहिये। मैंने पटवारी से पूछा तो उन्होंने कहा हमें सरकार का आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अहमद बक्स सिन्धी : धिक्कार है ऐसी सरकार पर जिसने ऐसे आदेश दिये, चुपचाप कानून की अवहेलना की। उन्होंने आर्टिकल 14 की अवहेलना की है। रूल 17 का सहारा लेकर आपने आर्डर निकाला है। यह भूल गये हैं कि लैण्ड रेवेन्यू रूल के 3 से 14 तक की अवहेलना है। यह अवहेलना कर नहीं सकते हैं। यह वह भूल गये हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। काफी समय हो गया।

श्री अहमद बक्स सिन्धी : इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि एक कमेटी मुकर्रर की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब सन् 63 में यह कैम्प शुरू हुआ था तो उसमें जो लोग आये थे उनमें से अधिकांश को तो वहां पर बसा दिया गया है अब ढाई तीन सौ परिवार बचे हैं। उनको राजस्थान कैनाल में भेज रहे हैं। वह जाना नहीं चाहते हैं वहां क्योंकि वह सभी लोग साथ आये थे। अपने भाई-भतीजों को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : मेरा निवेदन है कि उनको वहीं जमीन का अलॉटमेण्ट किया जाये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ भी आश्वासन दिया और हमदर्दी दिखाई, उसके लिए मैं भूमिहीन कृषकों की ओर से आभारी हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि सरकार ने 14-4-77 को नियमन के आदेश दिये हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 1028 परिवार 1977 से पूर्व वहां काबिज हैं। राज्य सरकार ने जो आदेश दिया था उसमें यह बताया है कि एक हैक्टेयर जमीन देने की बात है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह एक हैक्टेयर साधारण भूमि है या फर्टाइल भूमि है या किस प्रकार की भूमि है ?

श्री अध्यक्ष : दोनों में क्या फर्क है, यह तो बताइये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सीलिंग में सीमा निर्धारित की गई है। उसमें अलग-अलग परिभाषा दी हुई है। उस परिभाषा के अन्तर्गत मेरे ख्याल से बाड़मेर में एक हैक्टेयर जमीन 10-12 बीघा के बराबर है। 10-12 बीघा जमीन है तो एक हैक्टेयर के बराबर होगी। अलग अलग डिवीजन में अलग अलग परिभाषा दी है। अध्यक्ष महोदय, 14-4-77 को एस. डी. ओ. साहब ने मीटिंग बुलाई। नियमन की कार्यवाही की गई। वह पूर्ण कर दी। वह पूर्ण करने के बाद एक नोट लगाया है। वह मेरे पास उपलब्ध है। यह सैकण्ड शॉट है। इसमें लिखा हुआ है—

"स्थानीय खातेदारों के पाक जाने से धारा 16 व 63 की उप-धारा (1) के खण्ड 8 के अनुसार वो कृषि भूमि खालसा मानी गई हैं। ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सनद जारी न करने के राज्य सरकार के आदेश हैं।"

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, ये आदेश राज्य सरकार के नहीं है। मैंने यह निवेदन किया था तो आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या राज्य सरकार ने ये आदेश दिये हैं। जो भूमि पाक जाने वाले लोगों से प्राप्त हुई है उसका आवंटन करने के आदेश राज्य सरकार ने निकाले हैं? अगर निकाले हैं तो निश्चित तौर से नियमन नहीं हो सकता था। और अगर इस तरह के आदेश नहीं निकाले हैं तो उप भू-खण्ड अधिकारी ने इस प्रकार का नोट उसके अन्दर किस प्रकार लगा दिया? यह मैं आप से पूछना चाहूंगा। इस स्थिति को आप स्पष्ट कर दें। आपकी बहुत सहानुभूति है, आपका उत्तर भी महानुभूतिपूर्ण था, आप चाहते हैं कि शरणार्थियों को बसायें लेकिन काश्तकार हैं, उनको नहीं हटाया जाये। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि सब डिवीजनल ऑफिसर ने जो कार्यवाही की है वह ठीक थी····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य!

श्री रामरघुनाथ चौधरी : एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। माननीय सदस्य, जो वहां से आते हैं, ने कहा है कि वहां आतंक फैला हुआ था। आपने कहा है कि हमने यहां से एक तार भेजा। 17-7-80 को कलेक्टर को यह आदेश दिया कि पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हो। उनको वहां से निकाला नहीं जाये। यह स्पष्ट होता है आपके ही उत्तर से कि वहां आतंक इसलिए छाया हुआ था कि पुलिस कैम्प लगा कर लोगों को हटा रही थी। आपका तार जाने पर वहां शांति हुई। फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पुलिस नहीं थी? फिर आतंक किस बात का था?

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, स्थिति स्पष्ट है लेकिन जहां तक मैंने समझा है, उन्होंने एक बात कही है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की कमेटी के अभाव में वहां के अधिकारियों ने जो आवण्टन किये हैं, वह सही नहीं हैं। उस अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकारी को आप भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप भूलते हैं जो मूल प्रश्न था वह यह है कि उस समय अलाटमेंट कमेटी नहीं थी। पिछली सरकार के एक अधिकारी ने कमरे में बैठ कर अलाटमेण्ट किये हैं वे निश्चित रूप से गलत हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अहमद बक्स सिन्धी ने जो कमेटी का सुझाव दिया है, वह महत्वपूर्ण है। एक कमेटी का निर्माण किया जाये। सदन की समिति हो जो जाकर यह देखे। मैं समझता हूं कि यह सुझाव समुचित है और यह वाजिब भी होगा। मैं चाहूंगा कि सरकार समिति का निर्माण करके इस समस्या के लिये सुझाव देने की बात करे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं उनका विस्तार से मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया है। मुझे इस बात का खेद है कि मूल समस्या भूमि के आवंटन, भूमि के नियमन, या अनियमन के विवाद को लेकर वर्तमान समय में आतंक है, ऐसा उन्होंने कहा इसके

(श्री रामपाल उपाध्याय)

बजाय तनावपूर्ण वातावरण कहना ज्यादा उचित समझूंगा, वह मौजूद है। जिस तरफ इस समस्या को खींच कर ले गये, मुझे इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहना है। मुझे एक ही निवेदन करना है, माननीय अहमद बक्सजी ने जो बात कही और प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य, जो डेगाना से आये हैं, ने जो बातें कही मैंने उनको स्वीकारा है। इसलिए राजस्व अधिकारियों को वहां पर भेज कर और आवश्यकता पड़ी तो पूरी टीम भेज कर जिस प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हुई हैं, और उन समस्याओं के उत्पन्न होने में चाहे सेक्शन 14 की पालना नहीं हुई है अथवा गलत आवण्टन करने के सम्बन्ध में हो या एक ही भूमि को दो व्यक्तियों को आवंटन कर दिया हो, जो कुछ भी इस प्रकार की समस्यायें हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस कदर समस्यायें रही है उन सारी समस्याओं का निदान राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी जांच करके करेंगे और उनका यथाशीघ्र हल निकाल दिया जायगा। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : समिति का गठन करने में क्या दिक्कत है?

श्री रामपाल उपाध्याय : अभी निवेदन कर रहा हूं।

मैंने यह भी निवेदन किया कि जो भी उच्चाधिकारी वहां जायेंगे वे वहां पर जितने भी जन प्रतिनिधि हैं उनसे सम्पर्क करेंगे और उनको साथ रखेंगे चाहे वे किसी भी दल के हों, सांसद हों, सरपंच हों, विधायक हों उनसे विचार-विमर्श करेंगे। मैं समझता हूं कि जिन-जिन जिलों की और जिन-जिन क्षेत्रों की समस्यायें हैं, ज्वलन्त समस्यायें हैं वहां पर राज्य सरकार अविलम्ब उच्चाधिकारियों को भेज कर वहां के जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर सारी कार्यवाही करेगी, और उन समस्याओं का हल निकालेगी। मैं नहीं समझता हूं कि इसके बाद भी कमेटी बनाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने पहले भी निवेदन किया, फिर अनुरोध करता हूं कि वहां पर राजस्व अधिकारियों को भेजा जायगा और सम्बन्धित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर सारी कार्यवाही की जायगी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैंने एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न किया था, एस.डी.ओ. साहब ने नियमन के नीचे लिखा है राज्य सरकार के आदेश थे। उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप मन्त्री महोदय से चर्चा कर लें। आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मेरे स्थगन प्रस्ताव का दारोमदार इसी पर है, अध्यक्ष महोदय। मैंने इतना सा प्रश्न किया था, अध्यक्ष महोदय, जो नियमन की कार्यवाही 1977 के आदेश के बाद की गई है, अगर

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
एस.डी. ओ. साहब नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। राज्य सरकार के नाम से लिखा है–

"स्थानीय खातेदारों के पाक जाने से धारा 61 व 63 की उप-धारा (1) के खण्ड 8 के अनुसार वो कृषि भूमि खालसा मानी गई हैं। ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सनद जारी न करने के राज्य सरकार के आदेश हैं।" क्या राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं जिसके आधार पर उन्होंने कार्यवाही करने के एक महीने के बाद में इस तरह से लिखा है? अगर राज्य सरकार का आदेश है तो नियमन गलत था और अगर नहीं दिये हैं तो एस.डी.एम. ने गलत कार्यवाही की है? इतनी सी बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष। आर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में अनुरोध करता हूं कि अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई है···

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अनियमितता नहीं ..

श्री रामपाल उपाध्याय : सारी अनियमितताओं की जांच करने के लिये राजस्व अधिकारी वहां पर जायेंगे। वे जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर जनता के साथ उनका अध्ययन करेंगे और सारी स्थिति का समाधान करेंगे।

शासकीय वक्तव्य

हरियाणा से उजीना ड्रेन में अधिक पानी छोड़ना

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई। मन्त्रीजी का वक्तव्य उजीना ड्रेन में अधिक पानी छोड़ने के सम्बन्ध में। श्री नाथूसिंह द्वारा उठाये गये स्थगन प्रस्ताव के बारे में।

श्री नाथूसिंह : मुख्य मन्त्रीजी मौजूद ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले मन्त्रीजी का वक्तव्य होने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मन्त्रीजी दिल्ली गये होंगे।

श्रीमती कमला : आपको क्या तकलीफ होती है दिल्ली जाने से।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी (उप मंत्री सिंचाई) : "जनाबे सदर, एडजोर्नमेन्ट मोशन में यह लिखा है कि सेलाब से मुतासिर इलाकों के बचाव के लिये फौरन अमल करने के लिये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नरों की एक कमेटी तश्कील की गई है। मरकजी आबी कमीशन के रूक्न से टेलीफोन के जरिये बात करने पर पता चला है कि

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। पहले मंत्री जी को सुने लें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : मरकजी सरकार ने कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई है। हालांकि मुअररखी 26-7-80 को मरकजी वजीर बराए आबपाशी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के नुमाइन्दों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जमुना नदी पर दिल्ली से ऊपर अप स्ट्रीम में सैलाब की रोकथाम के कारणों का मुतालया किया गया

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)

था, जिससे राजस्थान पर कोई असर नहीं पड़ता है, और इसी वजह से राजस्थान के नुमाइन्दों को नहीं बुलाया गया था।

हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ओजीना कामां पहाड़ी, गोरधन ड्रेन में पानी के निकासी के इन्तजाम के लिये मरकजी सरकार ने एक सरसरी कमेटी बनाई है, जिसके सदर मरकजी आबी कमीशन के डाइरेक्टर बराए सैलाब हैं और तीनों सूबों के महकमाए आबपाशी सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर व जिले कलेक्टर मजकूरा कमेटी के रूक्न हैं। राजस्थान के कामां पहाड़ी इलाके में हरियाणा इलाके से जो सैलाब का पानी जो पहले आया करता था उसकी हिफाजत के लिये मुकम्मिल इन्तजाम कर लिये गये हैं। पिछले साल मौसमे बरसात से पहले सरलपुरा, बोका व पहाड़ी डिस्ट्रिब्यूटरी के दाहिने किनारे को 6 फीट ऊंचा उठा लिया गया है। कामां पहाड़ी इलाके के डिप्रेशन से पानी निकालने के लिये पम्प नाजिम किये गये हैं। हरियाणा अपने ओजीना इलाके के पानी को निकालने के लिये ओजीना डाइवर्शन ड्रेन तामीर कर रहा है जिससे भी कामां पहाड़ी ड्रेन में पानी लेने का दबाव कम हो जायगा।

इस ड्रेनेज सिस्टम की कमेटी अरकान के इस ड्रेन से मुतालिक कामों का 9, 10 जुलाई को मुआयना किया और बाद में तारीख 23-7-80 को इस कमेटी का दिल्ली में एक इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि हरियाणा खालूखा रेगुलेटर पर मुकर्रर तादाद में ही राजस्थान को 400 क्यूसेक्स पानी देगा और उत्तर प्रदेश कामां रेगुलेटर पर मुकम्मल मुकर्ररा तादाद पर 1040 क्यूसेक्स पानी लेगा। राजस्थान ने मरकजी आबी कमीशन से यह भी दरख्वास्त की है कि अगर किसी सूबे के अफसरान इस कमेटी के फैसले की तामील नहीं करते हैं तो मरकजी आबी कमीशन के अफसरान मौके पर जाकर फौरन फैसला करा दें।

इस इलाके में इस साल अभी तक सैलाब का कोई मसला नहीं है और इस ड्रेन में मुकर्रर तादाद से भी कम पानी चल रहा है।

भरतपुर और दीगर मशरकी राजस्थान के इलाकों को सैलाब से बचाने के लिये सूबाई सरकार पूरी तरह से बाखबर है। इस सिलसिले में सूबाई सरकार ने अपने तौर पर आम मुतालिका महकमा जात की एक बैठक बुला कर बचाव के लिये तमाम अहकामात जारी कर दिये गये हैं। अभी हाल ही में 24-7-80 को सेक्रेटरी व चीफ इन्जीनियर सिंचाई ने इन इलाकों में सैलाब और उससे बचाव के इन्तजामात का मुआयना भरतपुर में इलाकाई आराकीन असेम्बली और जिला अफसरान के साथ किया।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ वर्ष पूर्व से इस ड्रेन में पानी आता है। हरियाणा, यू.पी. और राजस्थान के बीच में फैसला हुआ था कि रेगुलेटर लगे हुए हैं उजीना में और उधर जो ड्रेन है, जो यू.पी. में जाती है वहां रेगुलेटर लगा . . .

श्री अध्यक्ष : यह सब तो आ गया। उसकी पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, बार-बार हरियाणा में

(श्री नाथूसिंह)

उन्होंने रेगुलेटर के दायें हिस्से को तोड़ दिया, जिससे कामां और दूसरे हिस्सों में पानी फैल गया। उसके पश्चात् हमारी सरकार ने कार्यवाही की कि 6 फीट दीवार को ऊपर उठा दिया, जिससे उनको खतरा हो गया, जिससे वह पानी इधर न आकर उधर ही चला गया। तब जाकर के उन्होंने राजस्थान से बातचीत की। वरना पहले वह बात करने को तैयार नहीं थे। इसमें कोई विशेष पार्टी का था उसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अभी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया वहां पर।

श्री अध्यक्ष : वह अलग बात है। मंत्री जी ने इसका जवाब दे दिया है। वह दिल्ली शहर को बचाने के लिये था।

श्री नाथूसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि इस ड्रेन का मसला अकेले राजस्थान से सम्बन्धित नहीं है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी सम्बन्धित है। इसलिए राजस्थान पहल करे, क्योंकि जब तक उजीना और अडवाना दोनों डाइवर्शन नहीं बनेंगे समस्या ऐसी ही बनी रहेगी। कभी भी बाढ़ आ सकती है। अगर बाढ़ आ गई तो क्या स्थिति होगी? अभी आप कह रहे हैं कि पानी कम है। फिर कभी हरियाणा ने यदि रेगुलेटर को खोल दिया और यू.पी. ने पानी बन्द कर दिया तो उस स्थिति में क्या होगा? उस समय आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो सवाल यह है कि इस समय आप इन तीनों प्रदेशों की कमेटी बनायें और कमेटी बनाकर के निर्णय लें। उनसे यह पूछें कि कब तक ये दोनों डाइवर्शन बन कर तैयार हो जायेंगे?

जैसा कि राजस्थान ने प्रस्ताव किया है, जो आपकी प्रगति रिपोर्ट आयी है उसमें स्पष्ट लिखा है कि हरियाणा के उजीना डाईवर्शन और उत्तरप्रदेश के अडवाना डाइवर्शन बन रहे हैं। राजस्थान का प्रस्ताव है कि इन दोनों योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाये जिससे राजस्थान का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित न हो। तो क्या आपने उनसे बातचीत की? मेरा प्रश्न यह है कि हमारी खेती नष्ट होती है, जान-माल की क्षति होती है वह बचे, आपने इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की? उन दोनों डाइवर्शन्स का कितना काम हो चुका है और कितनी प्रगति हुई है? उसके अलावा हरियाणा और यू. पी. से कब-कब, कितनी-कितनी और कहां-कहां बातचीत की। हमारा जो प्रस्ताव है, उसका क्या हुआ? इस बारे में आप स्पष्ट जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आपने जो बाढ़ से बचने हेतु प्रबन्ध की बात की है, यह तो मन्त्री जी ने बता दिया, कौन-से बांध कब बनेंगे। कब ठेके होंगे, यह अलग से प्रश्न है। सम्बन्धित प्रश्न होना चाहिए।

श्री नाथू सिंह : यह डाइवर्शन्स जब तक बन कर तैयार नहीं हो जायेंगे तब तक बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है? यह राजस्थान का प्रस्ताव है, दोनों डाइवर्शन्स को जल्दी बनाया जाये और जल्दी से जल्दी उसका काम शीघ्र पूरा किया जाये। आपने उनसे बातचीत की इसके बारे में। मान लीजिये, अध्यक्ष महोदय, बाढ़ आ गई या वर्षा हो गई तो क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : आपको यह पूछ लेना चाहिए था कि यह कब तैयार होना है? यही प्रस्ताव दे देते कि यह बनी नहीं है। यह

(श्री अध्यक्ष)
बन कर तैयार होनी चाहिए, इसकी क्या प्रगति हुई है। उस पर स्टेटमेंट . . .

श्री नाथू सिंह : स्टेटमेंट इसलिए जरूरी है, हमें यह जानकारी इसलिए मांगनी पड़ी कि इस बारे में मंत्री जी ने पहले जो जानकारी दी है या जो प्रगति रिपोर्ट आई है उसमें भी पूरी जानकारी नहीं है, पांच लाइन लिख दी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर दें।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बाढ़ से सम्बन्धित है। हम जानते हैं कि जब तक तीनों प्रदेश सरकारें उत्तर-प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ये चारों साथ साथ बैठ कर समस्या का हल नहीं निकालतीं तो तजुर्बा यह रहा है कि हम अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र से जितना पानी फेंकना होता है उस पर समझौता होना चाहिये। यदि उजीना ड्रेन के टूट जाने से या किसी और वजह से पानी छोड़ देते हैं तो बराबर आब्जेक्शन होता है। फिर यू. पी. वाले अपने रेगुलेटर खोलते नहीं हैं और उसकी वजह से सारा राजस्थान का इलाका पानी से भर जाता है। इन मौके पर इतनी बड़ी मीटिंग हुई बाढ़ के सम्बन्ध में, राजस्थान सरकार की उसमें नुमाइन्दगी न होना यह प्रश्न है, मेरे ख्याल से। तो फिर ऐसा क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है। आप समझे नहीं हैं प्रश्न को। मीटिंग हुई थी। आपने जिसका जिक्र किया वह दिल्ली शहर को बचाने के लिए मीटिंग हुई थी। आपने जो कहा कि राजस्थान के लिए हो तो मंत्री महोदय का वक्तव्य भी आया है।

श्री राज बहादुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिये जब तक इसमें दिल्ली शहर, गुडगावां, जिला सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर और मथुरा एवं आगरा ये 5–6 जिले जो हैं इनके जल के उपयोग, निकास का समूचे क्षेत्र के आधार पर प्रबन्ध नहीं होगा तब तक बराबर यही समस्या आती रहेगी। जो ईश्वरीय वरदान है पानी का वही वरदान अभिशाप में बदल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप लम्बे समय में बोल रहे हैं।

श्री राजबहादुर : इतना ही निवेदन करना चाहता हूं इस मौके पर कि जहां ऐसी बाढ़ का सवाल है, हम जो कुछ पड़ोस में होगा उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अगर दिल्ली को बचाने का सवाल होता है, हरियाणा को बचाने का सवाल होता है तो राजस्थान को अपने बचाव के कार्य को प्रारम्भ करना पड़ता है। यह जरूरत थी और मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा ही मौका एक और भी आया था ओखला वैराज के पुनः निर्माण का, राजस्थान छोड दिया था, उसमें भी राजस्थान को शामिल नहीं किया गया था। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें देखना चाहिए इस बारे में कि जहां कहीं ऐसे मौके हों उनका उचित उपयोग हो क्योंकि उसका असर हम पर भी होगा चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, उसमें हमें जरूर शामिल होना चाहिए। मैं फिर जानना चाहूंगा कि बाढ़ से बचने के लिए उन्होंने

(श्री राजबहादुर)

जो फैसले किये हैं, उन फैसलों में यह ध्यान कहां तक रखा गया है कि राजस्थान का कोई इलाका बाढ़ की चपेट में नहीं आये ? ऐसे फैसले में आपका ध्यान रखा गया ? क्या आपसे कुछ पूछा गया ? वह जो फैसले करेंगे उनका असर हमारे ऊपर पड़ेगा, आप इससे इन्कार नहीं कर सकते। इन्कार नहीं करते तो फिर उन फैसलों का जो हमारे ऊपर असर पड़ता है, उससे बचेंगे कैसे ?

लेकिन जहां तक इसका सवाल है, मैं कहूंगा कि यह जाहिर है कि हमारे राजस्थान के ऊपर असर पड़ेगा उन फैसलों का जो दिल्ली की मीटिंग में हुए हैं। क्या आपने उन फैसलों के लिए हमको बाखबर किया है ? क्या उनके बारे में आपकी तरफ से कोई तफतीश हुई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से 2–3 सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि बाढ़ से संबंधित है। एक सुझाव तो मैं देना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों से हम कोशिश करते रहे कि खालूं गा रेगुलेटर जो है, उसके उपर उजीना रेगुलेटर और उत्तर-प्रदेश में जो गोवर्धन ड्रेन जाती है उसका रेगुलेटर इन तीनों रेगुलेटरों को केन्द्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हरियाणा में बाढ़ आती है तो उजीना ड्रेन का ऊपर का रेगुलेटर वह खोल देते हैं उससे सब समस्या उत्पन्न हो जाती है। पिछली बार पूरा सदन यह प्रयत्न करता रहा, राज्य सरकार यह प्रयत्न करती रही, केन्द्र से आग्रह करते रहे। हरियाणा वाले बात करने को तैयार नहीं होते थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी भी मीटिंग हो, वह पधारें। मैं नहीं जानता कि वह अलग बात है। आगे पूरी कोशिश करें कि तीनों रेगुलेटर केन्द्रीय सरकार के हाथ में आ जायें या तीनों राज्यों की मिली-जुली समिति बनाई जाये जो इसको देखे।

मेरा एक दूसरा व्यक्तिगत सुझाव है। माननीय मंत्री जी को कुछ दिनों में वहां जाना चाहिए निश्चित रूप से, व्यक्तिगत रूप से जाना चाहिए। आप अपने साथ में कुछ सिंचाई अधिकारियों को व उस क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को भी ले जावें। वहां पर, अध्यक्ष महोदय, वायरलैस सैट लगे हुए हैं ताकि हमें वक्त पर सूचना दे सकें। अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा हुआ है कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अचानक आती है। रात के समय वह लोग छ: फीट ऊंचा उठाए हुए हिस्से को तोड़ देते हैं जिससे भरतपुर और उसके आस-पास का सारा इलाका तबाह हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पुलिस फोर्स लगायी हुई है और मिलिट्री भी रहती है लेकिन हरियाणा वाले ऐसी वारदातें करते हैं कि जिससे वायरलैस से सूचना नहीं हो सकती है। कई बार वह वायरलैस को खराब कर देते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह अपील करना चाहूंगा कि वह भरतपुर को फ्लड से बचाने के लिए हरियाणा जावें, अपने साथ में जन प्रतिनिधियों को ले जावें, सिंचाई अधिकारियों को अपने साथ ले जावें और सारी स्थिति देख कर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
इसके लिए उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्टेटमेंट सदन में पढ़ा है वह शायद माननीय सदस्यों को समझ में नहीं आया। वह उसे शायद समझ नहीं पाये हैं। मैं उसमें से दुबारा एक छोटा सा पैरा, जो संबंधित है, पढ़ कर सुना देता हूं।

राजस्थान के कामां पहाड़ी इलाके में ...

श्री नायूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की भाषा हिन्दी है और हमारे देश की भाषा हिन्दी है तो मंत्री महोदय उर्दू में क्यों पढ़ रहे हैं? उर्दू हमारे समझ में नहीं आती है, इन्हें कहें कि हिन्दी में पढ़ें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने हिन्दी में बयान पहले पढ़ा। वहां तो आप कहते हैं कि हिन्दी इनको बराबर नहीं आती है। मैं खुद चाहता हूं हिन्दी सीखूं।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : आप चाहें तो उर्दू बोलिये पर आसान उर्दू बोलिये। इतनी सख्त और सकील उर्दू मत बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आप तो, मंत्री महोदय, अपनी घरेलू भाषा में बोलिये ताकि सभी समझ जावें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : राजस्थान के कामां पहाड़ी इलाके में हरियाणा से ओजीना इलाके से सैलाब का पानी जो पहले आया करता था उससे हिफाजत के लिए मुकम्मिल इन्तजाम कर लिये गये हैं। पिछले साल मौसमे बारां से पहले सालपुरा बान्ध व पहाड़ी डिस्ट्रिब्यूटरी के दाहिने किनारे को 6 फीट ऊंचा किया गया था। कामां पहाड़ी इलाकों के डिप्रेशन से पानी निकालने के लिए पम्प भी लगा दिये गये हैं। हरियाणा अपने ओजीना इलाके के पानी को निकालने के लिए ओजीना डाईवर्शन ड्रेन तामीर कर रहा है जिससे भी कामां पहाड़ी ड्रेन में पानी का दबाव कम हो जायेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अब पानी आने की उम्मीद नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यहां पर मेरा मंत्री महोदय से मतभेद है। अब वहां पर री मार्डलिंग हो चुका है। ओजीना रेगुलेटर को तोड़ दिया गया है।

श्री राजबहादुर : पहले भी काफी बार ऐसा हो चुका है उसको तोड़ दिया गया है। मेरा सुझाव है कि आप वहां पर जावें मौके पर और साथ में अपने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ले जावें तथा जन प्रतिनिधियों को भी साथ ले जावें और सारा मौका देखें तो उचित रहेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले भी आपको पता होगा कि काफी ध्यान रखने के बावजूद तोड़ दिया गया।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वहां तीन रेगुलेटर हैं। सारी व्यवस्था है दूसरे वहां पर एक को-आर्डिनेशन कमेटी इसके लिए बनाई हुई हैं, हमारा नुमाइन्दा उसमें जाता है।

श्री नाथूसिंह : खास बात तो यह है कि जब तक उजोना डाइवर्शन नहीं बनाया जायेगा तब तक स्थिति ठीक नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें इतने प्रश्नोत्तर नहीं होते हैं। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

इस प्रश्न पर आपने वैसे भी काफी समय ले लिया है।

बजट पर सामान्य वाद-विवाद श्री बजारी। चूंकि श्री बजारी का भाषण कल अधूरा ही रह गया था अब वह अपना भाषण पांच मिनट में पूरा कर लें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था। हमारे वहां पर काश्तकारों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है उनके अलाटमेन्ट कैंसिल किये जा रहे हैं। आज मेरे को स्थगन प्रस्ताव दिए हुए 24 घन्टे से अधिक समय हो गया है पर पता नहीं उसका क्या हुआ, कोई जवाब नहीं आया। सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। आखिर कोई हद होती है। मैं इसके विरोध में सदन में धरना धर के बैठ जाऊंगा।

मैं देखता हूं आखिर कब तक इसका फैसला नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : क्या मामला है? आप क्या कर रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : वह सदन में धरना धर के बैठ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या तकलीफ है?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसमें मैंने यह निवेदन किया है कि जिन लोगों को चार पांच वर्षों पहले जमीन का अलाटमेन्ट नियमत रूप से हो चुका था, उनको बिना कारण और सबूत के उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उनके अलाटमेन्ट को कैन्सिल किया जा रहा है। उनकी जमीन खारिज की जा रही है। आज चार दिन हो गये हैं, आपके पास उसकी रिपोर्ट नहीं आई। किसानों से जमीन का कब्जा लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चार दिन के बजाय दो दिन भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। आप, माननीय सदस्य, इस प्रश्न पर सदन में धरना देकर बैठे हैं। आखिर आपको अपनी बात कहने के लिये पहले सारे नियम तो पढ़ लेने चाहिये। आप दो लाख लोगों को रिप्रेजेन्ट करते हैं और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यह आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा तो व्यवहार खराब है। मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : पर यह तो कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : हमारे वहां पर किसानों की जमीन खारिज की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : पर इस तरह से आप जमीन थोड़े ही ले लेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अगर इस तरह से जमीन नहीं देंगे तो मुझे बाहर का तरीका भी आता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। अंकित नहीं हो। आपको नियमों का ध्यान रखना चाहिये।

श्री देवीसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आपको मालूम होना चाहिये कि आसन के बहुत बड़े अधिकार होते हैं। माननीय सदस्य, असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। आपको आसन के आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। आपको सदन से बाहर निकाला जा सकता है। सदन चले जितने दिनों तक सस्पेन्ड भी किया जा सकता है। आपका असामान्य व्यवहार है। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : आखिर स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? लोगों की जमीनें खारिज की जा रही हैं।

श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं। इन्हें सूचना की जरूरत है, वह लालायित हो रहे हैं कि आखिर इनको सूचना कब मिलेगी। सरकार कब तक उत्तर दे सकेगी।

श्री अध्यक्ष : शीघ्रातिशीघ्र। आखिर आपका स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास गया है वहां पर यह देखना पड़ेगा कि कौन-कौन सी जमीन खारिज हो रही है और किन कारणों से वह जमीन खारिज हो रही है। इतनी ताकीद करने से कोई एकदम जमीन खारिज होना बन्द नहीं हो जावेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आने का कोई समय तो हो।

श्री अध्यक्ष : इसका कोई समय नहीं हो सकता है। एक प्रश्न का उत्तर पांच घन्टे में भी आ सकता है और एक प्रश्न का उत्तर पांच दिन में भी नहीं आ सकता। आप मेरे पास आकर चैम्बर में मिलिये। मैं आपको बता दूंगा।

घोषणा

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

बजट के सामान्य वाद-विवाद पर जो अलग-अलग पार्टियों को समय का बंटवारा किया गया है वह इस प्रकार है। कांग्रेस आई, पार्टी 13 घण्टे और 30 मिनट। इसमें से 6 घण्टे और 15 मिनट उन्होंने ले लिये हैं और अब उनके 7 घण्टे और 15 मिनट बाकी हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को तीन घण्टे दस मिनट का समय अलॉट था उससे उन्होंने 2 घण्टे 15 मिनट का समय ले लिया है और अब उनके शेष 55 मिनट रहे हैं। प्रगतिशील दल को एक घण्टे का समय दिया गया था उसमें से उन्होंने 48 मिनट के समय का उपयोग कर लिया है अब उनके 12 मिनट बाकी हैं। जनता पार्टी जे. पी. को 40 मिनट का समय दिया गया था उसमें से उन्होंने दस मिनट के समय का उपभोग कर

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोकित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

लिया है और अब उनके शेष 30 मिनट रहे हैं। जनता (एस) को 40 मिनट का समय दिया गया था उन्होंने 50 मिनट का समय ले लिया है अब उनका कोई समय शेष नहीं है। कांग्रेस (अर्स) को तीस मिनट का समय दिया गया था, उन्होंने कोई समय नहीं लिया अतः उनका 30 मिनट का समय शेष है। सी.पी.आई. को दस मिनट का समय दिया गया, उन्होंने कोई समय अभी तक नहीं लिया है इसलिए दस मिनट का समय उनका शेष है। सी.पी.एम. को दस मिनट का समय दिया गया था, उनका भी दस मिनट का समय शेष है। निर्दलीय सदस्यों के लिए दस मिनट का समय था उन्होंने भी अभी तक कोई समय नहीं लिया, उनका दस मिनट का समय शेष है।

मैं माननीय सदस्य कांग्रेस (आई) पार्टी वालों से खास तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनके बोलने वाले सदस्यों की सूची बहुत है इसलिए वह समय का ध्यान रखें। एक सदस्य को सात से लेकर दस मिनट का समय दिया जायेगा। अन्य दलों के जो माननीय सदस्य बोलें मैंने आपसे निवेदन किया है कि उनका जितना समय शेष बचा हुआ है उनके नेतागण भी बोलना चाहेंगे, उसके हिसाब से अपने भाषण को सीमित करें। अब मैं श्री विष्णु प्रकाश बजारी से निवेदन करूंगा कि वह अपना भाषण पांच या सात मिनट में समाप्त करें और उसके बाद कांग्रेस (अर्स) के नेता बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो बोलेंगे हमने सूची दी है। आज जो सूची दी है उसमें मेरा निवेदन है कि जो क्रम है उसको थोड़ा बदल दें।

श्री अध्यक्ष : आप दुबारा सूची दे दें मैं उसके अनुसार कर लूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इनके बोलने के पहले थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना आने वाली बात है उसमें मैंने निवेदन किया था और आपने कहा था कि मैं निर्णय दूंगा कि 24 घण्टे के अन्दर उसका कुछ आ जाये और उस पर चर्चा हो जाये। हां या ना जो कुछ होना है हो जाये। इस विषय में आप निर्णय दें। क्योंकि कारण क्या होता है कि कई दिनों बाद उत्तर आता है तो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं होते ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी के समय में तो 15-15 दिन जवाब नहीं आता था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खेतसिंहजी, हम तो उसी दिन दे देते थे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यथाशीघ्र मंगाने की कोशिश की जायेगी। यदि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसमें दुबारा ताकीद की जायेगी और उसके बाद में भी यदि सूचना नहीं आती है तो आसन जल्दी से जल्दी सरकार को वक्तव्य देने के लिए बाध्य कर सकता है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आसन और कुछ नहीं कर

(श्री अध्यक्ष)

सकता। उसके बाद भी यदि माननीय सदस्यों को शिकायत है तो मुझसे चैम्बर में मिल लिया करें। मैं अन्य व्यवस्था के लिए सोच सकता हूं।

श्री बजारी।

आय-व्ययक पर
सामान्य वाद-विवाद

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अपने कल के भाषण में बताया उससे आगे निवेदन कर रहा हूं। हमारे कोटा से आये माननीय सदस्य जिन्होंने बड़े आंकड़े इस सदन में प्रस्तुत किये, बड़े-बड़े आंकड़ों के भाषण दिये उनसे मैं नम्र निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि जब 2।। वर्ष तक उनका शासन रहा उस समय उन्होंने क्या किया?

(1.44 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

उन्होंने अपने बजट पेश किये और उन पर कार्यवाही की तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि कितना बिजली का उत्पादन हुआ। उन्होंने यह आंकड़े बताने की कोशिश नहीं की कि कितने यूनिट 1977 के पूर्व बिजली का उत्पादन होता था। हमारी सरकार जब थी उस समय राजस्थान के अन्दर कितने यूनिट बिजली का उत्पादन था और 1980 के अन्दर जिस समय उन्होंने सरकार छोड़ी उस समय बिजली का उत्पादन क्या था। इसी प्रकार मैं उन माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि 1977 के अन्दर जब हमने उनको शासन संभलाया, उस समय सीमेन्ट का उत्पादन कितना था और जिस समय उन्होंने हमें शासन संभलाया उस समय राजस्थान के अन्दर सीमेन्ट का उत्पादन कितना था। अब आप लोहे को लीजिए। जिस समय हमने शासन दिया उस समय लोहा भारतवर्ष से विदेशों के अन्दर भेजा जाता था और उस समय उसका भाव 1 रुपये 50 पैसा किलो था। जिस समय उन्होंने शासन संभलाया, आज नौबत आ गयी है कि लोहा हमें आयात करना पड़ रहा है और मार्केट भाव 4 रुपये 50 पैसा प्रति किलो है।

इसी प्रकार से मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी-बड़ी सिंचाई योजना की बात की। मैं उन माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि उनके खुद के इलाके में, कोटा के अन्दर जो चम्बल नदी पर छोटा बांध है, ढाई वर्षों में वह बांध नहीं बनवा सके इससे ज्यादा शर्मनाक बात उनके लिए और नहीं हो सकती।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदया, मैं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी बड़ी-बड़ी योजनायें उन्होंने रखीं, बड़े-बड़े भाषण दिये लेकिन सिंचाई के अन्दर उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। अगर सिंचाई के अन्दर अच्छा कार्य किया होता और किसानों को लाभ दिया होता, किसानों को फायदा पहुंचाया होता, उन तक पानी पहुंचाया होता, बिजली के उन्होंने आंकड़े दिये कि हमने गांवों के अन्दर इतने कनेक्शन दिये, कुओं को इतने कनेक्शन दिये लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह सब हुआ होता तो आज उनकी दुर्दशा जो आज हम देख रहे हैं यह हरगिज नहीं होती। आज राजस्थान की जनता

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

उनके निकम्मे प्रशासन से तंग आकर उनको आज जिस जगह वे मौजूद हैं, इस जगह नहीं भेजती।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने शासन काल में आज तक बड़े-बड़े भाषण दिये हैं कि इन्जीनियरिंग कालेज खुलना चाहिए, फलां जगह यह होना चाहिए, फलां जगह विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने शासन काल के अन्दर राजस्थान में कौनसा इन्जीनियरिंग कालेज खोला कौनसा विश्वविद्यालय खोला ? आज दुनियां भर की बातें करते हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने एक भी भाखरा नागल बांध जैसा बांध ढाई वर्ष में बनवाया। यदि किसी भी बांध का उद्घाटन अपने हाथ करवाया होता तो हम समझते कि उन्होंने अपने शासन में बहुत कुछ किया लेकिन, माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने शासन काल में काम कुछ नहीं किया। सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े देते रहे और इसका नतीजा यह हुआ कि भारत की जनता ने उनको रद्द कर दिया और उसका नतीजा आप और हम सब देख रहे हैं।

इसके साथ ही, मैं आपके माध्यम से उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार राज कर रही है उसे शासन करने दें। हमारा शासन भारतवर्ष की जनता ने 28 वर्ष देखा है और इसके पश्चात् उन्होंने हमें वापस भेजा है। जनता ने उनके शासन की खराबियां भी देख लीं और हमारे शासन की भी देख लीं। आखिर भारत की जनता बहुत समझदार है, होशियार है। उन्होंने समझ कर जो उनके शासन में निष्क्रियता थी, जो उन्होंने उत्पादन नहीं किया, जो उन्होंने उत्पादन को गिरा दिया और जिस समय देश आजाद हुआ उस समय देश के अन्दर सुई तक का उत्पादन नहीं होता था, उसको बढ़ाते बढ़ाते 28 वर्ष के अन्दर हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने देश को इस जगह तक पहुंचा दिया कि हवाई जहाज तक हमारे देश में बनने लगे हैं। बड़े-बड़े बिजली घर हमारे देश में बने। उनके साथ ही साथ अणु बिजली घर जैसे बड़े-बड़े बिजली घर हमारे देश में बने और भाखरा नांगल बांध और माही योजना और बड़ी बड़ी योजनायें बना कर इस देश को जिस समय आपको संभलाया था तो पूर्ण आत्म-निर्भर थे, उत्पादन की दृष्टि से पूर्ण आत्म-निर्भर थे, और आज जब कि सन् 80 में आपने हमको शासन संभलाया है तो आप देखिये कि आज सीमेन्ट नहीं है। बिजली नहीं है, कोयला नहीं है। आपके शासन काल में ट्रेन कोयले के अभाव में बन्द कर दी गयीं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। जिस समय हमारा शासन था उस समय कोयले के वैगन उपलब्ध थे लेकिन इनके शासन काल में आप रिकार्ड उठा कर देख लें कि वैगनों की हालत यह होगी कि इन्डस्ट्रीज वाले आर्डर देते हैं कि उनको वैगन मिलने चाहिए लेकिन 6-6 महीने तक वैगन उपलब्ध नहीं होते। जिसके कारण से देश की इन्डस्ट्रीज घाटे में जा रही हैं और देश में महंगाई बढ़ रही है। उसका मुख्य कारण है महंगाई और आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई हमारे कारण नहीं बढ़ रही है, महंगाई तो इन्होंने जो कुकर्म किया है इन्होंने जो उत्पादन गिराया, इन्होंने जो

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

बिजली का उत्पादन गिराया उसके कारण से आज मंहगाई बढ़ी है। मेरे से पूर्व एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में बताया था कि जिस समय गन्ने का उत्पादन हो रहा था, किसान काफी गन्ना फैक्ट्रीज को देना चाहते थे लेकिन उसके भाव उस समय की निकम्मी सरकार ने 6 रु. क्विन्टल के रखे थे जो कि उत्पादन खर्चे में भी नहीं आता था। उसके कारण से मजबूर होकर किसानों को गन्ने को आग लगानी पड़ी और इसी कारण से देश में चीनी का अभाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : Good performance.

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने जिस प्रकार से आंकड़ों के माध्यम से यह बताने का कोशिश की कि हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया, हमारा बजट निकम्मा है और दिशाहीन है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनके जमाने में जो उन्होंने बजट पेश किये वह वास्तव में जरूर दिशाहीन और निकम्मे थे। मैं एक निवेदन आपके माध्यम से और करना चाहूंगा। स्टेट रोडवेज के अन्दर, 1979 के अन्दर, मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है, 4.5 करोड़ रुपये का घाटा उन्होंने सौंपा है। इन्होंने इतना बढ़िया शासन करके हमको शासन संभलाया है। मेरा आप से निवेदन है कि हमारे मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। आंकड़ों से कुछ नहीं होता, वह वर्ष के अन्त में मालुम पड़ेगा कि हमारी सरकार ने क्या काम किया और इनकी सरकार ने क्या काम किया। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राज बहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय सभानेत्री जी, मैं बजट पर चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान का निष्पक्षता के साथ किस बात में हम भला सोच सकते हैं उसी दृष्टिकोण से कुछ निवेदन करूंगा।

बजट का मुख्य अभिप्राय क्या होता है इस विषय पर विस्तार से कहने लगूं तो बहुत ज्यादा समय लग जायेगा। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मुख्यत: दो अभिप्राय होते हैं। एक तो यह कि क्या हमारा विजन है, क्या हमारी दूरदृष्टि है जिसके द्वारा जो कुछ भी साधन हमारे पास हैं, जो भी सम्पदा हमारे पास है, उसका उचित उपयोग करके अपने प्रदेश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को किस तरह से ऊंचा करें, कैसे बचायें और शीघ्रातिशीघ्र विकास की उस सीमा पर पहुंच जायें कि जहां हमारी समस्यायें स्वयं सुलझने लगें। एक टेक ऑफ स्टेज हमें मिल जाये। खेद है कि इस बजट में हमें इसका कोई संकेत नहीं मिला। एक नई दिशा दी जायेगी, एक नया मोड़ दिया जायेगा, केवल यही कहा गया है लेकिन सही बात यह है कि इस बजट को अगर देखा जाये तो वस्तु स्थिति यह है कि प्रेसीडेंट रूल में ब्यूरोक्रेसी ने, अधिकारियों ने जो कुछ भी सोचा

(श्री राजबहादुर)

है, जो कुछ आंकड़े उनके पास थे, वह इस बजट की लम्बी चौड़ी पुस्तक में रख दिये गये हैं। वास्तव में यह आफिसरों का बजट है। जो भी पुराने बजट थे उनमें किसी में 5 पर्सेंट, किसी में 10 पर्सेंट बढ़ा घटा कर यह बजट हमारे सामने रखा है। कोई नई दिशा अथवा नया मोड़ देखने को नहीं मिलता। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं आज की स्थिति के बारे में, किन्तु मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं इस बहस में नहीं जाता कि आप जो उधर बैठे हैं वह गलत है या वह जो उधर हैं वह गलत हैं। राजस्थान कैसे ठीक हो सकता है, यह देखने की बात है। जहां तक स्थिति की बात है केवल शासक दल के दो माननीय सदस्यों ने ही सदन में जो वक्तव्य दिये हैं, या चर्चा में हिस्सा लिया है उनकी ओर ही ध्यान दिलाना पर्याप्त मानूंगा। श्री बृज सुन्दर शर्मा और रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया कि आज जो रुपये का मूल्य रह गया है उससे ही हमारे विकास की सीमाओं का मूल्यांकन होगा। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो हमारा अ-कर राजस्व है वह हमारे बजट का मुख्य आधार होना चाहिये। तीसरी बात उन्होंने कही, प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में बंगलिंग की, घोटालों की, उस बात पर नहीं जाऊंगा। रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने कहा कि 85 करोड़ का घाटा 100 करोड़ और 125 करोड़ हो जायेगा। मैं मानता हूं मितव्ययता बिना किसी इरादे के, मजबूत इरादे के, पक्के इरादे के, सूझबूझ के नहीं होती। टैक्स कम करके या टैक्स न लगाकर हम किसी मन्जिल पर पहुंच सकेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। केवल एक उदाहरण के रूप, में माननीय सभानेत्री जी, मैं सदन को कहना चाहूंगा कि There is no evidence that tax reduction on materials have much impact on prices. न तो औद्योगिक उत्पादन पर ही न मूल्यांकन पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। 70–71 के बजट से लेकर 79–80 के बजट तक, केन्द्रीय बजट में हाइएस्ट टैक्स जो लगाये गये थे वह सन् '78–79 में जनता सरकार ने लगाये थे, श्री एच. एम. पटेल साहब ने। उससे पिछले वर्ष 142 करोड़ का कर भार था उन्होंने बढ़ा कर 78–79 में 550 करोड़ रुपये के कर लगाये यानि 408 करोड़ रुपये के ज्यादा कर लगाये पहले के मुकाबले फिर भी प्राइसेज बढ़ी नहीं कम ही हुई उत्पादन भी 8 पर्सेन्ट बढ़ा। दूसरी ओर 72–73 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 500 करोड़ के कर थे उससे पिछले वर्ष उन करों को घटा कर 183 करोड़ पर ले आये फिर भी प्राइसेज 10 पर्सेंट बढ़ीं। इस तरह केवल कर नहीं लगाकर या कर कम करके ऐसा कहें कि हम मूल्यों पर काबू पायेंगे, यह कहना युक्ति संगत नहीं मालूम पड़ता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के संदर्भ में हमें यह देखना है कि हम किस प्रकार से प्राइसेज कम करें। क्या योजना है हमारे पास प्राइसेज कम करने के लिये ? बड़ी नम्रता से विनती करना चाहता हूं कि प्राइसेज निर्धारित करने का फैक्टर पर नहीं, अनेक फैक्टर होते हैं। अनेक फैक्टर से मूल्य निर्धारित होते हैं। अगर आप प्राइसेज कम करना चाहते हैं तो ट्रान्सपोर्टेशन की कास्ट कम कीजिये सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कह

(56)

(श्री राजबहादुर)

रहा हूं उसे कम करते हैं तो कुछ असर पड़ेगा। आपने अपने बजट में उल्टी बात की है। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट घटाई नहीं बढ़ाई है और काफी बढ़ाई है। पिछले वर्षों में चौगुनी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ी है और इसके आंकड़े मौजूद हैं। आंकड़े खुद आपके हैं। चार गुणा मूल्य बढ़े हैं। दूसरी चीज होती है पावर की। पावर की उपलब्धता हो। तीसरी चीज होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग मशीनरी ठीक हो। चौथी चीज होती है मनी का प्रसार ज्यादा न हो। जितना रुपया मार्केट में बढ़ेगा, उतनी ही कीमतें बढ़ेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। मूल्य सूचक अंक मुख्य मंत्री जी के भाषण में जो दिया गया है वह 1976 में 382 था और 1979 में बढ़ कर 480 हो गया। पिछले 26 हफ्तों में 26 पाइन्ट बढ़ा है। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं, यह सरकार के आंकड़े हैं जो अखबारों में आये हैं। आप खुद सोच लें, मूल्य सूचक अंक किस तरह से बढ़ रहा है। आपने दो इन्सटालमेंट्स डी. ए. की दीं, बड़ी खुशी की बात है। वह फरवरी से मई तक मूल्य सूचक अंकों के आधार पर दी हैं। जून और जुलाई में जो बढ़ा है उसका डी. ए. और देना पड़ेगा। 14 करोड़ तो आपने दे दिया। न जाने कितने करोड़ और देना पड़ेगा उनका भार बढ़ेगा। 8 रुपये से 30 रुपये महंगाई भत्ता बढ़ेगा। 800 पैसे तीस दिन में, क्या हुआ 24 पैसे रोज, 24, 25 पैसे रोज की राहत मिल भी गयी तो क्या हुआ एक चाय का प्याला भी नहीं आयेगा। इससे राहत मिलती नहीं। जिस दिन डी.ए. बढ़ता है दूसरे दिन सारे भाव बढ़ जाते हैं। दुकानदार उसका फायदा ले लेता है। इसका एक ही उपाय था, कन्ज्यूमर कोआपरेटिव जितने भी हमारे कर्मचारी वर्ग हैं उनकी मार्फत कायम हों, और डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथों में जाये, तो शायद कुछ हो सकता है। मैं आपसे विनती करूं, सबसे पहिले जो ध्यान जा रहा है बजट के जरिये से कौन-कौन से अभाव अभियोग हम कम कर सकते हैं, क्या राहतें मिल सकती हैं। अन-एम्पलायमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में कहा गया है, कई सदस्यों ने कहा है। मैंने भी उस दिन कहा था। अन-एम्प्लायड जो यूथ हैं, जो शिक्षित बेरोजगार आदमी हैं उनको आप कुछ रिलीफ दीजिये, कुछ स्टाइपेंड दीजिये अगर नहीं देंगे तो इस संदर्भ में मुझे एक कथन याद आता है किसी विशिष्ट व्यक्ति का कि

"Education and unemployment make the most dangerous explosive mixture."

जहां शिक्षा और बेरोजगारी दोनों मिल जाते हैं तो विस्फोटक स्थिति होती है। इसलिए हमें देखना है कि बेरोजगारी दूर करने के लिये क्या सार्थक कदम उठाये जा सकते हैं

हमारे नगरों का हाल इतना खराब हो रहा है, उनकी ओर ध्यान दिलाऊंगा। जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है, जोधपुर, उदयपुर बड़े शहर हैं उनका हाल भी बहुत अच्छा नहीं है लेकिन जो छोटे-छोटे शहर हैं वहां जो सेनेटरी हालात हैं, नरक बने हुए हैं। नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं। चुनाव हुए नहीं हैं। आज नगरपालिका नहीं रह गई हैं, आज वह नरकपालिकायें हो गई-हैं। आप किसी भी नगर में चले जायें। फिर लों

(श्री राज बहादुर)

एण्ड आर्डर के हाल का क्या कहना उसके बारे में अधिक नहीं कहूंगा । बहुत सदस्यों ने बहुत कुछ कह दिया है केवल इतना ही कहूंगा उदाहरण के लिये कि नदबई तहसील में बावरियों के दो जवान लड़कों को यू. पी. पुलिस ले गई, उनका आज तक पता नहीं है। पता चला है कि डकैतों से मुठभेड़ का झूठा वकुआ बना कर उनको गोली से उड़ा दिया गया। कोई पुलिस के कागजों में इसका इन्द्राज नहीं है। उनका बूढ़ा पिता, उनकी मां और पत्नियां और बच्चे बिलखते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। वह पुकार चुके सब जगह, एस. पी. से लेकर प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री तक। 13 फरवरी का यह वाकया है आज तक पता नहीं है। केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ फिर हो क्या रहा है, यह समझ में नहीं आता है। मोरल सर्विसेज का क्या रहा, आज नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। सर्विसेज खिलौना बनी हुई है, राजनीतिज्ञों की फुटवाल बनी हुई है, जो प्रभावशाली लोग हैं वह जो चाहते हैं करा लेते हैं।

इन ट्रान्सफरों के बारे में मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है। मैंने पूछा था स्थानान्तरणों के बारे में आपकी सरकार की पालिसी क्या है, नीति क्या है, नियम क्या है, सिद्धान्त क्या हैं जिन पर आप ट्रान्सफर करते हो। जवाब मिला प्रशासनिक आधार है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स तो ऐसा है, कोई भी हो सकता है anything can be justified under the plea of administrative reasons. इसका एक असर और पड़ता है कि एक ओर कुछ कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है और फिर होता यह है कि एक एम. एल. ए. कुछ कहता है, दूसरा एम. एल. ए. कुछ कहता है, एक संसद सदस्य उसकी सिफारिश करता है तो दूसरा संसद सदस्य उसके विपरीत कहता है और नतीजा यह होता है कि एक ट्रान्सफर होने के बाद फिर दुबारा ट्रान्सफर हो जाता है, यह एक नीति चली हुई है। किसी को पनिशमेंट देना है, किसी को पेनेलाइज करना है तो आप उसका ट्रान्सफर कर दीजिये। यह आपके हाथ में है इसलिये हम निष्पक्ष शासन की आशा नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा यह भी बजट के द्वारा आश्वासन मिल सकता है। कोई नीति निर्धारित कीजिये कि किसी कर्मचारी को एक स्थान पर इतने वर्ष हो चुके हैं और वह एक जगह इतना नहीं रह सकता है तो उसका ट्रान्सफर कीजिये या फिर कोई शिकायत आती है तो शिकायत आने पर जांच कीजिये और जांच आने पर आगे की कार्यवाही की जाय, यह तो कुछ समझ में आ सकता है। लेकिन अनावश्यक किसी को परेशान करने की दृष्टि से ट्रान्सफर किये जायं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। छोटे कर्मचारियों को घर के पास ही रखा जाय। यह नहीं होना चाहिये कि भरतपुर के कर्मचारी को बाड़मेर भेज दिया और बाड़मेर के कर्मचारी को भरतपुर भेज दिया। इसका भी बजट की नीति के सिलसिले में उल्लेख किया जा सकता था कि आप शासन व्यवस्था को स्वच्छ और निष्पक्ष कैसे बनायेंगे।

जहां तक कर्मचारियों में प्रभाव बढ़ाने वाली बात है, हमें भी सोचना चाहिये। स्थानान्तरणों के कारण आलोचना की गई भारतीय जनता पार्टी की कि इतने स्कूल खोल दिये और आर. एस. एस. के व्यक्ति लगा

(श्री राज बहादुर)

दिये। मैंने भी शिकायत सुनी थी लेकिन यह भी अच्छा नहीं है कि अब उनको वहां से हटा दिया जाय। मुझे खुशी हुई, श्रीमान प्रभाकर जी ने यह कहा कि उनको रखा गया है किसी भी आधार पर अब उनको हटाया नही जायेगा। लेकिन हुआ क्या एक एक प्राइमरी स्कूल में कुल 10 या 20 लड़के मिलेंगे। आज टीचर कहीं जाता है तो कोई व्यवस्था होती नहीं है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिये कि क्या इस प्रकार के खर्चे के बोझ को कम नहीं किया जा सकता।

कुछ बात घर की भी कहूंगा। भरतपुर का किला है, जालोर का किला है, ये प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थल हैं रणथम्भोर का किला है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी हमारी यह सांस्कृतिक सम्पदा जो उत्तराधिकार के रूप में हमें मिली है शायद और किसी प्रदेश को नहीं मिली है। बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े टेम्पल हैं, बड़े बड़े किले हैं। पुरातत्व की महान पूंजी है इनको सुरक्षित रखना भी किसी की जिम्मेदारी होती है। भरतपुर और रणथम्भोर को ही लीजिये बड़ी मुश्किल से पंडित जी से, जवाहरलाल जी से भरतपुर और रणथम्भोर के किलों को कह संरक्षित घोषित करवाया गया। दुबारा जब श्रीमती इन्दिरा जी भरतपुर आई तो किले के चारों ओर की नहर को और घाटों को संरक्षित घोषित कराया। लेकिन आज स्थिति यह है कि उन नहरों में सारे शहर का मैला, सन्डासों का मैला आकर मिलता है। अभी कुछ दिन पहले ही दो जगह से किला टूट चुका है, किले की नहरों में गन्दगी के कारण उसके आस पास टिकना मुश्किल है। इसके लिये भी मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है कि इमीजियेटली कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है तो कम से कम फिनाइल ही डलवा दी जाये और मैला निकलवा दिया जाय, बाद की कोई व्यवस्था के लिये तो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे।

इसी तरह हमारे भरतपुर के हास्पिटल की हालत बहुत ही निकम्मी है। अस्पताल की बिल्डिंग बहुत ही अपर्याप्त है। इतनी बुरी जगह पर यह हास्पिटल स्थित है कि वहां इसको रखना भी मुश्किल है इसलिये इसको वहां से हटाया जाये। मैंने देखा है कुछ नये भवनों के निर्माण का प्रावधान इस बजट में है। अच्छी खासी रकम इसके लिये रखी गई है, लेकिन सिर्फ रखने के लिये ही है, भवन बनाने की जहां जरूरत है, अस्पताल का भवन है भी नहीं। इसलिये मेरी विनती है कि जहां ये छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं उनके द्वारा राहत पहुंचाई जा सकती है।

अब मैं आता हूं जो हमारे पास साधन हैं उनका उपयोग कैसे करें। अभी मुझे सिंचाई विभाग की रिपोर्ट मिली है इसमें यह बताया गया है कि हमारे पास 342.21 लाख हेक्टेयर जमीन है इसमें से जो खेती के योग्य है वह 2 करोड़ 67 लाख है लेकिन इसका कुल 6 या आठ पर्सेन्ट इरिगेशन में आता है।

मैं अधिक न कह कर इतना ही कहूंगा कि जो पानी के साधन आपके पास हैं इनका पूरा उपयोग करने के लिये आप क्या नई योजनायें बना रहे हैं। ...क यह भी खेद के

(श्री राज बहादुर)

साथ कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े आपने दिये हैं वे भी सही नहीं हैं। आपने लिखा है कि 79-80 तक 18.55 लाख हेक्टेयर भूमि जो केवल 6 पर्सेन्ट होती है उसको सिंचाई क्षमता के अन्तर्गत लाया जा चुका है। यह क्षमता निम्न बहुउद्देशीय, मध्यम तथा लघु परियोजनाओं से प्राप्त हुई है। इसमें गंगा यमुना नदी की कोई चर्चा नहीं है। जहां दो नहरें हैं वहां से निकलती है भरतपुर-फीडर और गुड़गांवा वहां 60 हजार हैक्टेयर में सिंचाई होती है जो लगभग डेढ़ लाख एकड़ होती है। मैं विनती करूंगा ये आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। जो भी राजस्थान के पास जल सम्पदा उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं देखता हूं रावी और व्यास नदियों के पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। गंगा और यमुना के जल के बारे में इस सारे प्रतिवेदन में मुख्य मंत्री जी के भाषण में एक शब्द भी नहीं है। सिर्फ एक जगह कुछ शब्द आये हैं, पढ़ कर सुना दूंगा और पूछना चाहूंगा कि क्या हो रहा है इस सिलसिले में। उन्होंने यह बताया है कि "हम प्रयास कर रहे हैं कि गंगा का पानी हमें मिल जाय।" मैं पूछता हूं कि इसके लिये क्या प्रयास हो रहे हैं? उधर नर्बदा के पानी के लिये कहा है कि नर्बदा में 280 लाख हैक्टेयर मीटर पानी है और उसमें से केवल 5 लाख हैक्टेयर मीटर हमें मिला है और वह जालौर को जायेगा। मैं कहता हूं कोशिश करते तो ज्यादा बढ़ सकता था। मैं समझता हूं और अधिक जल प्राप्त करने की कोशिश की जाती तो इस प्रदेश के अधिकतम सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को लाभान्वित कर सकते थे। क्या प्रयास हो रहा है, मुझे मालूम है। सत्य यह है कि कोई प्रयास नहीं हो रहा है। 72 में आपके चीफ इंजीनियर ने रिपोर्ट दी थी मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं...

"Rajasthan has a total culturable area of 26.70 million hectares out of which nearly six million hectares i.e. nearly 23%. Today it is only 6% of total culturable area can possibly be irrigated by all feasible surface and ground water resources within & out side the State."

इसके बारे में आगे जाकर कहा गया है कि "Proposals for diversion of surplus water of Ganga to arid and semi-arid zones of Rajasthan are under examination."

इसमें पूर्वी जिले नहीं हैं, जो योजना बनी थी वह पश्चिमी जिलों के लिये बनाई गई थी। लेकिन आपने कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया। मैं इस संदर्भ में एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट और पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:–

"The diversion of the surplus Ganga water to Rajasthan is not likely to require much storage schemes, as bulk of such water can be utilised directly in Rajasthan and Haryana for khariff irrigation." This is not the case of Ganga Kaweri link."

लेकिन, "The total availability would be about 4270 cucecs of discharge flows in the Gangage near Bijnor during the period of June to October each year."

इसमें यह कहा है, इनमें से अगर कोई नहर

(श्री राज बहादुर)

निकाली जाय, तो गंगा लूनी लिंक बनने पर

"The feeder lower down can cover the areas of Jhunjhunu, Churu Bikaner, Nagaur, Jodhpur, Pali, Barmer and Jalore districts to irrigate the lands listed below :—"

ये सारा स्वयं आपके चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट 72-73 में मौजूद है। मुझे खेद है कि जब हमारी कांग्रेस सरकार निरस्त हो गयी 1977 में, उसके बाद मैंने श्री भैरोंसिंह शेखावत को और श्री सतीश चन्द्र जी को भी दो पत्र लिखे कार्यवाही के बारे में, उनका जवाब यह आया कि हम विचार कर रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज भी वही देखता हूं इतने वर्ष हो गये. राजस्थान को बने हुए, अभी हमारा एकीकरण हुआ नहीं, इन्टीग्रेशन नहीं हुआ। हम देखते हैं केवल एक तरफ। मैं निवेदन करूंगा कि गंगा और जमुना के एरिये में जब हम आते हैं और चम्बल का सारा शेष पानी गंगा में, जमुना में आता है और चम्बल के अलावा जो और नदियां हमारी हैं उनका पानी भी जाता है तो क्या कारण है कि हम गंगा के पानी से अपना हिस्सा लेना दूर रहा, मांगते भी नहीं। सच्ची और सार्थक पूरी बात यह है कि हमको भी उसका लाभ मिलना चाहिए और इस प्रकार से हमें जो उसके फायदे हो सकते हैं उनको लेना चाहिये।

इसी तरह से डेजर्ट रिक्लेमेशन की बात है, फेमिन की बात है, कोई दिलचस्पी इसमें मालूम नहीं पड़ती। जहां तक फेमिन से लड़ना है, वहां पर आपको दोनों चीजें चाहिए, सिंचाई भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। बिजली के लिए पलाना के लिगनाइट के बारे में आपने कहा है कि पलाना लिगनाइट के जरिये आप पावर स्टेशन बनायेंगे लेकिन निश्चित बात है कि जितना पलाना और बाड़मेर में लिगनाइट मिला है उससे क्या केवल 120 मेगावाट के पावर स्टेशन बनाने हैं। मुझे बताया गया है कि 2 हजार मेगावाट का उत्पादन हो सकता है। मैं तो निवेदन करूंगा आपके द्वारा सरकार से कि यदि 2 हजार मेगावाट तक का जनरेशन हो सकता है तो वह किया जाये नहीं तो एक एटॉमिक इनर्जी प्लान्ट स्टेशन राजस्थान में और बन सकता है, मैं तो उसके लिए भी मांग करूंगा और कहूंगा कि आप राजस्थान के पश्चिमी इलाके के लिए बिजली की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे, जब तक इतनी बड़ी-बड़ी योजनायें न हों।

एक बात मैं आपसे और निवेदन करूंगा, ड्राई पोर्ट के सम्बन्ध में, सूखे बन्दरगाह के बारे में। यदि यह राजस्थान को मिला तो एक वरदान मिला होगा। अगर वह मिला राजस्थान को तो निश्चित ही बड़ी आर्थिक उन्नति हो सकती है। भरतपुर के बारे में मैंने बात की थी, कोई कारण नहीं है कि यह मांग दुबारा नहीं उठाई जाये, इस सवाल को और इसको सफलतापूर्वक हासिल किया जाये।

एक दूसरी बात यह बहुत आवश्यक है कि कांडला से लेकर दिल्ली तक बड़ी लाइन रेलवे की होनी चाहिए। कांडला हमारा ही बन्दरगाह है, कांडला राजस्थान के लिए बनाया गया था और गुजरात के लिए बनाया गया था। हमने इस बारे में कभी परवाह

(श्री राज बहादुर)

नहीं की। आज भी हमारा सारा माल खराब हो जाता है। कांडला से जब तक दिल्ली को आप ब्रॉड गेज से लिंक नहीं करेंगे तब तक राजस्थान के शीघ्र गति से विकास का काम चलने वाला नहीं है।

मैं आपसे विनती करूंगा कि जहां तक हमारे साधनों के उपयोग की बात है, इस बात को ध्यान में रखा जाय कि जिप्सम हमारे यहां होता है लेकिन जिप्सम सारा जाता है कहां, सिन्दरी फर्टीलाइजर के लिए, हमारे यहां उसका कोई उपयोग नहीं होता। उधर से कोयला आता है और आ सकता है, जिप्सम यहां से जा सकता है तो कोयला वहां से आ सकता है और दोनों जगह फर्टीलाइजर के कारखाने हो सकते हैं। मैं उतावली से बाट देखूंगा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही होती है या नहीं होती है।

अभी पर्यटन के बारे में कल परसों एक प्रश्न आया था, अव्वल तो मैंने कहा था कि पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आप लाभ बहुत ले सकते हैं, बहुत आमदनी हो सकती है किन्तु इसका हम उपयोग पूरा कर नहीं पायेंगे यदि हमारी नीति और एप्रोच ठीक नहीं है तो। भरतपुर की बर्ड सेंचुरी घना पक्षी विहार, उसकी आज बहुत दुर्दशा है, वहां एक बड़े हिस्से में पेड़ काट दिये गये हैं, इससे वहां पर पर्यटक भी आने कम हो गये हैं। वहां दीवार बनानी थी, वह दीवार भी पूरी नहीं बनी है, वह दीवार अधूरी पड़ी है।

इसके अलावा मैं यहां कहना चाहूंगा कि सरकार से पूछा गया था कि आपकी नीति क्या है, पर्यटन के बारे में, श्री भारती जी थे, उन्होंने जवाब दिया था, जवाब में कहा गया कि सबसे बड़ा मापदण्ड है हमारा पैसा। मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि पैसा ही केवल हमारी नीति हो, पर्यटन विकास के लिए पैसा ही मापदण्ड हो, यह बिल्कुल अनुचित है और बिल्कुल एक ऐसी बात है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कहना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से कि पर्यटन को खिलवाड़ न बनाया जाये। जैसलमेर से लेकर भरतपुर तक और जयपुर से लेकर जोधपुर तक इतने बड़े बड़े किले हैं, दर्शनीय स्थान हैं, मुझे तो बहुत सिम्पैथी थी, बड़ी सहानुभूति थी उन सदस्य महोदय के साथ, जो जालोर के किले पर प्रश्न कर रहे थे। जालोर का किला बड़ा सुन्दर है, भरतपुर का किला बड़ा सुन्दर है लेकिन क्या सुविधायें दी हैं, क्या हमने उनके पर्यटन के विकास के लिए किया है? केवल पैसे से नहीं होता, हमारे मन से होता है, हमारी आत्मा से होता है, हमारी एप्रोच से होता है और एक अच्छी नीति से होता है।

इसी तरह से मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि जहां तक हम प्रश्नों को रखते हैं, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, बहुत सी बातें तो हमारी रखी ही नहीं जा सकी हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है, स्थगन प्रस्ताव आता है, कब उसका नम्बर आयेगा, आयेगा या नहीं आयेगा। मैं तो कहूंगा इन रूल्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। किसी प्रकार से हम कुछ आवश्यक बातें तो रख सकें।

मैं बजट के बारे में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया है उसकी दो तीन बातों के बारे में चेतावनी दूंगा,

(श्री राज बहादुर)

पुराने साल का जो 85 करोड़ का घाटा है उसमें 27 करोड जो हैं, वह हैं ओवर ड्राफ्ट के। उनका कहना है उसको हम लोग टर्म लोन में बदलवायेंगे। ओवर ड्राफ्ट को लोंग टर्म लोन में कनवर्ट कराने से प्रदेश लाभ में नहीं आता, सिवाय इसके कि आज की देनदारी को कल पर टाल दें लेकिन देनदारी तो रहती है। ब्याज आज भी देना पड़ेगा, कल भी देना पड़ेगा। पालिसी के हिसाब से यह गलत है। ओवर ड्राफ्ट होना ही नहीं चाहिए, हमें जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। अगर हमारे पास चादर नहीं है तो पांव नहीं पसारने चाहिए। उसके लिए हमें जाना है तो हमें केन्द्र सरकार के पास जाना चाहिये लेकिन ओवर ड्राफ्ट करना और उसका लोंग टर्म लोन में कनवर्ट कराना, यह फ्यूचर गवर्नमेंट्स को फ्यूचर जनरेशन को बांध देना है।

मैं जो दूसरी बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगा वह है ट्वन्टी पाइन्ट प्रोग्राम के बारे में। मेरा कहना है कि उसको धकेल दिया गया था पहले पांच सूत्री कार्यक्रम पर अत्यधिक जोर देकर। इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी शक्ति परीक्षा है, केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी परीक्षा है इसमें कि क्या हम सच्चे मायनों में जो भूमिहीन किसानों को, गरीबों को, निर्धनों को, दीनों को इसके द्वारा कुछ राहत पहुंचाना चाहते हैं, अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो जिनके पास जमीन नहीं है तो क्या हम सच्चाई से उनको जमीन देना चाहते हैं? तो हमारे अधिकार और हमारी जो आवश्यकता है या यों कहिए हमारी अपनी सम्पत्ति की रक्षा की भावना कहीं बाधक तो नहीं हो जायेगी? एक बात साफ कह दूं, होता क्या है कि भूमि दी जाती है, उस भूमि के ऊपर, जो हरिजनों को दी जाती है, परिगणित जाति को दी जाती है, दूसरे आदमी कब्जा कर लेते हैं, उसके ऊपर ट्रेसपास होता है लेकिन उस ट्रेसपास को ट्रेसपास माना नहीं जाता। मैं कहूंगा कि Unless this trespass is held and treated as trespass over Government land, सम्बन्धित भूमिहीन अलाटी को कोई संरक्षण नहीं मिल सकता। गवर्नमेन्ट के लैण्ड के ऊपर आप जो ट्रेसपास मानते हैं, जब तक कि वहीं आम भूमिहीन अलाटी की लैण्ड पर ट्रेसपास नहीं माना जाता तब तक कुछ काम नहीं होगा। जब तक सेक्शन 91 में ट्रेसपासर के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तब तक उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्या सरकार सेक्शन 91 के कलॉज 4 में इस तरह का अमेण्डमेंट करेगी कि जहां इस तरह की जमीनें दी जाती हैं और जो ट्वन्टी पाइण्ट प्रोग्राम में आता है, उस बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए आप इसमें संशोधन करके आवश्यकता के अनुसार उस पर एक्ट करेंगे। यहां तक होता है कि स्टैण्डिग क्राप जो हैं, उनको भी लेने के प्रावधान हैं। जहां तक सरकारी जमीनों का सवाल है, दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि जो जमीनें दे दी जाती हैं, उनको अलाटी को नहीं दिया जाता वे दूसरे के हाथों बिक जाती हैं, वेनामी होती हैं, उसके बाद भी अगर यह होता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी।

पापूलेशन और एम्प्लायमेंट के बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, पापूलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में,

(श्री राजबहादुर)

और आबादी के बारे में उन्होंने कहा कि लगभग 66 लाख आदमी वर्किंग कोर्स में बढ़ गये हैं और इसी रूप में प्राइसेज भी आगे बढ़ेगी। पापूलेशन और प्राइसेज का पूरा आपस में सम्बन्ध होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं विनती करूंगा कि जो उन्होंने परिवार कल्याण का प्रोग्राम रखा है उसको पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करें लेकिन ऐसा लागू करें जो एक प्रकार से अभिशाप न बन जाये, जनता के लिए। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती न की जाये और किसी को दबाया न जाय।

तो इन्हीं शब्दों के साथ में थोड़ी सी बातें, राज्य की जो देनदारियां हैं, उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। देनदारियां बहुत हैं, 1300 करोड़ से अधिक रुपये जिनमें से 11 सौ करोड़ से अधिक तो पब्लिक डैब्ट हैं और 972 गवर्नमेन्ट की हैं। मैं चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना का जो आकार है, वह इस प्रकार का हो जिसमें प्रदेश के जो साधन हैं, नदियों के पानी का साधन है, खनिज पदार्थ के साधन हैं, ट्रांसपोर्ट के मीन्स साधन हैं, अपना जो पर्यटन उद्योग है वह भी साधन है इन सबका पूरा विकास हो सके और प्रदेश आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसमें शिथिलता नहीं आने पाये। इस प्रकार से हम अपनी आर्थिक नीतियों को प्राथमिकता दे सकें, इस पर भी ध्यान देना है। केवल वचन दिये गये हैं उनका कुछ अर्थ नहीं होता।

एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक ये हैं आपकी स्कीम्स विकलांगों की, वृद्धों की सहायता की क्या ये उनको सहायता पहुंच जायेंगी, जिनको आप सहायता देना चाहते हैं? आपने एक बात जरूर की, नया संशोधन किया है कि विधवाओं तथा विकलांगों की आयु 10 वर्ष कम कर दी जाये। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं मुख्य मंत्री महोदय इसके लिये, लेकिन मैं कहता हूं कि जो विधवा बिल्कुल निराश्रय है जिसका कोई आश्रय है ही नहीं, जो विकलांग कुछ कर ही नहीं सकता, उसको आप 10 वर्ष की आयु कम करके क्या राहत देंगे? इसलिये शुरू से ही सरकार की एक सोशल रेस्पांसिबिलिटी है, सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसको निभाना है। उस सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हों हमें करना चाहिए। मैं इस बारे में मांग करूंगा कि उनको आरम्भ से ही ये सब चीजें मिलनी चाहिए।

एक बड़ी बात है भ्रष्टाचार की। चुंगी के सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुंगी को आप जितना जल्दी खतम कर सकें कर दें। क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। आपने घोषणा कर दी है कि इसके लिये कमेटी बिठा रहे हैं। कमेटी बिठाइये लेकिन मुझे याद आता है, हमारे यहां सर रिचार्ड टोटन हेस होते थे। हमारी रियासत में, भरतपुर रियासत में दीवान बन कर आए थे। फिर होम सेक्रेटरी भी थे, गवर्नमेंट आफ इण्डिया में रहे। उन का एक वाक्य था कि "जब आपको कोई काम नहीं करना हो," मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, उनका कहना था कि "जब कोई काम नहीं करना हो, या काम को टालना हो तो कमेटी बैठा दें।" यह कमेटी इसलिए बिठा दी कि ऑक्ट्राय का जो सवाल है इसको टाल दिया जाय। तीन वर्ष, चार

(श्री राजबहादुर)

वर्ष, पांच वर्ष तक टाल दें। मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रयास न किया जावे बल्कि ऑक्ट्राय पर तो काफी विचार हो चुका है। अन्तर-प्रदेशीय सभायें हो चुकी हैं, विचार विमर्श हो चुका है। आप फिर से क्या विचार करेंगे? इसी प्रकार का भ्रष्टाचार सेल्स टैक्स में है अथवा बिक्री कर में है। इन दोनों के बारे में कहा जा सकता है कि यह मौलिक बीमारियां हैं, घातक बीमारी हैं। इन घातक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया है।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत आशाओं को लेकर हम लोगों को चुना है राजस्थान की जनता ने, विधान सभा के विधायक बनाया है। हमें बहुत कुछ करना है। यह सभी हम कर सकते हैं जब कुछ बातें ऐसी बना लें राजस्थान के उत्थान के लिये जिनके लिये सभी पार्टीज, सभी दल, जो यहां मौजूद हैं, मिल कर कह सकें कि ये समूचे राजस्थान की मांग है। यह केवल शासक दल का प्रश्न नहीं है, केवल बी. जे. पी. का प्रश्न नहीं है, कांग्रेस अर्स और जनता पार्टी का नहीं है। क्यों नहीं हम इन बातों को करवा सकते हैं? क्यों हमारे प्रदेश का शोषण हो रहा है? क्यों हमें गंगा का पानी नहीं मिलता? क्यों नहीं जमुना का पानी हमको मिलता? आज राजस्थान के हिस्से का रावी का पानी पाकिस्तान में जा रहा है चाहे इस पानी को पंजाब वाले ले जायें, हरियाणा वाले ले लें और हम देखते रहें। थीन डेम का काम शुरू होता ही नहीं है क्यों! हमारे यहां अकाल की बात है, हमारे सूखाग्रस्त इलाके हैं जहां पर मरु भूमि है, उसका री-क्लेमेशन होना चाहिये। हमारे रेवाइन्स की बात है। मैं चाहूंगा कि हम इन प्रश्नों को नॉन पार्टी मुद्दे बना लें और उनके लिये सारी पार्टियां मिल कर प्रयास करें और गवर्नमेंट को, शासन दल को सहयोग दें।

इसी प्रकार से जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उनका मसला है। इसी प्रकार से हमारे ड्राई पोर्ट का मसला है। उस पर भी हम सब एक जगह आ सकते हैं। हम सोचें कि हम इस दिशा में क्या करने जा रहे हैं। रिफा-इनरी मथुरा चली गई। अगर सवाई माधोपुर में होती तो न तो ताजमहल को खतरा होता, न भरतपुर जिले और सवाई माधोपुर जिले को वंचित किया जाता। कम से कम डेढ़ सौ किलोमीटर पाइप लाइन की किफायत होती। रिफाइनरी नहीं मिली तो नहीं मिली लेकिन अब बाकी जो दूसरे उद्योग हैं, पैट्रो-केमिकल इण्डस्ट्री हैं, वह तो आ सकते हैं। पैट्रो केमिकल इण्डस्ट्री के उद्योगों को बढ़ाने के लिये आप क्या करना चाहते हैं। कौन सा आकर्षण दे रहे हैं? उद्योगों का आकर्षण देखना हो तो बंगाल जाइये। बंगाल को जाने दीजिये, केरल जाइये। केरल में क्या आकर्षण दिये हैं। क्या सुविधायें मिली हैं? वह सुविधायें यहां भी दें उनको और बढ़ायें। इनकी चर्चा यहां पर होनी चाहिये। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन प्रश्नों को जो सारे राजस्थान के प्रश्न हैं, चाहे तो वे मरु भूमि के विकास के लिये हों, रिक्लेमेशन के हों, डेजर्ट रिक्लेमेशन के प्रश्न हों, डेजर्ट को हरा भरा बनाने के प्रश्न हों, चाहे यहां पर रावी, गंगा, जमुना के पानी का प्रश्न हो, क्या हमको इस पानी से हिस्सा मिल रहा है। आखिर कहां से लायेंगे पानी? खुद आपके

(श्री राजबहादुर)

एक्सपर्ट्स की राय है, आज उपलब्ध समस्त जल स्रोतों से मेक्जीमम यूटिलाइजेशन करने पर हम केवल 23 पर्सेन्ट से ज्यादा खेती के काबिल क्षेत्र को सिंचाई नहीं दे सकते। उससे ज्यादा सिंचाई नहीं हो सकती। इससे ज्यादा सिंचाई में नहीं आते। इसलिये हमें सिंचाई के साधन ढूंढने पड़ेंगे। आप कौन से साधन ढूंढेंगे। जिन साधनों में आपका हक है, चम्बल के लिये जैसा मैंने कहा कि चम्बल हमारे इलाके में से बहती है, हमें जमुना गंगा में से क्यों नहीं हिस्सा मिले, क्यों हम इनके पानी का उपयोग नहीं करें? क्यों नहीं मांग करें इसके लिये? लेकिन खेद है कि एक शब्द भी मुख्य मंत्री जी के भाषण में नहीं है इस विषय पर। इसका मतलब है कि इसकी कोई चिंता ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। वह इसको भुला चुके हैं। कोई संकेत नहीं है भाषण में कि किस तरह से जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे। इतना सारा लाइम स्टोन हमारे यहां निकलता है, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? कितनी सीमेंट फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं? क्या आप पैट्रो केमिकल इंडस्ट्री के बारे में कुछ करेंगे? एक शब्द नहीं है इनके बारे में। इसलिये मैं कहता हूं कि आप कहते हैं कि नया मोड़ मिल रहा है, नीतियों को नया मोड़ दे रहे हैं, नई दिशा दी जा रही है जो दावा है कि नई दिशा दी जा रही है, आप कहेंगे तो हम विश्वास कर लेंगे। आपकी जोर जबरदस्ती है, आपका बहुमत है लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिये मैं बहुत विनतीपूर्वक कहूंगा कि ये कुछ प्रश्न ऐसे लें जिन पर हम राजस्थान का भला कर सकेंगे। राजस्थान के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं हमारी तरफ पुकार रहे हैं, इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं आपके द्वारा, सभापति महोदया, आप मेहरबानी करके इन प्रश्नों को, इन सारे प्रश्नों को राजस्थान का प्रश्न बना कर चलें तो शायद हम अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर कर सकेंगे। यह चीज ऐसी है कि हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी दिलचस्पी रखती हैं। हमारा धर्म है कि राजस्थान के लिए हम श्रम करें उसकी प्रोस्पैरिटी के लिये हम काम करें। जैसा राजस्थान हमने पाया था उससे अच्छा राजस्थान बना कर हम छोड़ें। धन्यवाद।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापतिजी, हमारे मुख्य मंत्री श्री पहाड़ियाजी ने बजट प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है। उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि इस बजट से हमारा चहुंमुखी विकास होगा। इस बजट के जरिये क्या गरीब, क्या काश्तकार, क्या अल्पभोगी, सभी वर्गों को हमारे इस बजट से फायदा होगा। मैं आपको निवेदन कर दूं कि हमारे मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास किया है जैसे पेयजल, उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि, अकाल एवं बाढ़ जैसी समस्या का स्थायी इलाज तथा कृषि एवं उद्योगों का समुचित विकास। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि प्रदेश का द्रुत आर्थिक एवं सामाजिक विकास हमारा लक्ष्य है। हमारा विशेष प्रयत्न यह रहेगा कि विकास का लाभ, जहां समाज के सभी वर्गों व समुदायों को मिले, गरीब तबकों को विशेष रूप से मिले। मेरा इसमें निवेदन है कि जहां तक यह हमारा बजट है

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

वह विकास के लिए है। हमारे मुख्य मंत्रीजी का जो लक्ष्य है वह हमारे देश में हमारे राजस्थान को विशेष कर विकास की ओर ले जाने का है। जब कि आपने देखा होगा कि जनता पार्टी का शासन जो था, उसका जो बजट था, वह विनाश की ओर ले गया। वह विनाश की ओर अग्रसर रहा। मैं इसमें आपको कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उन्होंने एक अन्त्योदय के माध्यम से, मैं समझता हूं, सारे राजस्थान का नहीं किंतु उन्होंने स्वयं ने लाभ लिया, अपने लोग बागों को लाभ दिलाया, अपनी पार्टी को लाभ दिलाया है। अन्त्योदय के नाम को कलंकित किया है। शर्म की बात है। यहां तक मैं आपको निवेदन कर दूं कि इसका लाभ लेने में मंत्री तक भी नहीं बचे हैं। सबसे पहले शेखावतजी ने अन्त्योदय से स्वयं अपना अन्त्योदय कर लिया। मैं आपको बता दूं कि शेखावत साहब ने अभी-अभी अपना स्वयं का अन्त्योदय कर लिया है। एक लाख दस हजार का उन्होंने बंगला ले लिया है। यही नहीं उन्होंने···

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या इस तरह से बिना पूर्व में सूचना दिए आरोप लगा सकते हैं?

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक लाख दस हजार का बंगला लिया है और इस तरह से अपना अन्त्योदय कर लिया है, दूसरा आपको निवेदन कर दूं·····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस तरह से नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : यही नहीं·····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्होंने पूर्व में सूचना नहीं दी और आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड देख लेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उन्होंने एक तो इस तरह से अपना अन्त्योदय कर लिया है। दूसरी उन्होंने एक डीजल कार खरीद ली है क्योंकि हवाई जहाज में तो खर्चा बढ़ गया है। रेल का टिकट खरीद नहीं सकते इसलिए डीजल की कार उनके लिए आवश्यक हो गई। यह भी उन्होंने अपना अन्त्योदय कर लिया है। यही नहीं उनके एक मंत्री महोदय थे श्री सूर्यनारायण चौधरी, जो उद्योग मंत्री थे···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया कि आप किसी का नाम नहीं लें जो कि सदन में नहीं हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए, खानों को स्वयं भी खरीद लिया और इस तरह से अपना अन्त्योदय कर लिया है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त असली उद्योग प्रसार अधिकारी लिए और इन्सपेक्टर लिए, तब आपको पता है कि सारे राजस्थान में खलबली मच गई थी। क्या उनको पता नहीं था कि राजस्थान में कितना भ्रष्टाचार हो रहा था? किसी को पता नहीं था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उन्होंने सही

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

आदमियों को भर्ती नहीं किया। इसमें बड़ी धांधली हुई, हजारों रुपयों का गोलमाल किया गया, रिश्वतें ली गईं। जिन्होंने केवल उनको रिश्वतें दी उनको ही भर्ती किया गया। अस्सी उद्योग प्रसार अधिकारियों को लिया जो रिश्वत के बलबूते पर आये आप सुन लीजिए।

(व्यवधान)

उन दिनों जो डायरेक्टर थे उद्योग के, उन दोनों ने मिल कर घोटाले किए, रिश्वतें खाईं और अपने आदमियों को उद्योग प्रसार अधिकारी बनाया। यही नहीं उन्होंने अन्त्योदय के नाम पर सभी कुछ अपना अन्त्योदय कर लिया। भूतपूर्व गृह मंत्री सम्पतराम, उन्होंने भी अपना अन्तोदय कर लिया। उन्होंने अंकुर सिनेमा बना लिया। जिसमें उनका चवन्नी का हिस्सा है। एक ठेकेदार है, रहमत खां, उसके जरिये सिनेमा बनवाया। वह सिनेमा की जमीन मुसलमान भाइयों की प्रोपर्टी, वक्फ की थी, उस पर सिनेमा का निर्माण करवा लिया और उसमें उनका हिस्सा है। यही नहीं, मैं निवेदन कर दूं, उस काल में, जो जनता पार्टी का काला शासन काल था, एक मिनी चीफ मिनिस्टर कहलाते थे, कल्याण सिंह कालवी, उसके जरिये, शेखावत साहब जो दिल्ली में बैठे रहा करते थे, लेकिन वहां से जो आदेश जारी करते, उनका पालन होता था। इस तरह उन्होंने भी अन्त्योदय से अपना घर भर लिया।

मैं निवेदन कर दूं, उस समय हमारे माइन्स के मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर, आपने नाम के लिये मना कर दिया, उन्होंने भी अपना अन्त्योदय कर लिया। उन्होंने अपने ठेकेदारों को ठेके दिये, उन्होंने अपने दोस्तों को ठेके दिये और उन्होंने अपनी सहेलियों को ठेके दिलायें। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, यदि चाहोगे तो बता दूंगा। उन्होंने भी अपना अन्त्योदय कर लिया। मैं उसमें कुछ मिसाल भी देना चाहता हूं। मैंने अखबारों में पढ़ा था, यह जो अन्त्योदय स्कीम है इसके नियम आदि को ताक में रख दिया।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

सदनेतर व्यक्ति पर पूर्व सूचना के बिना आरोप

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो सदस्य सदन में इस समय उपस्थित नहीं हैं, उनके खिलाफ बिना पूर्व सूचना दिये आरोप न लगाये। यदि वे सदन में उपस्थित हों तो उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिले। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन आरोपों में जो भूतपूर्व मंत्री के नाम लिये, वह नाम और भूतपूर्व मंत्री कहना एक ही बात है। इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये और आगे इनको पूर्व सूचना के बोलने से वंचित कर दिया जाय।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, आज से तीन साल पहले जनता पार्टी का शासन था और ढाई साल के अन्दर जितने आरोप इन लोगों ने लगाये,

(श्री रामनारायण डूंडी)
वह लोग उस वक्त उपस्थित नहीं थे, हमने बहुत कहा, ये सदन में उपस्थित नहीं हैं, इन पर आरोप नहीं लगायें। ये तो चलता रहता है।

श्री सभापति : यद्यपि नियमों का ध्यान रखना हरएक के लिये उचित है।

माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें।

श्री गोविन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप नहीं लगा रहे हैं, अन्त्योदय के उदाहरण दे रहे हैं।

श्री रामनारायण डूंडी : इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके अपने चहेते आदमियों को ठेके दिये इसका उदाहरण दे रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, उदाहरण देते हैं, उनमें नियमों का ध्यान रखना चाहिये बोलते समय। केवल यही निवेदन माननीय सदस्य ने किया था।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, मैं बजट पर बोल रहा हूं। मैं निवेदन कर दूं, मैंने अखबारों में पढ़ा था। अन्त्योदय के जरिये एक गरीब आदमी को भैंस दी। दो-ढाई हजार रुपये की भैंस दी। उसके लिये चारे का इन्तजाम हुआ नहीं। वह चारा खरीदने के चक्कर में कर्जदार हो गया। उसका अन्त्योदय क्या हुआ वह स्वयं ही मर गया। ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं।

मै आपको बता दूं, अन्त्योदय के जरिये इन्होंने अपने आदमियों को नौकरी दिलायी। इन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिलाया जो अन्त्योदयी नहीं थे। हमारी स्कीम सर्वोदय की थी अन्त्योदय का आज ढिंढोरा पीटते हैं। मैं कहता हूँ, अन्त्योदय बिलकुल फेल था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यय कितना बढ़ गया कि उस प्रशासनिक व्यय को आसमान पर चढ़ा दिया। इनके काल में 17 पोस्टें सुपर स्केल की बड़े-बड़े आफिसरों की इन्होंने अपने टाइम में क्रियेट कीं। जब कि हमारे कांग्रेस के तीस साल के शासन में 17 पोस्टें दी गईं थीं। मैं बता दूं जो 17 पोस्टें इन्होंने क्रियेट की हैं, उनमें सिंचाई सचिव, सचिव, राजस्थान डेयरी डवलपमेंट निगम, प्रशासक भूमि विकास, चिकित्सा सचिव, उद्योग सचिव, खनिज सचिव, अन्त्योदय आयोग सदस्य, सदस्य, राजस्व मंडल, आदि। एक और पोस्ट इन्होंने क्रियेट की चीफ सैक्रेटरी, रेवेन्यू बोर्ड। इस तरह राजस्थान की आर्थिक स्थिति को खोखला कर दिया। बड़ी-बड़ी पोस्टें बना दीं। आप जानते हैं, इन्होंने यही नहीं किया, एक-एक निगम में दो-दो पोस्टें बना दीं। खनिज और उद्योग निगम एक था, उसमें खनिज अलग कर दिया गया और उद्योग अलग कर दिया गया। इतना पैसा व्यय किया है प्रशासनिक ढांचे में। हमारे सामने समस्या है कि पैसे के अभाव में राजस्थान को किस प्रकार से चलायेंगे। उद्योग लगाने के बहाने, हमारे उस समय के मुख्य मंत्री थे और जो उद्योग मंत्री थे, वहां बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के टूर किये, इसलिये कि नये उद्योग लगायेंगे। 11 बड़ी फौजें आफिसरों की रेलों में नहीं, कारों में नहीं, हवाई जहाजों में गयीं। मंत्री महोदय जायें,

(श्री ईश्वर लाल सैनी)
उसके पहले ढिंढ़ोरा पीटा कि मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं, उद्योग मंत्री जी आ रहे हैं, ताकि चन्दा ले सकें। और हुआ क्या ? एक भी उद्योग नहीं ला सके। लिया केवल चंदा पार्टी के लिये, या अपनी जेब भरने के लिये। जिसकी आप इन्क्वायरी करा लें।

यही नहीं, मैं निवेदन कर दूं, निगमों को उनके बंगलों के लिये 1000–1000 एडवांस दिया गया। सारे निगमों में गैर सरकारी सदस्य को बैठाना चाहिये था। इन्होंने आई. ए. एस. आफिसर्स को बढ़ावा दिया। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सारे आफिसर्स को हटा कर गैर सरकारी सदस्यों को लगायें ताकि हमारे लोगों का, हमारे राजस्थान का भला हो। प्रजातंत्र में अफसरशाही खतम हो··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो असली निगम बनाना चाहिये था, जल निगम को बना कर इनको पेयजल की समस्या को हल करना चाहिये था, ये जानते थे, लेकिन जान बूझकर नहीं किया, क्योंकि इस निगम से इनका पेट नहीं भरता। इस निगम से इनकी जेबें नहीं भरी जा सकती थीं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक मिनट का समय बढ़ा दीजिये। पार्टी का समय दिया गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको पार्टी ने पांच मिनट का समय दिया है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं पार्टी से निवेदन कर दूंगा कि मेरा समय बढ़ा दिया जाय।

आपकी एक योजना थी काम के बदले अनाज। इन्होंने इसमें क्या घपले किये, आपको पता है, सारे राजस्थान को पता है। सड़क बनायीं, नहरें खोदीं। कैसे-कैसे खोदीं, बता दीजिये। एक बरसात आयी तो सारी सड़क बह गयी। हकीकत तो यह है कि एक सड़क नहीं बनी। मैं आपको बताऊं कि सारा पैसा अफसरों की जेब में चला गया या मंत्रियों की जेब में चला गया मैं आपको बताऊं पी. डब्ल्यू. डी. के एक इंजीनियर थे, उनके जरिये काम के बदले अनाज योजना में सड़क निर्माण के लिये पैसे दिये गये थे, उनकी शिकायत हुई। जयपुर से एन्टी-करप्शन पार्टी गयी और उसके आधार पर उस वक्त पाया कि वहां कोई सड़क नहीं बनी, कोई बंगला नहीं बना। केवल मस्टर रोल मिला। चालान की तैयारी हुई। उसको रोक दिया गया। केवल··

(व्यवधान)

इसलिये रोक दिया गया, वह पैसा कहां लगा, कई लोग वहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी थे, गंगापुर के वरिष्ठ अधिकारी थे, कमिश्नर रैंक के, नाम नहीं बताना चाहता हूं अगर आप कहें तो नाम बता सकता हूं। खण्डार सवाई माधोपुर जिले में उनका वहां फार्म है। बंगला है। वह बंगला जो पुराना पड़ा था।उसका जीर्णोद्धार हुआ है। जाकर देख लीजिये। वहां पर लाखों रुपये सड़कों के उस बंगले में, बिल्डिंग में लगे हैं। उन अफसर से हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी शेखावत साहब की सांठगांठ थी। उसको दबा दिया गया है। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं इसकी जांच होनी चाहिये। एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट ने जो चालान की तैयारी की थी उसको वापस उठाना चाहिये। मैं

(श्री ईश्वर लाल सैनी)
निवेदन करता हूं कि यह एक गम्भीर घोटाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 10 मिनट हो गये हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा टाइम बढ़ा दें। मैं आपसे निवेदन करता हूं। मुझे अभी बोलना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आपके लिये टाइम बढ़ाया जाय।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कोई बात नहीं, सूचना आ जायेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : पी.एच.ई.डी. में घोटाले किये गये। पी. एस. सी. में जो चेयरमैन थे उनको एक आई.ए एस. अफसर ने जबानी कहा, सिफारिश की कि उनके खिलाफ गवर्नमेंट को लिख दिया, अपनी ईमानदारी जताने के लिये पी. एस. सी. के बारे में -

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, ऐसे दो बार पहले रोका जा चुका है। सदन में कोई चर्चा नहीं होगी, यह पहले व्यवस्था हो चुकी है।

श्री सभापति : आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह लिख कर मुख्य मंत्री जी को दे दें। माननीय सदस्य, आपका समय बढ़ाने की कोई सूचना नहीं है। समय बहुत कम है, माननीय सदस्य।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। यह निरन्तर अध्यक्ष पद से आदेश दिये जा रहे हैं और उनकी अवहेलना हो रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। सवाल सदन को ठीक चलाने का है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप मेरे को बन्द नहीं कर सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन के कुछ नियम होते हैं। माननीय सदस्य।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें। माननीय सदस्य। अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : +++

श्री सभापति : अपनी बात समाप्त करें। सदन के भी कुछ नियम होते हैं। आपके मुख्य सचेतक महोदय यहां हैं नहीं। अंकित न हो। माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें। सदन के नियमों की पालना करना जरूरी है। कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ईश्वर लाल सैनी : श्री नारायण सिंह एस. पी. हैं जिनके दो लड़के हैं दोनों को चाकू की नोक पर टिपाया गया है। एक

+++ अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

को आर. पी. एस. में ले लिया गया है और निश्चित रूप से दूसरा भी आर.ए.एस. में आयेगा। अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी का जो प्रशासन था उस काल के ये कारनामे हैं जिन्होंने हमारे राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को डांवाडोल कर दिया। हमारा जो पर्यटन विभाग है उसमें उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। चेयरमैन पी.एस.सी. ने जातिवाद व भ्रष्ट तरीके से इन दोनों का आर.पी.एस. व आर.ए. एस. में गलत चयन किया है जो वास्तव में चपरासी के चयन के काबिल नहीं है।

(व्यवधान)

जैसलमेर में पशु विभाग का एक मेला लगा। वहां पर इन्होंने अपनी बैठक की। वहां सारे अफसर लोग पहुंच गये। और जो स्टेट मिनिस्टर थी वहां पहुंच गई हंसने की बात नहीं हैं। वहां टूरिस्टों को जगह नहीं मिली रहने की।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, बोलिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी : बड़ी भारी फौज वहां गई अफसरों की और वहां पर और हमारी जो उस समय की भूतपूर्व राज्य मंत्री महोदया भी अपनी सहेलियों को लेकर वहां XXX करने चली गई। यह सही है। आप मालूम कर लें यह सही बात है। इसकी शिकायत हुई थी। उस समय वहां अफसर-शाही का अंकुश था।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया, यह बहुत गलत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें। मैंने इसमें नोट कर दिया है कि आपके जो ऑब्जेक्शनेबल पोर्शन हैं उसको एक्सपंज कर दिया जाय।...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, ये क्या बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

(2.45 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आसन पैरों पर है। अब तो बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था। कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं की सूची काफी लम्बी थी इसलिये उनको 7 से 10 मिनट का समय जैसा कि उनके चीफ व्हिप की राय थी, उसके अनुसार दिया गया।

यहां पर जो कुछ भी कार्य चलाया जाता है, कुछ नियमों के अन्तर्गत चलाया जाता है। जहां तक मानहानिकारक प्रश्न हैं वे यदि कोई प्रश्न उठाये जायं यदि किसी व्यक्ति के संबंध में, कोई ओहदेदार रहा हो उसके संबंध में हों तो हमें उसकी पूर्व सूचना देनी होती है। उसके अभाव के अन्दर केवल पद के नाम से उस व्यक्ति

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(72)

(श्री अध्यक्ष)

के बारे में पासिंग रेफरेंस के आधार पर। हम बजट डिस्कस कर रहे हैं तो आम तौर से प्रशासन के मुद्दे भी सामने आ जाते हैं वह ही उठाना बजट का सिद्धान्त है। वह बात आ जाती हैं। इसमें अलग-अलग प्रशासन में व्यवस्था की जाती है वह बात भी आ जाती है। यह स्कोप तो काफी बड़ा है। सभी तरह के मामले उठाये जा सकते हैं। लेकिन डिबेट के नियम हैं। सदन में उनका हमेशा, सदैव ध्यान रखना चाहिये और खास तौर से मानहानि-कारक मामलों में, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यह हमारी कभी मन्शा नहीं होती कि कोई बोल रहा हो तो अकस्मात उनके भाषण को समाप्त कर दिया जाय। लेकिन आसन की ओर से जब समय समाप्त हो जाता है तो आसन अपनी ओर से सूचना दे देता है कि समय आपका समाप्त हो रहा है इसलिये जल्दी इस बात की तैयारी कर लें कि उनका भाषण समाप्त हो जाय। एकाएक, यह तो हम नहीं कहते कि आपका भाषण समाप्त हुआ।

मुझे दुःख है कि सभापति महोदया यहां पर विराजमान थीं, तो उनके साथ हम सबको सहयोग रखना चाहिए। अब उन्होंने कहा, जो कुछ कहा तो एक मार्गदर्शन दिया उसके अनुसार होना चाहिए। अब मैं माननीय वक्ता से यही निवेदन करूंगा कि 2-3 मिनट में समाप्त कर दें और इस बात का ख्याल रखें कि मानहानिकारक मामले जो हैं, ये सब जगह प्रसारित होते हैं। उस व्यक्ति के हिसाब से ही सदन में उसका नाम लिया जाता है। खास तौर से वह व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उसको अपनी सफाई देने का भी अवसर नहीं होता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य ने बोलते समय कहा है कि जो भूतपूर्व राज्य मंत्री महोदया थीं वह अपनी सहेलियों के साथ ××× यह शब्द इस प्रकार के हैं, यानि मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार नोटिस दिया जाय···

श्री अध्यक्ष : इसको प्रकाशित···

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर। जिन शब्दों के बारे में आपत्ति की गई है वे प्रकाशित नहीं किए जायेंगे। मैं स्वयं देखूंगा। इसमें यदि कोई आपत्तिजनक शब्द हैं तो उनको कार्यवाही से हटाने की व्यवस्था की जा सकती है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका भाषण समाप्त हो जाय तो पाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन भी यदि आपको––

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है यह चौथा अवसर है कि आप बार बार सत्ता पक्ष के लोगों को इस प्रकार के शब्दों के लिए आगाह कर रहे हैं। मान-हानिकारक शब्दों के लिए––

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(व्यवधान)

मैं समझता हूं किसी भी विरोधी पक्ष ने इस तरह की बात नहीं कही। लेकिन इस प्रकार के छोटे, ओछे और गन्दे शब्दों का प्रयोग...

(व्यवधान)

जब तक इनको ताड़ना नहीं करेंगे या बाहर नहीं निकालेंगे ऐसे लोगों को तब तक ये ठीक नहीं होंगे। इन लोगों ने जो तौर-तरीका बना लिया है इस प्रकार बोलने का, इससे विरोधी पक्ष को संरक्षण दिलाया जाय। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा अगर इस प्रकार की XXX फिर की जाय तो इनको ताड़ना प्रदान करें, उनको सदन से बाहर निकालें, सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक इनको यहां से निष्कासित करने की आज्ञा दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह XXX नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य रामनारायण डूंडी इस प्रकार से कमेन्ट न करें। कल भी मैंने कहा था इस प्रकार की बात अच्छी नहीं है। ये तो फिर दुबारा चुन कर आए हैं।

श्री रामनारायण डूंडी : अध्यक्ष महोदय, तीन साल की कार्यवाही उठा कर देख लीजिए कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे नेता महोदय पर किस प्रकार के लांछन लगाये हैं और अब आप यह कहते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: अध्यक्ष महोदय क्या XXX शब्द पार्लियामेन्ट्री है।

श्री अध्यक्ष : यह किस सन्दर्भ में कहा गया है उस पर निर्भर करता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह कितना सत्य है? उनको हम सत्य मानते हैं हम बहुत गिड़गिड़ाते थे सन् 77 में यह उन्हें पता नहीं था कि अगर हम थूकेंगे तो यह थूक हमारे ऊपर भी गिरेगा। यहां पर माननीय सदस्य जो गड़बड़ियां होती हैं उसको बताते हैं। हमने भी पूर्व में यहां पर कहा था कि हमारे नेता मोहनलाल सुखाड़िया हाउस में नहीं हैं। जो हाउस के माननीय सदस्य नहीं हैं, हाउस के बाहर हैं, उन पर तो आप कम से कम सीधे आक्षेप न करें, केवल पासिंग रेफरेन्स के रूप में अपनी बात कह दें। परन्तु उस वक्त उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हम कहते थे कि यह सम्भव नहीं है कि आप हमेशा ट्रेजरी बैंचेज पर ही बैठेंगे। पर कोई पार्लियामेन्ट्री बात इन्होंने नहीं सीखी। उस वक्त इनको इतना दर्द नहीं होता था और आज इनको दर्द हो रहा है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या उसका बदला लिया जा रहा है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। चतुर्वेदीजी, हम जो बात कहें उस सम्बन्ध में हमको सावधान रहना चाहिए। चतुर्वेदीजी, आप बार बार क्यों व्यवधान कर रहे हैं। आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। यह कोई फ्री स्टाइल

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

नहीं है। आपके जोर से बोलने से हम कोई डरने वाले नहीं हैं। न तो पहले दबे हैं और न अब दबेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां ऐसी परम्परा है. ऐसे शब्द कहने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारी असेम्बली का डेकोरम मेन्टेन हो। इसका दायित्व हमारे विधान सभा के सदस्यों का है। इसका ख्याल थोड़ा हमको होना चाहिए। आपने जो कुछ किया है वह हम नहीं करें यही तो मैं कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ रोडवेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। रोडवेज की आज खस्ता हालत है। यह सब जनता पार्टी के शासन काल की देन है। जनता पार्टी के शासनकाल में हजारों टायर ऐसे थे जो कि रिट्रेडिंग हो सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं कराए और उनको नीलाम कर दिया। इसके पीछे क्या बात थी 15 रुपये में उनको नीलाम किया गया और जो ठेकेदार थे उन्होंने इन टायरों को खरीद कर उनको रिट्रेडिंग करके 1500–1500 सौ रुपये में बेच दिया। अगर इनको रिट्रेडिंग किया जाता तो बसें चल सकती थीं। यही कारण है कि आज हमारी रोडवेज घाटे में चल रही है। इसकी वजह यही है। हमारी बसें बहुत खड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण हो परन्तु जब रोडवेज के पास बसें नहीं थीं तो राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। हमारे यहां पर छोटे छोटे बस वाले थे। उन्होंने एक लाख रुपये की रिश्वत दी कि हमारा टाइम बढ़ा दिया जाए। उस वक्त के जो मंत्री थे उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि तीन या चार महीने में निश्चित ही हल हो जायेगा। तीन-चार महीने बाद ही उनका पोर्टफोलियो बदल गया। दूसरा मंत्री आ गया और उसने सारे अलवर का बेदर्दी से राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके पीछे एक भावना थी कि जो छोटे छोटे बस आपरेटर्स थे और जो कच्चे रूट पर चल रहे थे. .

श्री दाऊदयाल जोशी : अब वह मंत्री आपकी पार्टी में हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कच्चे रूट पर जो बसें चल रही थीं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार जो हमारे छोटे बस आपरेटर्स थे उनको रोजगार से वंचित कर दिया और जनता को असुविधा हो गई। इसके पीछे भावना यह थी कि छोटे हमारे जो बस आपरेटर्स थे उनको तो घर बैठा दो और जिनके पास पचास-पचास बसें थीं, जिनकी ढाई-ढाई तीन-तीन लाख की बस थीं उनके साथ यह सांठ-गांठ हुई कि तुम्हारी बसें अनुबंधित कर ली जायेंगी। आपकी बस रोडवेज चलाएगी। जब उनकी बसों को ही चलाना था तो आपने यह राष्ट्रीयकरण क्यों किया? इस सम्बन्ध में एक डेपूटेशन भी मिलने गया। हमारा हजारों रुपया खर्च हो गया। इसलिए उनको बस परमिट दिए जायें ..

75

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ईश्वर लाल सैनी : थोड़ा समय और दें। मैं कुछ नशाबन्दी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जनता पार्टी ने हमारे सामने समस्या पैदा कर दी है। नशाबन्दी एकदम से करने से हमारी आर्थिक स्थिति डावांडोल हो गई है। हमारे सामने सांप छछुन्दर की स्थिति हो गई है। आज जगह-जगह पर कच्ची शराब की भट्टियां चल रही हैं। हमारे पास पूरी पुलिस फोर्स नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि इसको चैक कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर निश्चित रूप से हमारे मुख्य मंत्री जी कदम उठायें और जनता पार्टी ने हमारे सामने जो समस्या छोड़ दी है उसको ठीक करें। इनके समय में कई जगहों पर भट्टियां बनी हैं जो आज सुचारु रूप से चल रही हैं। यह समस्या है। जनता पार्टी को यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया। उस समय उनकी हिम्मत नहीं थी। वह पहले इसको लागू करके इस समस्या पर काबू पा लेती परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया। 6 महीने में नशाबन्दी लागू नहीं करनी चाहिए थी।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, वित्त निगम में जो घोटाले हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। आज वहां हालात यह हैं कि जिसको चाहा भर्ती कर लिया और जिसको चाहा उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। सारे राजस्थान में देखो जितने वहां घोटाले हुए हैं वे और कहीं नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन और कर दूं। मेरे क्षेत्र में जमीन है, सीरावास में हजारों बीघा जमीन है। उस वक्त जो मुख्य मंत्री थे उनके एक रिश्तेदार का 100 बीघा जमीन पर कब्जा है। वहां के जो गूजर, मीणा हैं उनको एक बीघा जमीन भी अलॉट नहीं की गयी है। पता नहीं किस चालाकी से यह जमीन ऐसे ऐसे लोगों को अलॉट की गई जिनका नाम पता नहीं है। वे हैं×××मुख्य मंत्री के बहनोई।

श्री अध्यक्ष : नाम हटा दें।

श्री ईश्वलाल सैनी : शेखावतजी के बहनोई हैं। इसलिए मैं हमारे मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो जमीन अलॉट हुई है 150/200 बीघा, वह निरस्त की जाए। वहां के लोग एक एक बीघा के लिए तरस रहे हैं। वह एक्वायर कर के इन गरीबों को अलॉट की जाए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण समाप्त हुआ। माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दो मिनट और दें।

अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट हमारे पहाड़िया जी ने पेश किया है उसे मैं चहुंमुखी विकास का बजट समझता हूं। इससे सारे राजस्थान का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्रीमती विद्यापाठक का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय मैं समझती हूं कि जहां तक मैं जानती हूं

××× नाम अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

कि माननीय सदस्य जब अपना भाषण दें उस समय चेयर पर जो भी सदस्य बैठा हो उसको अपने भाषण में इन्वाल्व न करें। मैं सोचती हूं ऐसा नियम है इसलिए इन्होंने जो कहा इस पर आप अपना निर्णय दें।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने कहा है कि जब मैं स्टेट मिनिस्टर थी मैं अपनी सहेलियों के साथ XXX मनाने गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो माननीय सदस्य लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कोई बात कहें तो वह जिम्मेदारी के साथ कहें। जानकारी नहीं रखते हों तो न कहें XXX

मैं वहां गयी थी यह सही है। मेरी गाड़ी में मेरे साथ मेरी 2 सहेलियां भी गयीं थीं। यह सही है। मगर XXX मनाने का प्रश्न और जब मैं अपनी सहेलियों के साथ गई थी, यह स्पष्ट रूप से मेरा अधिकार था। अपने अधिकारों की सीमा के अन्दर किसी भी साथी को कभी भी ले जा सकती थी। आप बोलना क्या चाहते हैं? आब्जेक्शन है इस शब्द XXX पर एक तो, माननीय अध्यक्ष, सदस्य महिला सदस्या हो और फिर उस चेयर पर बैठी हुई हो जहां अभी आप विराजमान हैं। यह चेयर का अपमान है और महिला सदस्य का भी अपमान है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह आसन का अपमान है। इनसे रिग्रेट करवायें। यह नितान्त आवश्यक है कि जब कभी भी बोला जाये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला जाये I take a very serious exception.

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने इस सम्बन्ध में आप से यह निवेदन किया था कि आपने पर्यटकों की अवहेलना की। उनको ठहरने की जगह नहीं दी।

श्रीमती विद्या पाठक : यह दूसरा प्रश्न है कि वहां पर ठहरने की व्यवस्था नहीं थी आदि आदि।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उनके साथ दुर्व्यवहार किया जब कि दूसरी ओर वहां अफसरशाही का बोलबाला था। जहां उनके ठहरने की व्यवस्था थी वहां आपने और आपकी सहेलियों ने कब्जा जमा लिया।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : आपसे कुछ कहूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य का यह शब्द मेरे पर्सनल जीवन से संबंध रखता है। यह जो दूसरा आब्जेक्शन माननीय सदस्य ने उठाया है यह एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हो सकता है। उसको प्रश्न के माध्यम से उठाया जा सकता है। जो कुछ वे बोल रहे हैं उसकी मुझको भी जानकारी है। मगर मेरे से भी पूछ सकते हैं। आप इजाजत देते तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे सकती थी। मगर व्यक्तिगत एस्पर्शन की गंभीरता आपको भी स्पष्ट समझनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। वे जो भी हैं उनको एक्सपंज किया जाये।

श्री अध्यक्ष : इसमें कार्यवाही करूंगा

XXX नाम अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
जितनी प्रोसीडिंग्स हैं उनको मंगा कर देखूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न

पूर्व सूचना दिये बिना आरोप

श्री जीतमल जैन (अलवर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन के माननीय सदस्य के ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप उठाये हैं। नियमों के अन्तर्गत चार्ज लगाने से पहले इसकी सूचना आपको देनी चाहिये थी और आपके द्वारा परमीशन मिलने पर यहां लगाये जाने चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सारी कार्यवाही के अन्दर जो आरोप लगाये गये हैं उनको एक्सपंज करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज : माननीय सदस्या ने अपने स्पष्टीकरण में एक बात कही है कि जिस वक्त कुछ आक्षेप लगाये गये किसी समय के राज्य मंत्री के सम्बन्ध में उससे उस व्यक्ति का सम्बन्ध था जो अभी आसन पर विराजमान था। आप जानते हैं कि विराजमान सभी व्यक्ति स्पीकर की श्रेणी में आते हैं, जब वह आसन पर हों। आसन पर आक्षेप लगाने की एक प्रक्रिया है हमारे यहां पर, कई अन्य तरीके हो सकते हैं। इसमें बात यह है कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जायेगा सिवाय इसके कि यहां पर एक मोशन सदन के अन्दर लाया जायेगा वह अविश्वास का प्रस्ताव हो सकता है। मैंने पूरा नियमों में देखा नहीं। माननीय सदस्या से मेरा निवेदन यह है कि यहां पर जितने भी चेयरमैन बैठते हैं, वह भी शायद कभी मंत्री रहे हों, उनके बारे में कभी कहें वह यह तो बोलना है उसे। अपनी कठिनाई बता दें कि मैं उस व्यक्ति के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि वह उस वक्त कुछ कह दें। माननीय सदस्या आसन पर विराजमान थीं उस वक्त जो कहा गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें यदि कुछ आपत्तिजनक है तो उसको कार्यवाही से निकालने के संबंध में भी मैं कार्यवाही करूंगा। मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि यहां पर अपन सब बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने आये हैं। यहां बड़े जिम्मेदार लोग हैं जनता के सामने। साथ ही साथ हमें यहां जो बहुत ही कटु सत्य होता है, अच्छा नहीं लगता है जो शायद अगर हम साधारण नागरिक होते तो न कहें। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले भी जनहित के मामले होते हैं, वे लेने होते हैं लेना जरूरी भी होता है। अपना उत्तरदायित्व है। यह बात नहीं कि भ्रष्टाचार के मामले नहीं उठाये जायें, अवश्य उठायें। लेकिन यहां उठाने के हमारे यहां पर नियम और तरीके दिये हुए हैं कि उनको कैसे उठाया जाये। इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है कि माननीय सदस्य जो मानहानिकारक और अपमानजनक शब्द आयें खास तौर से उनका ध्यान रखें कि वह उठा रहा है उसमें नियम क्या हैं यह देख लें। इसमें एक बात यह है कि इसकी पूर्व सूचना दी जायेगी। इसका भी आप ध्यान रखें। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इन मामलों में आप आसन से सहयोग करें। हमारे लिए बड़ी कठिन स्थिति कभी बन जाती है, उसमें आप माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिये। मैं यह कह सकता हूं कि जब माननीय सदस्या पदासीन थीं उस वक्त कुछ कटुता का वातावरण

(श्री अध्यक्ष)

बना। कोई स्थिति इस तरह की बन जाये, खेदजनक स्थिति बनी। अगर कोई भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसको कार्यवाही से निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य ने तो मानहानि की बात कही है। यह पर्सनल करैक्टर के एसेसिनेशन की बात है। और मुझे खतरा है। माननीय सदस्य क्षमा मांगें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यहां पर यह शब्द रिकार्ड में भी है। बोला गया है, इस पर चर्चा हुयी है। इसमें तर्क की क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : इसमें तर्क यह है कि कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ही कटु हों लेकिन यहां बहुत कुछ कहा जाता है, और जो कुछ कहा जाता है बहुत ही जिम्मेदारी से कहा जाता है। भला लगे या बुरा लगे उस बात से तो शब्द कार्यवाही में से नहीं हटाये जाते है। लेकिन जो अनपार्लियामेंट्री हैं, अकारण अपमानजनक हैं, इस तरह के शब्द हटा दिये जाते हैं। इसमें इतना ही है, और अधिक है तो आप बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : इसका प्रकाशन रुकवा दीजिये। यह प्रकाशित हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रकाशन पर मैंने प्रतिबन्ध लगा दिया। वह मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था। यहां जो कहा जाता है जिम्मेदारी से कहा जाता है हम उस पर कोई बंदेश नहीं लगा सकते हैं। माननीय सदस्य जिम्मेदारी से कहते हैं। यह मान कर चलते हैं।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : जो कहा गया है वह गलत कहा गया है। एक महिला और वह पदासीन है उस वक्त उसके चरित्र के बारे में कुछ भी कहा जाये। ××× शब्द पार्लियामेन्ट्री है या नहीं है पर उसका असर होता है चरित्र पर। खास तौर से एक महिला सदस्य के प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं समझता हूं बहुत अनुचित है।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बृज सुन्दर शर्मा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बृज सुन्दर शर्मा वरिष्ठ सदस्य हैं वे कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं ××× शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है। ××× का मतलब है आमोद-प्रमोद इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिये कोई माननीय सदस्य आसन पर है और वह किसी वक्त मंत्री था और अगर उसका नाम नहीं लेते हुये यहां कोई आक्षेप की बात कहें। किसी का भी नाम लेकर कहने में आपत्तिजनक होता है। जहां तक मैं सुन पाया हूं माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
इसलिये समझता हूं कि यह आपत्तिजनक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैं विचार कर रहा हूं। उस पर अभी मैंने निर्णय नहीं लिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं, मैं तो था नहीं, भाषण में इन्होंने जिक्र किया है कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत ने 1 लाख 10 हजार रु. का बंगला बना लिया है रिश्वत लेकर। मैं समझता हूं कि आपने सारा भाषण इस तरह बिना सूचना दिये, बिना नोटिस दिये किया है। तो इस प्रकार से क्या आगे भी करते रहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आगे इसमें ऐसा है...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरे पास बृजसुन्दर जी का चिट्ठा पड़ा हुआ है। उन्होंने जो रिश्वत खाई, वह बतलाऊं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय पीठासीन अधिकारी के लिए कहा है, उनके खिलाफ आरोप लगाये हैं। उन्होंने XXX शब्द कहा है। यदि वह किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की या किसी प्रकार की अनियमितता की बात कहते तो हम उसको स्वीकार करते। लेकिन यह XXX शब्द इस सदन की गरिमा के खिलाफ है। यह एक महिला की प्रतिष्ठा का सवाल है। जैसा कि श्री बृजसुन्दर शर्मा जी ने कहा कि XXX यह शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है। तो कौन से ऐसे शब्द हैं, ऐसी तफसील दी जाये कि यह अनपार्लियामेण्ट्री नहीं हैं। माननीय सदस्य ने कहा और जिस प्रकार से जिस लहजे में कहा उस लिहाज से उससे यह शब्द बिल्कुल अनपार्लियामेण्ट्री है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि यह इन शब्दों को वापस लें और रिग्रेट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह गलत बात है। मेरा मतलब यह है कि XXX से मेरा मतलब यह नहीं था कि कोई ऐसी गलत बात है। ये अपनी सहेलियों के साथ वहां पर गईं। वहां जाकर इनको जो हमारे पर्यटक लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी वह न देकर वहां खुद अपना रिक्रियेशन किया एन्टरटेनमेंट किया, यही मेरा निवेदन था।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो माननीय सदस्य ने कहा है मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि सदन की आखिर एक परम्परा है, गरिमा है, उसका पालन करना चाहिए।

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है...

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस समय यह कहा मैं उस समय सदन में था । इन्होंने भैरोंसिंह जी से लेकर पता नहीं किन किन पर बेग आरोप लगा दिये हैं । माननीय सदस्य उस समय जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे इन्होंने पर्यटन मंत्री सम्बोधित करके कहा था । जहां तक पर्यटन मंत्री का सवाल है, वह तो है हमारी विद्याजी पाठक । ऐसी स्थिति में उन्होंने दुर्भावनापूर्वक कहा है । आरोप चाहे कुछ भी लगाये, यह सही नहीं है आप पर्यटन मंत्री शब्द का प्रयोग करें । यह दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं समझता हूं कि इनको ताड़ना देनी ही चाहिए । यदि मैं भी इस प्रकार का काम करता हूं तो वह अनुचित है । इसको हमें गम्भीरता से लेना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने दो दफे अपनी बात रखी । इसका आशय यह है कि जो जनरल वे में उसका मतलब समझा जाता था उनका मतलब यह नहीं था ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उनका यह आशय नहीं था तो खेद प्रकट कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत लज्जाजनक स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है । इतना पर्याप्त है । मेरा निवेदन है कि डिबेट को आगे बढ़ने दिया जाये । माननीय सदस्य से मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि वे जिन शब्दों का प्रयोग करें बहुत ही सोच समझ कर करें ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी को ××× कह दिया जाये तो क्या यह सही होगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं । अध्यक्ष के नाते आप ठीक कह रहे हैं लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा है, उसके लिए खेद प्रकट करने में इन्हें कौनसी तकलीफ है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो हम सदन का काम नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं कि इस शब्द का प्रयोग किया है तो इनको खुद आगे आकर यह कहना चाहिए कि हमारी गलती हो गई ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने ××× शब्द कहा है । सदन में इस भाषा में भाषण करते हैं । मैं चाहूंगा कि...

(व्यवधान)

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया है।

श्री शाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महाभाग, हाई कोर्ट के एडवोकेट पण्डित वृजसुन्दर शर्मा, बूंदी के विधायक, ऐसे शब्दों की परिभाषा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी डिक्शनरी में XXX शब्द है...

(व्यवधान)

या तो वह हिन्दी में डिक्शनरी देख लें कि XXX शब्द किसमें प्रयोग किया गया है। उसकी परिभाषा क्या है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री अहमद बक्स सिन्धी : XXX के मायने क्या हैं ?

(व्यवधान)

श्री शाऊदयाल जोशी : ये इस प्रकार की गन्दी, ओछी, और छिछली भाषा का प्रयोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा !

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर !

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बेहतर तो यह होता कि माननीय सदस्य ने जो अलफाज कहे हैं, उनको बिना किसी दुर्भावना के खड़े होकर माफी मांग लेते। लेकिन माननीय श्री वृजसुन्दर शर्मा जो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं बाइज्जत यह कहना चाहूंगी कि उन्होंने XXX शब्द को पार्लियामेन्ट्री कह कर जो यथावत रखने की सिफारिश की है, क्या यह चाहते हैं कि आयन्दा इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य, चाहे महिला अथवा पुरुष सदस्य इधर की हों या उधर की हों, को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात कही जाए।

क्या सदन तथा शासन इस बात की इजाजत देगा कि माननीय सदस्यों के लिए इस शब्द का सदन में खुल्लमखुल्ला इस्तेमाल किया जाये। हर माननीय सदस्य महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें।

एक माननीय सदस्य : डूब मरने की बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझती हूं···

(व्यवधान)

मेरी बात पूरी होने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत इस सदन के हर माननीय सदस्य से दरख्वास्त करना चाहूंगी, चाहे महिलायें इस पक्ष से हों या उस पक्ष से हों। कोई बात कही जाये तो महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखा जाये। मैं महिला होने के नाते याचना नहीं कर रही हूं। भीख नहीं मांग रही हूं। यह हमारा

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(सुश्री पुष्पा जैन)

अधिकार है इस अधिकार के नाते ही कह रही हूं कि आप अगर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, सदन की माननीय सदस्या होने के नाते वह आपको सम्मान देना पड़ेगा। यह हमारा प्रिविलेज है। जो हमारा ही नहीं सदन के हर सदस्य का है जिसे आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। दुःख इस बात का है कि इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री बृजसुन्दर जी शर्मा इसको उचित ठहरा रहे हैं। जब कि माननीय सदस्य स्वयं खड़े हो रहे थे क्षमा याचना करने के लिए, उस बीच में उन्होंने यह कहा कि यह शब्द अनुचित नहीं हैं। मैं इधर बैठे सत्ता पक्ष के उन माननीय सदस्य का सम्मान करती हूं, मैं उनका नाम नहीं जानती हूं, उन्होंने खेद प्रकट करते हुए यह कहा है कि कार्यवाही से ये शब्द निकाले जायें। मैं उनके प्रति आदर और आभार प्रकट करती हूं और आपसे दरख्वास्त करती हूं कि ये शब्द अनुचित हैं। अतः न केवल इन्हें सदन की कार्यवाही से निकाला जाय अपितु उन माननीय सदस्य, जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, को क्षमा याचना करने का आसन द्वारा आदेश दिया जाये। अन्यथा मैं चैलेंज के साथ यह कहती हूं कि आने वाले समय म फिर इस सदन में कोई गरिमा अथवा मर्यादा नहीं रह जाएगी। हर सदस्य महिलाओं के लिए कोई भी शब्द प्रयोग करेगा। क्या सदन इस बात की इजाजत देगा, क्या आसन इस बात की इजाजत देगा।

श्री जीतमल जैन : इनको पश्चाताप नहीं है, ये हंस रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : बेहतर तो यह होता कि जो महिला सदस्याएं उधर बैठी हैं वे भी माननीय सदस्य को मजबूर करतीं कि वे माफी मांगें। मुझे बड़ा अफसोस है कि वे चुपचाप सुन रही हैं। शायद उन्हें आने वाले कल का अहसास नहीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने यह बात कही है अगर उनको माफी मांगने में तकलीफ है तो माननीय मंत्री महोदय उसके लिए खेद प्रकट कर सकते हैं या आप उनको ताड़ना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको एक्सपन्ज कर दिया जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, सारे वादविवाद को मैंने नहीं सुना किन्तु जो शब्द प्रयोग किये गये है मेरे ध्यान में हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि भूतपूर्व मन्त्री महोदया वहां गई थीं, उनके साथ उनकी सहेलियां थीं, वह दरअसल जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तब XXX की बात कह गये तो अगर माफी नहीं मांगते हैं, ऐसी बात उन्होंने कह दी है....

सुश्री पुष्पा जैन : गलती से कह दी है तो मांफी क्यों नहीं मांगते ?

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ठहरिये, बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज ! बीच में बाधा उपस्थित नहीं करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि 22 साल तक मैं इस सदन का सदस्य रह चुका हूं, मेरी बात सुन लीजिये, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। मैंने यह निवेदन किया कि मेरे मन में सभी के लिये बड़ी इज्जत है, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किये महिला माननीय सदस्यों के लिये, महिलाओं के साथ महिलाओं की

(व्यवधान)

कोई बात नहीं है, माननीय सदस्या समझती हैं तो मैं उनकी ओर से महसूस करता हूं और

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष, महोदय, मुझे अफसोस है कि मै उस समय सदन में मौजूद नहीं था, लेकिन यहां आने पर मुझे मालूम हुआ कि जब श्रीमती विद्या पाठक चेयर पर थीं उस वक्त हमारी तरफ से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने यह कहा कि जब वे पर्यटन मंत्री थीं और जैसलमेर···

श्री अध्यक्ष : उस विस्तार में और नहीं जायें।

श्री खेत सिंह राठौड़ : उन्होंने XXX शब्द का प्रयोग किया वह उनको बुरा लगा। जितने भी विरोधी पक्ष के सदस्य हैं उनको बुरा लगा, XXX का मतलब उन्होंने उस मायने में नहीं लिया है, मैंने माननीय सदस्य से बात की है, मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको विथड्रा कर लें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बार फिर निवेदन कर दूं कि मंत्री महोदया अपनी सहेलियों के साथ वहां पर गई थीं···

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! एक बात सुन लीजिये, कृपया स्थान ग्रहण करें :

(व्यवधान)

सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और मंत्रीगण से मेरा निवेदन है कि उन शब्दों का ब बार प्रयोग नहीं करें, फिर कोई गलती हो जायेगी। एक्सप्रेस करना है तो साफ शब्दों में कह दीजिये, इसको ख्वालीफाई क्यों करते हैं।

श्री ईश्वर लाल सैनी : मेरी भावनाएं मनोरंजन करने से थीं, गलत हो तो उसको मनोरंजन कर लिया जावे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसको विथड्रा तो कर लिया है।

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने कहा है कि उन शब्दों को निकाल देंगे, इतनी बात तो आप भी मान रहे हैं, माननीय सदस्य क्या आपसे बड़े हैं ?

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ××× शब्द काम में लिया जाय, यह सिद्धान्त बना दिया जाये · · ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसके बाद आप· · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री ईश्वर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे शब्दों से माननीय सदस्यों को ठेस पहुंची हो तो · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री ईश्वर लाल सैनी : माननीय सदस्य को ठेस पहुंचती हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : खेद प्रकट कर दिया है । श्री बुलाकी दास ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि माननीय सदस्य ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों का पालन करें · · ·

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर । माननीय सदस्य, इन नियमों को लागू किया गया तो आपकी चर्चा नहीं होगी । इस कठिनाई से मैं परिचित हूं । इस लिए जो कुछ इन परिस्थितयों में हो सकता है तो वह बहुत बढ़िया है ।

श्री बुलाकी दास ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बजट का स्वागत करता हूं । श्रीमन्, राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां हर साल, एक वर्ष के बाद से सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । एक ओर जहां उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान की फसल का सत्यानाश हो गया, दूसरी ओर पर्याप्त वर्षा के अभाव में राजस्थान में सूखे की स्थिति पैदा हुई । ऐसे अकाल और बाढ़ की स्थिति में यह प्रदेश का शासन हमारी पार्टी को मिला । इसके अतिरिक्त जो पिछली सरकार थी, वह सरकार ने 27 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट छोड़ कर गई । इस बजट में 85 करोड़ रुपये का घाटा ओवर ड्राफ्ट को सम्मिलित करके दिखाया गया । अगर हम इसका मूल्यांकन करें और उसके बाद में जो घाटे की पूर्ति की व्यवस्था मुख्य मंत्री महोदय ने की है, उसके ऊपर विचार करें तो उन्होंने तीन चीजें घाटे की पूर्ति के लिए बतायी हैं । राजस्व में वृद्धि, आयोजना व्यय में

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मितव्ययता करके, केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करके घाटे की पूर्ति की व्यवस्था करने की बात कही गयी है।

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं घाटे की व्यवस्था के लिए जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, लेंड-लोर्ड हैं–राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है जो बड़े-बड़े जमींदार लाख रुपये से ज्यादा कृषि का उत्पादन करते हैं तो ऐसे जमींदारों के ऊपर उस उत्पादन के ऊपर यदि कोई कर लगाया जाये तो 50 करोड़ रुपये से अधिक आय प्राप्त हो सकती है।

राजस्थान सरकार के ये जो विभिन्न विभाग हैं उनमें करों की चोरी होती है। यह 25 करोड़ रुपये के लगभग आय हो सकती है। बहुत अधिक मात्रा में टैक्सों की चोरी होती है। समय-समय पर छापे मारे जायें, या इस प्रकार की निगरानी रखी जाये जो लोग सेल्स टैक्स बचाते हैं, इस सम्बन्ध में पर्याप्त कार्यवाही की जायें तो 15-20 करोड़ रुपये की जो टैक्स की चोरी होती है वह बच जायेगी।

राजस्थान में 1943 से 1952 के अधिनियमों के अन्तर्गत भू-राजस्व वसूल किया जाता है। गेहूं का 32 रुपये विवंटन मूल्य के आधार पर भू-राजस्व वसूल किया जाता है, जब कि वर्तमान में गेहूं का मूल्य 2 रुपये प्रति किलो के लगभग पहुंचा है। यदि स्पाट मूल्य के आधार पर भू-राजस्व वसूल किया जाता है तो 80 करोड़ रुपये के लगभग सालाना इनकम राज्य सरकार को हो सकती है।

इसके अतिरिक्त हमारा राजस्थान प्राकृतिक सम्पदाओं से भरा हुआ है। राजस्थान में प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है। हमारे यहां जिप्सम, रॉक फास्फेट, तांबा, नमक, जिंक, अभ्रक, मैंगनीज, लोहा, कोयला आदि काफी तादाद में पाया जाता है। यहां जो रॉक फास्फेट के परिशोधन संयंत्र लगे हुए हैं उनसे 50 करोड़ रुपये की सालाना आय राजस्थान को हो सकती है।

इसके अतिरिक्त मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि कच्चे माल का निर्यात देश और विदेश को किया जा रहा है। फिर भी घाटे में रहते हैं। पिछली जनता सरकार ने खनिज के मामले में ढिलाई की नीति अपनाई थी। वर्तमान सरकार से, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज के मामले में ऐसी नीति अपनाई जाये, जिसके अन्तर्गत हमारे खनिज के आधारभूत उद्योग लगाये जायें। उससे राजस्थान का आर्थिक विकास होगा।

हमारे यहां ऊन और चमड़ा, क्योंकि पशु देश के बल्कि हिन्दुस्तान में सारे प्रान्तों से अधिक राजस्थान में पाया जाता है। और चमड़ा बहुत अधिक मात्रा में होता है। जिससे ऊन और चमड़े का देश और विदेशों में निर्यात होता है। जिससे राजस्थान को काफी नुकसान होता है। इसके भी आधारभूत उद्योग लगाये जायें, जिससे राजस्थान की हालत सुधर सके, राजस्थान का विकास हो सके। राजस्थान की आर्थिक हालत सुधर सके।

पेय जल की समस्या के लिए विश्व-बैंक के [illegible] से 138 करोड़ रुपये की

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

योजना प्रस्तुत की गई है। इस योजना का मैं स्वागत करता हूं और वर्तमान बजट के अन्तर्गत जो 12.5 के खर्च की बात है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत जो आर्थिक लाभ मिलने वाला है केवल मात्र गांवों को मिलने वाला है। गांव में रहने वाले लोगों को ही सम्मिलित किया गया है। पशुओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। गांव का आदमी पहले अपने पशुओं का पानी पिलाता है फिर स्वयं पानी पीता है इसलिये उसमें पशुओं को सम्मिलित किया जाये ताकि विस्तार से योजना कामयाब हो सके। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत गांव-गांव में पानी पहुंचाने की बात कही गयी है। यह मुझे प्रायोगिक रूप में सफल होती नजर नहीं आती है। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि 4 गांव या 5 गांव या 2-3 किलोमीटर की परिधि में एक ऐसा बिन्दु बनाया जाये ताकि गांवों के लोग एक साथ पानी ले सकें। पानी की पाइप लाइन के अभाव के कारण कई गांवों में पानी नहीं पहुंचाया जा सकता इसलिए योजना को व्यावहारिक रूप देने के लिये ऐसे केन्द्र बनाने पड़ेंगे।

इसके अतिरिक्त मैं बजट के बारे में कुछ सैद्धान्तिक बातें कहना चाहता हूं। हमारा बजट ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। ऐसा लगता है जैसा कई माननीय सदस्यों ने अभी कहा कि यह तो आंकड़ों का जंगल है और हमेशा यह यही लगता रहा है। इसलिए हमारी केन्द्रीय सरकार ने अभी बजट को नया रूप दिया है। हमारे मुख्य [illegible], जो फाइनेन्स के अच्छे ज्ञाता हैं, से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब अगला बजट आये तो वे इसको एक अच्छे परफोर्मेन्स के रूप में रखें ताकि सदस्य इसे अच्छी तरह समझ सकें। इसको दूसरे लोग भी जान सकें और समझ सकें। इस संबंध में ट्रिमवर्ग, जो हारवर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, ने "मारवाड़ी फाम ट्रेडर्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट्स" में इस बात की व्याख्या की है कि राजस्थानी लोग बजटिंग, खाते बही एवं कास्टिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। इसलिए बजट के बारे में जब राजस्थान नए सिद्धांत निश्चित करेगा, परफॉर्मेन्स बजट के रूप में विभागवाइज बजट प्रस्तुत करेगा तो यह राजस्थान की पहल होगी।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने सीमेंट व कोयले की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में नहीं की जिसके कारण से आज भी इनकी समस्यायें हमें वसीयत के रूप में मिली हैं। सीमेंट, गेहूं और चीनी की जो वितरण व्यवस्था है, इसमें कम तोलने एवं मिलावट की व्यवस्था दुकानदारों ने कर रखी है। पिछली सरकार ने अपने ही लोगों को डिपो देकर इसकी परम्परा कायम की है। इसके लिए ऐसी समितियां बनें जो कम तोलने वालों और मिलावट करने वालों को दंड दे सकें। विरोधी पार्टी के लोगों ने बजट को प्रतिगामी एवं मूल्य वृद्धि वाला बजट बताया है। यह भ्रामक है। प्रस्तुत बजट से न केवल प्रान्त की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ेगा विकास की दर बढ़ेगी बल्कि कल्याणकारी विकास कार्यों में भी अभिवृद्धि होगी।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मैं, मूल्य वृद्धि के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। मूल्य वृद्धि केवल बजट के कारण से नहीं होती है। कई विरोधी पक्ष के सदस्य चाहते हैं कि नए कर न लगें। एक तरफ चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिले तो जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो लोगों के पास में सक्यूलेशन ऑफ मनी बढ़ेगा, लोगों के पास में अतिरिक्त मुद्रा आएगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनकी मांग बढ़ेगी। अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि जब मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। एक तरफ हमारे देश में सूखा पड़ता है, उत्पादन में कमी होती है और दूसरी तरफ मांग में वृद्धि होती है जनसंख्या बढ़ने के कारण। प्रदेश में 1971 के आधार पर 2.57 करोड़ से 3 करोड़ की जनसंख्या 1981 तक होने वाली है। इन सब कारणों से महंगाई बढ़ी है। महंगाई के कुछ और भी कारण हैं। कुछ इकानामिक इन्डीकेटर्स और आर्थिक उच्चावचान होते रहते हैं जिनके कारण से महंगाई आती है। विश्व में पैट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ओपेक देशों ने जो पैट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, हमको पैट्रोल आयात करना पड़ता है, इस कारण से हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाती है जिसके कारण से भी महंगाई बढ़ती है, केवल बजट के कारण से महंगाई नहीं बढ़ती।

इसके अतिरिक्त कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक स्टेट लैविल पैनल बनाना चाहिए। वह पैनल चौकस रहकर जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर नियंत्रण रखे, और प्रदेश में अनावश्यक रूप से जो महंगाई बढ़ती है उस पर नियंत्रण रखे।

पलाना थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जो कहा गया है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में जहां निजी विद्युत का उत्पादन होता था हमारे बीकानेर में स्टेट टाइम से निजी उत्पादन होता था, उसको स्क्रैप किया गया है। उसकी जांच होनी चाहिए। जहां जहां निजी विद्युत उत्पादन होता था चाहे थर्मल पावर स्टेशन के माध्यम से या अन्य किसी जरिए से उत्पादन किया जा सके, किया जाना चाहिए।

मैं बेरोजगारी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारी आदरणीय प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने अपने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में अप्रेन्टिसशिप योजना का जो उल्लेख किया है उसके अन्तर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के कामों में प्रशिक्षित किया जाए और Earn while you learn द्वारा स्थान स्थान पर छोटे-छोटे मैकेनिक के काम, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों व दूसरे कामों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए ताकि राजस्थान के शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और वे अपनी आजीविका के सम्बन्ध में स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें।

यातायात के संबंध में पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं वे समय पर नहीं चलती हैं। जो बस स्टेशन बने हुए हैं वहां पर्याप्त सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। राजस्थान के भूतपूर्व राज्य मंत्री

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
पिछले दिनों बीकानेर में बस स्टैंड के लिए भूख हड़ताल पर गए थे लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपने वचन को पूरा नहीं किया। आज तक बीकानेर में बस स्टेण्ड की बहुत भारी कमी है सड़क के बीच में छोटा सा बस स्टेण्ड पिछली सरकार ने बना लिया था।

मैं सचिवालय के संबंध में यही कहना चाहता हूं कि वहां नौकरशाही ने पिछली जनता सरकार को असफल बना दिया। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नीतियां बनाते समय उन लोगों को स्पष्ट रूप से समझायें कि जो राज्य सरकार नीति बनाती है उसका क्रियान्वयन द्रुत गति से हो और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनायें हैं वे आम-अवाम तक पहुंचें।

भूमि सुधार कार्यक्रम जो 1951 से चालू थे उनमें आज तक जो इम्पलीमेंटेशन का कार्यक्रम हो रहा था उसमें कुछ रुकावटें आई हैं। पिछले दिनों राजस्थान के लोगों ने संयुक्त परिवार में रहना बंद कर दिया है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो रहे हैं जिससे राजस्थान में उपविभाजन व उपखंडन की समस्यायें आज हावी हो रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार कार्यक्रमों को फिर से लिया जाए और जनता के हित में भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जाए। इसके लिए राजस्व मंडल की बेंचें अलग-अलग स्थानों पर स्थापित की जाएं क्योंकि इसी से संबंधित जो झगड़े हैं उनका निपटारा कई वर्षों तक नहीं होता है और लोगों को अजमेर जाना पड़ता है। बीकानेर में राजस्व मंडल की बेंच स्थापित की जाए जिससे केवल बीकानेर को ही लाभ नहीं मिलेगा बल्कि चूरू, गंगानगर, डूंगरगढ़ और कई जिलों एवं तहसील मुख्यालयों को लाभ मिलेगा।

अन्त्योदय योजना के बारे में हमारे विरोधी पक्ष के लोग कई प्रकार की बड़ाइयां करते हैं। मैं स्वयं इस योजना को जानता हूं। मैंने स्वयं ने देखा है और ग्रामवासियों से सर्वेक्षण के द्वारा पूछा है। इस योजना के बारे में उनकी स्पष्ट मंशा थी कि जो सूचियां बनाई थीं उनमें भाई भतीजावाद अपनाया गया था। इस योजना के अन्तर्गत पटाकों के लिए ऋण दिया, पतंगों के लिए ऋण दिया, अनप्राडक्टिव कामों के लिए, ऊंट और गाड़े के लिए दिया जिसका उपयोग नहीं हुआ। जिस प्रयोजन के लिए दिया गया उसका उपयोग नहीं हुआ। आज भी देखा जा सकता है कि जो अन्त्योदय परिवारों की सूची बना दी गई, यदि उनका मूल्यांकन कर लिया जाए तो आज भी उनको सब्सिडी नहीं मिली जब कि पुरानी कांग्रेस सरकार ने जो डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम दिया उसके अन्तर्गत पूरे गाँव के लोगों को सब्सिडी मिलती थी और प्रत्येक प्रयोजन के लिए रुपया समय पर उधार मिलता था। इस तरह से रुपये का डाइवर्शन हुआ।

अब मैं सड़क निर्माण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा, जयपुर और अन्य स्थानों पर पी. डब्ल्यू. डी. को नगर परिषद् से सम्बद्ध सड़कों के मामले में मरम्मत कार्य सौंपा गया है। पिछले वर्षों में आपने जोधपुर, बीकानेर की सड़कों को सम्मिलित

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
नहीं किया, पी. डब्ल्यू. डी. को नगर परिषद् की सड़कें सौंपी जानी चाहिए। पिछले तीन वर्षों में बीकानेर और जोधपुर की सड़कों के चेचक निकल गई है, जगह-जगह खड्ढे हैं। ऐसी हालत में इन सड़कों को भी सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाए। ये डिवीजनल मुख्यालय हैं, इन सड़कों की हालत सुधारें क्योंकि काफी विदेशी लोग इन शहरों में आते हैं और ऐसी व्यवस्था को देखकर निराश होते हैं।

मरु विकास कार्यक्रम···

श्री अध्यक्ष : समाप्त किया जाए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जिसका लगभग 2/3 हिस्सा मरु प्रदेश के रूप में आता है। जब तक इसकी समस्याओं का एक विशेष सैल के माध्यम से, विशेष आयोग के माध्यम से समाधान नहीं होगा तो यह मरु प्रदेश फिर रेगिस्तान के रूप में रहेगा। इसके लिए राजस्थान नहर के लिए प्रावधान भी पिछली सरकार ने किया था लेकिन बजट लैप्स होने के कारण, कोयले की कमी के कारण से और अन्य प्रशासनिक कारणों से नहर की प्रगति रुक गई है। वर्तमान बजट में 30 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, इसको बढ़ाया जाए और इस योजना को द्रुत गति से लागू करके मरु प्रदेश का विकास किया जाए।

शिक्षा के संबंध में मेरा निवेदन है कि बजट में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए जो व्यवस्था की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन यह एक केवल मात्र क्वान्टिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज के लिए उच्च शिक्षा का भी प्रावधान करना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि अभी जो विषय हमारे कालेजों और महाविद्यालयों में हैं उनके अलावा और नये विषय भी रखे जाने चाहिये जैसे साइकोलोजी, सोशियोलोजी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योलोजी, होम साइन्स, ज्योग्राफी जैसे और विषय महाविद्यालयों में खोले जाने चाहिये। आज राजस्थान में शैक्षणिक स्थिति इस प्रकार है कि राजस्थान में स्टुडेन्ट्स अधिक हैं। उसकी वजह से हमारे विश्वविद्यालय के रिजल्ट्स समय पर नहीं आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि परीक्षायें भी समय पर नहीं होती हैं। इसका कारण यह है कि हमारे राजस्थान में यूनिवर्सिटीज की कमी है। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटीज बनाने के लिये पहले समिति बनी थी। आगे आने वाले समय में मेरा यह निवेदन है कि बीकानेर, कोटा और अजमेर में विश्वविद्यालय खोले जायं ताकि विद्यार्थियों को ठीक से शिक्षा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। वह यह है कि राजस्थान में डाकुओं के बच्चों की शिक्षा के···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप काफी समय ले चुके हैं। अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय से थोड़ा समय और देने के लिये निवेदन कर दूंगा। आप मुझे थोड़ा समय और

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
दे दें। मैं बहुत ही जल्दी समाप्त कर दूंगा। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डाकुओं के बच्चों के लिये राज्य सरकार आठवीं कक्षा तक पढ़ने के लिये 40 रुपया वजीफा देती है लेकिन हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को पढ़ने के लिये सिर्फ दस रुपये ही देती है। अध्यक्ष महोदय, जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने हमारे देश की आजादी के लिये अपना जीवन न्योछावर कर दिया कम से कम उनके बच्चों के लिये अधिक धनराशि खर्च करने का प्रावधान राज्य सरकार को करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी लम्बा भाषण आपका हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको देवस्थान विभाग के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे देवस्थान विभाग के मन्दिरों में बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी वगैरह हैं पर आज तक उनका मूल्यांकन नहीं किया गया है। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि उन सभी हीरें जवाहरात और सोना चांदी का मूल्यांकन किया जा कर उसकी सूची राज्य सरकार के पास राज कोष में रखी जावे।

अब थोड़ा मैं मद्य निषेध के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मद्य निषेध के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी समय ले चुके हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा अपने क्षेत्र के बारे में दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर में बहुत से पर्यटन के स्थान हैं पर आज तक बीकानेर का नाम पर्यटन में नहीं आया। मेरा निवेदन है कि हमारे बीकानेर के अन्दर देवीकुण्ड, गरजने, जोहड़बीड़ आदि दर्शनीय स्थल हैं। मेरा निवेदन है राज्य सरकार को कि उनका विकास किया जाय और उसको पर्यटन के नक्शे में लाया जाय। इससे बीकानेर का विकास होगा और दूसरे वहां पर जो पर्यटक आयेंगे उससे हमारे राजस्थान को लाभ होगा।

(3.52 म. प.)
(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, हमारे यहां बीकानेर में टी. बी. हॉस्पिटल और टी. बी. क्लिनिक दोनों हैं और दोनों ही अलग-अलग जगह पर हैं। दोनों के बीच में 6 किलोमीटर की दूरी है। उन दोनों को एक ही जगह करने के लिये पी. डब्ल्यू. डी. से मूल्यांकन भी हो चुका है। मेरा निवेदन है कि वह दोनों एक जगह हो जायं तो उचित रहेगा। इसके लिये मैं आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि एक प्राइवेट ट्रस्ट इसको बनाने के लिये तैयार है। अगर राज्य सरकार इसको स्वीकृत कर दे तो उसकी जगह

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पर एक हॉस्पिटल का निर्माण हो सकता है। सभापति महोदया, अगर यह व्यवस्था हो जाती है तो बीकानेर के लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा मैं राज्य सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बीकानेर में सिटी डिस्पेन्सरीज की कमी है। वहां पर वर्तमान में चार डिस्पेन्सरीज हैं। सभापति महोदया, राज्य सरकार की यह नीति है कि 40 हजार की आबादी पर एक हॉस्पिटल खोला जाता है। बीकानेर की दो कान्स्टीट्यूएन्सीज हैं और उसमें बीकानेर की तीन लाख की आबादी है उसको देखते हुए वहां पर कम से कम दो सिटी डिस्पेन्सरीज और खोली जानी चाहिये जिससे कि वहां की जनता को राहत मिले।

सभापति महोदया, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि बीकानेर में ऊन और खनिज सम्पदा का बाहुल्य है। वहां पर जिप्सम की माइन्स भी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर सार्वजनिक उद्योग उर्वरक का लगाया जाय तो बीकानेर के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पर खनिज उद्योग का विकास भी हो सकेगा।

सभापति महोदया, यहां पर यह भी कहा गया है कि बीकानेर के लोगों को राजस्थान केनाल में जमीन दी गई है। पर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं बीकानेर के बहुत ही कम लोगों को राजस्थान नहर में जमीन दी गई है। जिन लोगों को दी भी गई थी, सभापति महोदया, पिछली जनता सरकार ने कई लोगों की जमीनों का अलाटमेंट कैन्सिल कर दिया। अभी भी ऐसा सुना है कि समय-समय पर प्रशासनिक कारणों से या और किन्हीं वजहों से लोगों के अलाटमेन्ट निरस्त किये जा रहे हैं। सभापति महोदया, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि बीकानेर के लोग जो 11 वर्ष से राजस्थान नहर में भूमि प्राप्त कर चुके हैं उन्हें बेदखल कर जो भूमि निरस्त की जा रही है उन्हें जमीन नहरी क्षेत्र में मिलनी चाहिये। इसके अलावा शिक्षित बेरोजगारों को नहरी जमीन आवंटित की जानी चाहिये। इसके लिये यदि टीनेन्सी एक्ट की धारा 27 में परिवर्तन करना पड़े तो करना चाहिये।

सभापति महोदया, एक बात जो मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह ऊन उद्योग के बारे में है। हमारे यहां पर ऊन बहुत मात्रा में होती है। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मन्डी है। सभापति महोदया, हमारे राजस्थान में एक वूलन मिल थी जो कि राज्य सरकार का प्रतिष्ठान था उसको पिछली सरकार ने निजी लोगों को दे दिया था। मेरा निवेदन है कि वह उद्योग राज्य सरकार को वापिस अपने हाथ में लेना चाहिये ताकि इससे ऊन उत्पादकों को और राज्य सरकार को लाभ हो अन्यथा यह लाभ प्राइवेट लोगों को रहा है।

सभापति महोदया, इसके अलावा थोड़ा मैं गलीचा उद्योग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर गलीचा उद्योग का काफी विकास हो सकता है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि वहां पर गलीचा प्रशिक्षण

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

केन्द्र खोले जायं और लोगों को वहां प्रशिक्षण दिया जावे जिससे कि वहां गलीचा उद्योग का विकास हो सही अन्यथा हमारे यहां की पांच किलो ऊन राजस्थान के बाहर जाकर रुपये पांच सौ रुपये में बिकती है और व्यापारी लोग इसका लाभ उठाते है, इसके बदले में हमारे यहां पर इसकी व्यवस्था नहीं होने से यू. पी. और राजस्थान सरकार को सिर्फ सौ रुपये का ही लाभ मिलता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर गलीचों का प्रशिक्षण देकर स्किल्ड लेबर तैयार हो ताकि उनको रोजगार मिल सके ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, अन्त में मैं यह दो शब्द निवेदन कर दूं कि हमारे यहां पर निजी उद्योगों हेतु कोयला एवं अन्य कच्चे माल के लिये उद्योग हो ताकि बेरोजगारी समाप्त हो सके । अन्त में मैं बजट का स्वागत करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री त्रिलोकसिंह !

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । सदन में जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में सदन में बहुत लम्बी चौड़ी चर्चायें पिछले चार रोज से हो रही हैं । इसमें कांग्रेसी सदस्य यह कहते हैं कि इस बजट से प्रगति होगी । पर मेरा निवेदन यह है कि यह बजट क्या है । इस बजट को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह प्रगतिशील नहीं है बल्कि किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और अवाम विरोधी बजट है । इस बजट में विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है, यह बजट घाटे का बजट है । इसमें राजस्थान की सरकार ने जनता पर 80 करोड़ का घाटा बताया है । इसके अन्दर जहां देखो वहां अगल बगल में घाटा ही घाटा है । बजट में जो बातें कही गयी हैं उनसे कैसे पानी की समस्या का हल होगा और कैसे खेती का विकास किया जायेगा ।

तो, सभापति महोदया, मैं इस बजट पर अपनी तकरीर पेश करना चाहता हूं वह यह है । सभापति महोदया, राजस्थान बने आज 32 साल होने को हैं और इस 32 साल के कांग्रेस शासन में इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सिवाय हमारे यहां के लोगों को फरेब पढ़ाने के कुछ भी नहीं किया । कोई विकास का काम नहीं किया । इन लोगों ने फरेब पढ़ाया तो, सभापति महोदया, हमारे देश के लाखों देश भक्तों ने जो कुर्बानियां दीं, हजारों लोग जो फांसी पर चढ़े, हमारे देश के नौजवान भगतसिंह जैसे फांसी पर चढ़े, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी क्या उन्होंने हमारे आजाद भारत का नक्शा इस प्रकार का सोचा था ? आज पिछले 32 वर्षों से यह हुआ है कि कमाने वाला भूखों मरे, और आदमखोर मौज करे । कमाने वाला रोटी को तरसे, भूखों मरे, आदम खोर महलों में मौज करे । क्या, सभापति महोदया, हमारे देश के लाखों फौजियों ने, हमारे देश के मजदूरों, हमारे देश के लाखों किसानों ने इसलिये अंग्रेजी सरकार की बगावत की थी कि हमारे देश का नक्शा इस प्रकार हो ? आपने इन पिछले 32 वर्षों में क्या किया ? मैं

(श्री त्रिलोक सिंह)

स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब पोलेटेरियन सरकार आयेगी, जब किसान का राज आयेगा, जब मजदूर का राज आयेगा तब आपको पूछा जायेगा कि तुमने क्या किया। वह तुमसे पूरा हिसाब लेगी। जो कांग्रेसी लोग सर्वोदय की बातें करते थे, जो देश का उद्धार करने की बातें करते थे क्या यह उद्धार किया कि भूखा भूखों मरे और अमीर ज्यादा अमीर बने ? टाटा और बिड़ला जब देश आजाद हुआ था तब सिर्फ करोड़पति थे, वह देश के आजाद होने के बाद अरबपति और खरबपति हो गये और रामू चमार की झोपड़ी बरबाद हो गयी। यह बजट किसी भी प्रकार का प्रगतिशील बजट नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत ने इस बात में जरूर प्रगति की कि जो राजा महाराजा और बड़े-बड़े जागीरदार किसानों का खून चूसने वाले थे, किसानों के हत्यारे थे उनको इस कांग्रेस सरकार ने गंगानगर के नहरी इलाके में सोना उगलने वाली जमीन दी। उन राजा महाराजाओं को गंगानगर जिले में गोगामंडी के बीड़ में, पीलीबंगा के बीड़, में हनुमानगढ़ के बीड़ में और भादरा के बीड़ में नहरी जमीन दी। करणीसिंह और दूसरे किसानों के हत्यारों, जिन्होंने डाडा और खादू में किसानों पर अत्याचार किया, उनकी हत्यायें कीं, से इन कांग्रेस वालों ने हाथ मिला कर उन्हें जमीनें दीं। यह नक्शा है आज। हमारी सेन्टर की सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की थी उसका आपको याद हो तो उसने तफसील से रिपोर्ट की थी कि 7 करोड़ एकड़ जमीन है जो कि गैर-जमीन वालों को दी जा सकती है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और कांग्रेसी हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को जमीन दी ? अब कहते हैं कि सब जमीन गायब है। बड़े-बड़े राजाओं, नवाबों और कांग्रेसी लीडरों ने तमाम जमीन घोड़े गधों के नाम बांट ली और बेजमीन को एक बीघा जमीन नहीं दी गयी है। आज आप राजस्थान का नक्शा उठा कर देख लीजिए, जो खेत में नहीं जा सकते राजा-रानी उनके पास लाखों बीघा जमीन है लेकिन जो दिन भर मिट्टी खोदता है हरिजन व मजदूर, उसके पास एक बीघा जमीन नहीं है। आज गंगानगर का नहरी इलाका है जिसकी तफसील कर लीजिए लाखों एकड़ जमीन ऐसे चोरों को, डाकुओं को दे रखी है जिनके बाप दादाओं ने भी खेती नहीं की, जिन्होंने लोगों का खून किया, लोगों को लूटा और लोगों का घर जलाया। फिर आप इससे बरी नहीं हो जाते यह कह कर कि जनता सरकार ने क्या किया। भेड़िये-भेड़िये में कोई कमी नहीं होती है। जनता सरकार का और आपका क्लास करेक्टर एक ही है। सब शोषक लोगों की हुकूमत है जिसने देश को 32 साल बरबाद किया···

श्री दिनेश राय डांगी : 1977 में सी. पी.एम. ने जनता पार्टी का क्यों साथ दिया ?

श्री त्रिलोकसिंह : वह लुटेरों और राजा महाराजाओं की सरकार थी। धन्ना चमार जैसे की बावरी नीलाम हो गयी थी वह भैरोंसिंह जी की सरकार नहीं दिला सकी लेकिन भूतपूर्व महारानी गायत्री देवी को 10 क्विन्टल सोना भैरोंसिंह सरकार ने वापस दिलाया। इसलिए आप लोग इससे बरी नहीं हो जायेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप राजस्थान के लोगों को गुमराह करें।

(श्री त्रिलोक सिंह)

जनता सरकार ने अन्त्योदय से लोगों को भ्रम में डाला तो आप सर्वोदय से भ्रम में डालेंगे। इससे लोगों को गुमराह मत करो।

एक-एक बात ले लीजिए। शिक्षा का सवाल ले लें। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। पानी का सवाल ले लें। कहां पानी है? आप लोग शहरों में बैठे हैं, मस्ती है, लोगों का आपने खून पीया है। हमारे यहां का आदमी पानी के लिए तरसता है मुझे याद है सीकर में एक किसान पिछले साल 16 दिन तक पानी के लिए प्यासा बैठा रहा और इस सरकार ने पानी का एक लोटा नहीं दिया। लोगों को लूटते हो और यह कहते हो कि हम लोगों को पानी देंगे। शिक्षा की बात सुन लीजिए। अरे, गरीब का लड़का कहां स्कूल जाता है। गरीब का लड़का तो चौधरी या जागीरदार के ढोर चराता है। गरीब का लड़का एक साधारण से स्कूल में पढ़ता है और बड़े भ्रष्ट चोर का लड़का अमेरिका में पढ़ता है या छोटे चोर का लड़का पब्लिक स्कूल में पढ़ता है जहां पांच सौ या हजार रुपया खर्च होता है। कैसी शिक्षा? यह तो मखौल है शिक्षा के साथ। देश के लड़के बरबाद हो रहे हैं। इन तमाम चीजों का जवाब लोग पूछेंगे। जब लोगों की सरकार आयेगी तो आपसे जवाब पूछेगी। आप ऐसे हाउसेस में बैठे हैं लोगों की जिन्दगी के साथ कब तक मखौल करेंगे? यह सरकार कब तक मखौल करेगी? आप याद रखें वह जमाना कभी माफ नहीं करेगा। दुनियां के दूसरे देश कम्बोदिया, अंगोला आदि का हाल हुआ वही हाल आपका होगा। कांग्रेसी सरकार ने देश के लोगों को धोखा दिया है, लूटा है। किसानों को लूटा, मजदूरों को लूटा, विकास के नाम से लूटा। आपने विकास किस का किया? आपने विकास भ्रष्ट लोगों का किया, लुटेरों का किया, सूदखोरों का किया। गरीबों का कोई विकास नहीं है। मैं चैलेन्ज देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि वह गांवों में जायें और किसानों की झोंपड़ियों को देखें। अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे थे कि जनता सरकार के कारण महंगाई बढ़ गयी ...

एक माननीय सदस्य : किस को कह रहे हो?

श्री त्रिलोकसिंह : आज वही हाल इस सरकार का है। जो चीनी ढाई रुपया किलो मिलती थी आज वही 9 रुपये किलो मिलती है। जो साबुन 1.50 पैसे में मिलता था वह आज 2.10 पैसे में मिलता है। आप देख लें, लगता है कोई सरकार ही नहीं है। दिन दहाड़े डकैती और दिन दहाड़े हत्यायें और नाम उन लोगों का लिया जाता है कि हम हरिजनों की हिफाजत कर रहे हैं। दिन दहाड़े उनकी मां बहिनों की अस्मत लूटी जाती है। आप वह समय एक दिन का भी बता दीजिए कि जब इसके बारे में यहां चर्चा नहीं होती होगी। पूरे प्रांत में ऐसी हालत है। प्रांत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में यही हालत है। आज कोई सरकार नाम की चीज नहीं बच गयी है कोई कानून नहीं है। गरीब लोगों की हत्यायें की जाती हैं। एक कानून बना दिया और कहा गया कि अब लोगों को महंगाई भत्ता देंगे और दूसरी और दूसरी किश्त की आधी रकम वापस जमा करा ली जायेगी। आज बाजार में सब्जी लेने जायेंगे, आटा लेने जायेंगे उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसी हालत में आप

(श्री त्रिलोक सिंह)

विकास की बात कहें, ऐसी हालत में लोगों की जिन्दगी के साथ मखौल की बात कहें। एक सदस्य कह रहे थे कि चार-पांच गांवों के बीच में एक कुआं बना दिया जायेगा, एक ट्यूबवैल बना दिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इस हालत को आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं ? आपके घरों में दस टूंटियां हैं। बीस टूंटियां हैं, दिन भर पानी चलता है। एक घंटे अगर पानी बन्द हो जाय तो यह तमाम सभ्य लोग परेशान हो जायें। उस किसान की हालत देखिये जो कि दस मील से पानी लाता है, पांच मील से पानी लाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खुद किसान पानी के लिए तरस रहा है। उसके अनाज की बात छोड़ दीजिए,जब वह फसल पैदा करता है, जब अनाज पैदा करता है, जब गेंहूं पैदा करता है, जब चना पैदा करता है तो उसकी हालत क्या होती है। उसको लूट लिया जाता है, सरे आम बाजार में लूट लिया जाता है। अभी चन्द रोज पहले जब मार्केट में गेहूं आया तो 125 रुपया क्विन्टल था और आज वही 200 रुपया क्विन्टल है और फिर कहते हैं कि उसके ऊपर टैक्स लगायेंगे, इससे बड़ी भारी रकम इकट्ठी की जा सकती है, खजाना भरा जा सकता है। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं लखपति और करोड़पतियों पर टैक्स लगा कर लोगों का विकास करें···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री त्रिलोकसिंह : पहाड़िया जी कहते हैं कि हम गरीबों को कपड़ा देंगे, नेकर देंगे...

श्री भैरूसिंह गुर्जर : नेकर नहीं धोती।

श्री त्रिलोक सिंह : गरीबों के बच्चों के लिए छात्रावास खोलेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि उन छात्रावासों में कौन जायेगा ? वह गरीब।

श्री दिनेशराय डांगी : लाल टोपी बांटने वाली नहीं है।

श्री त्रिलोक सिंह : आपने राजाओं, नवाबों को, जागीरदारों को सोना दिया, जमीन दी और आपने गरीब हरिजनों को और खटीकों को टी वी. दी। आज आप किसी भी अस्पताल में जाकर देख लें गरीबों की लाइनें लगी हुई है, सब टी.वी. के शिकार हैं। और वहां भी उनसे रिश्वत ली जाती है, शर्म आनी चाहिये। हुकूमत इस तरह से देश में गरीबों को धोखा देती है और धोखा देकर यह कहती है कि हम गरीबों का विकास करना चाहते हैं। तमाम विकास के रास्ते बन्द कर दिये हैं। कांग्रेसी हुकूमत इसलिये जिन्दा रहना चाहती है कि 211 साल में इन्होंने क्या किया। ठीक है, इन्होंने नहीं किया। ये तो कुछ करने वाले नहीं थे। जिस बिरादरी के आप हो उसी के ये लोग भी हैं। आपने क्या किया ? आपने गरीबों को क्या दिया ? हम यह पूछना चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि स्कूल जाने वाला लड़का चाहे वह किसी भी क्लास का हो सरकार उसके लिये व्यवस्था करे। जो आदमी बेकार हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, उनको काम दें अगर उनको काम नहीं देंगे तो वह आपको घेर लेंगे····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपकी सरकार को समेट ले जायेंगे··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री त्रिलोक सिंह)
रोज नया प्लान लाते हैं, नया बजट पेश करते हैं····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, आपकी पार्टी को दिया हुआ समय तो समाप्त हो चुका है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, माननीय सदस्य का सांस भर गया है, इनको आराम करने का मौका दें।

श्री त्रिलोकसिंह : आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह : यह करोड़पति आदमी है। यह सदन को गुमराह किया जा रहा है··

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री त्रिलोकसिंह : इसलिये मैं यह कहता हूं यह बजट किसान विरोधी है, आम अवाम विरोधी है, राजस्थान के किसानों और मजदूरों का विरोधी है··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री त्रिलोकसिंह : इन शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बिहारी लाल।

श्री भंवर लाल शर्मा : सभापति महोदय, हमारे दल का भी समय है।

श्री सभापति : इसके बाद सात मिनट का समय दिया है। 5 मिनट बाद घंटी बजाऊंगी।

श्री बिहारी लाल पारीक (मांडल) : सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, बिना करों के पेश किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। इस बजट में युवजन नेता स्वर्गीय संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया है यह बड़ा सराहनीय है। इस बजट में सिंचाई, सहकारिता, मरु विकास, शिक्षा, समाज कल्याण, परिवार कल्याण, जल प्रदाय आदि सभी को ध्यान में रखते हुए सारी स्थिति दर्शाई है। सदन में जो बजट पेश हुआ, सदन में दोनों तरफ से वाद-विवाद पेश हुए। सभापति महोदया, मैं आपको ध्यान दिलाऊं यह नई सरकार बनी इसका यह पहला बजट है। काफी ध्यान रख कर इस बजट को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बनाया है। इससे पहले जो बजट बना और पहले जो बजट की स्थिति थी वह साफ है। जनता सरकार जब हमारे देश में जनता के आशीर्वाद से आई और उन्होंने जो बजट बनाया वह सारा का सारा बजट, जो पहले के कार्यकर्ता थे जो राज में थे, उनको किस प्रकार से फंसाया जाये, किस तरह से जाल में उलझाया जाये और हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को किस तरह से कारागार में लाया जाये, पर खर्च किया। मैं समझता हूं जो विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बजट दिशाहीन है, काश्तकार विरोधी है, विकास विरोधी

(श्री विहारीलाल पारीक)

बताया, केवल विरोध के लिये विरोध में बोलने वाली बात है। यह लोग भी जब राज में थे, 2½ साल तक राज में थे, इन्होंने बजट पेश किया था, मैं समझता हूं दिशाहीन, विकास विरोधी नहीं था, तो क्या था ? इन्होंने न जाने क्या क्या हमारे बजट पर आरोप लगाये हैं। मैं समझता हूं जब राज का भार सम्भालते हैं तो बजट की स्थिति खुद करनी होती है तो उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करना होता है। विरोध पक्ष में बोलना छोटी सी बात समझते हैं। मैं समझता हूं जिम्मेदारी से कहें तो बहुत बड़ी बात है। जनता ने हमको भेजा है। इसलिये भेजा है कि जो बजट बने उस बजट में हमारे हिस्से का, हमारे क्षेत्र के गांव में आय का अधिकांश भाग आवे अगर नहीं आता है तो इस तरह की बात विकास हेतु करनी चाहिये और उस बात को वित्त मंत्री महोदय तक पहुंचाया जाये कि बजट में उचित प्रावधान रखा जाये। हम लोग यहां बैठ कर फालतू की चर्चा न करें। इस पर ध्यान देने की बात है। बजट की स्थिति साफ है, वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है उस पर विचार करके मैं समझता हूं विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने दिशाहीन, विकासहीन कहा है वह एक निंदनीय बात है, सोचने वाली बात नहीं है। जो लोग जन कल्याण की बात नहीं करते हैं मैं उनका विरोध करता हूं। वित्त मंत्री जी ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए जितनी स्थिति साफ की है, मैं समझता हूं हमारे प्रांत में अगर हमको रोटी खाप कर और पीने को पानी शांति से मिल जाय, कितनी सुन्दर बात है। इस बजट में इस स्थिति को साफ दर्शाया हुआ है। पानी की दिशा में जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने साफ कहा है कि हमारे राजस्थान में किसी जगह पानी की समस्या नहीं रहेगी। कृषि पर काफी प्रकाश डाला है। 78–79 का जो जनता पार्टी का बना बजट है, खाद्यान्न की स्थिति की जो बात रखी और अब जो बजट बना इसमें तो बहुत फर्क है। पानी के लिये भी उन्होंने काफी जोर डाला है। मैं समझता हूं पानी और रोटी दो चीजें किसान को अगर मिले, हमारी जनता को मिले, कितनी सुन्दर बात है। मैं समझता हूं हर स्थिति को साफ किया है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उन्होंने जागीरदारों की ओर कई अन्य बातें रखीं। मैं समझता हूं कि 32 साल हो गये हिन्दुस्तान को आजाद हुए, आपको आजादी किसने दिलाई ? आजादी में आप प्रतिपक्षियों का क्या योगदान रहा ? आप अपनी मर्यादा की बात करें। कांग्रेस ने जब शासन संभाला उस समय कितनी जबरदस्त कठिनाई थी। लोगों की क्या स्थिति थी जब कांग्रेस ने राज संभाला था ? आप लोग अपनी स्थिति पर नजर रखें। जब हम यहां पर भाषण देते हैं यह भाषण की स्थिति नहीं है यह बजट की बात है। आप एक अपनी पार्टी के नाते विरोध प्रकट करना चाहते हैं।

आपको अपनी बात देखनी चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी को राज्य मिला, तो क्या बजट बनाने में आप मौजूद थे? आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस समय की स्थिति साफ थी कि उस समय विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। कितना विकास कांग्रेस पार्टी यहां पर लायी। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस ढाई साल में आपको, दूसरी पार्टी को मौका मिला, उसका आप समर्थन

(श्री बिहारीलाल पारीक)

करें, कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो दिशाहीन अपने इस बजट को बताते हैं, वे दिशाहीन स्वयं थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो भी योजनायें बनायीं, ढाई साल में आयोग बनाये, आयोग में हर आदमी को उलझाया, जन कल्याण की कोई बात उन्होंने नहीं की। ढाई साल में जितना बजट बना था, आयोगों में सब खर्च हो गया। कहीं पर भी ऐसी स्थिति आपकी साफ नहीं है जो कि आपको दिशा की बात करती हो। मैं आपको बताता हूं कि महंगाई की स्थिति कितनी आपने लाकर रख दी। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट बनाया, वो बहुत सुन्दरता से, ढंग से आपके सामने रखा है। आपका भी इस पर सहयोग मिलना चाहिए।

महंगाई की स्थिति साफ है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, मैं आपको बताता हूं कि वहां की स्थिति पर अगर प्रकाश डालूं तो मैं समझता हूं कि वहां की स्थिति बुरी है। महंगाई की स्थिति बढ़ाने वाले आप ही हैं। मैं एक बताता हूं कि गन्ना ले लीजिए। माण्डल ऐसा क्षेत्र है, जहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है। राजस्थान में माण्डल का नाम है, आपका राज आते ही वहां पर 6/–रुपये क्विंटल गन्ना हो गया। आपने जिस फैक्ट्री को लाइसेंस दिया, वह फैक्ट्री उन काश्तकारों का 6/–रुपये के भाव में गन्ना लेकर, खरीदकर भी आज तक उनका पेमेन्ट नहीं चुका सकी। मैं समझता हूं कि आज भी उनका 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया बकाया है और सारे काश्तकार पीड़ित हैं। उन्होंने गन्ना बोना बन्द कर दिया। सारे हिन्दुस्तान में तो स्थिति यह नहीं है। पर मैं एक स्थिति आपको साफ कर रहा हूं कि कितनी साफ स्थिति है। वहां पर जाकर के आप अभी भी गुमराह करते हो कि कांग्रेस का राज आ गया, महंगाई बढ़ गई, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोगों ने जिस फैक्ट्री को लाइसेंस दिया, गन्ना खरीदवाया, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। दिशाहीन स्थिति आपकी जबर्दस्त थी। आपको ध्यान रखना चाहिए था कि काश्तकार जो चीज पैदा करता है, उसका भाव, उसकी कीमत उसको ज्यादा मिलनी चाहिए। गन्ना भी काश्तकार का है। उसके बाद शक्कर स्थिति आयी तो शक्कर कितनी मंहगी हो गयी, उसके जिम्मेदार आप है। आप लोगों को जाकर गुमराह करते हैं कि यह कांग्रेस की वजह से स्थिति हुई ··.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

सभापति महोदय, मैं दूसरी ओर चला गया था। आपने जितनी योजनायें चलायीं, अन्त्योदय योजना। मैं इस पर भी प्रकाश डालता हूं कि यह भी हमारे बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रोग्राम में कार्यक्रम था. उसमें आपने जो प्रोग्राम दिया गया, मैं सरपंच था, मैं जानता हूं कि जितने भी अन्त्योदय परिवार वालों को आपने जमीनें अलाट करायीं, किसी को कामयाबी नहीं मिली। केवल आप अलाटमेन्ट रात में जाकर करते थे, अलाटमेन्ट की आपकी दिशाहीनता थी।

आपने फूड फार वर्क में जो काम चलाये, मैं समझता हूं कि सारा का सारा आपने उसमें बजट खतम किया। कहीं पर भी आपने ध्यान नहीं दिया कि फूड फार

(श्री बिहारीलाल पारीक)

वर्क का जो काम अकाल राहत में आप चला रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है। उसका सरपंच मैं था। मैं जानता हूं, आज के मन्त्रीगण, मैं नाम नहीं बताना चाहता, वे आते थे तो जो वहां के एम.एल.एज. थे, वे कहा करते थे कि हमारे 3, 4 या 5 जगह पर आज कोई न कोई शिलान्यास होना चाहिए। मैं समझता हूं, मैंने दो जगह शिलान्यास कराया। मैंने सबको मना किया कि शिलान्यास, जो मुझसे आप करा रहे हैं, न जगह है, न स्थान है। तो आप केवल नाम मात्र के शिलान्यास हुआ करते थे। सारी स्थिति पर मैं प्रकाश डालूं तो बहुत लम्बी चौड़ी है। मैं समझता हूं कि दिशाहीन और आपने जो यह स्थिति बतायी, मैं समझता हूं कि उस समय भी अनुशासनहीनता, दिशाहीनता आपकी साफ थी।

माननीय सभापति महोदया ने, मैंने सुना, घण्टी बजा दी है, मैं बोलना चाहता था कि सारी स्थिति साफ है। यह बजट में सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सारे पैट्रोल आदि के जो भाव बढ़े हैं, उन पर ध्यान रखते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस पर प्रकाश डाला है। एक योजना जो उन्होंने बढ़ायी है। मैं कह रहा था, सभापति महोदया, स्कूलों की स्थिति पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान दिलाऊं ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें कृपया।

श्री बिहारी लाल पारीक : वहां पर केवल आपने जो प्राथमिक स्कूलों के लिए बजट रखा है, यह बहुत कम है और नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जो आपने बजट रखा है, यह भी कम है। आपने जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा है, वह कम है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर ध्यान देने योग्य बात है, मेरे क्षेत्र में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें कृपया।

श्री बिहारी लाल पारीक : काफी इसकी कमी है, आप ध्यान दें। सिंचाई के लिए भी मैं निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में एक चामड़िया गांव से लगाकर माण्डल तक ऊपर की जमीन है, उस पर काफी पानी बहता है। मैं इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बिहारी लाल पारीक : अब मैं इस बजट का स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री राम किशोर मीणा।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : माननीय सभानेत्री जी, जो ...

श्री सभापति : संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम किशोर मीणा : जो बजट भाषण पेश किया गया है, मैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। बजट का मतलब होता है कि अमीर आदमियों से कर के रूप में पैसा वसूल कर गरीबों की सुरक्षा के लिये उन पर खर्च किया जाय और ऐसा करके राज्य की सुदृढ़ स्थिति बनाई जाय तो देश में प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो बजट पेश किया

(श्री रामकिशोर मीणा)

गया है वह महज कल्पनाओं पर आधारित है। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है लेकिन इसमें यह बताया गया है कि जो टैक्स नहीं लगाकर 85 करोड़ का घाटा बताया गया है उसको कम करेंगे और इस में जो ओवरड्राफ्ट है उसको केन्द्रीय सहायता से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इसमें मुझे सन्देह है क्योंकि आज जो केन्द्रीय सरकार की स्थिति है, राज्य के मुख्य मंत्री जी की है हो सकता है उसमें परिवर्तन हो जाय। यह राजनैतिक स्थिति हमेशा स्थायी नहीं रहती है इसलिए जो आज स्थिति केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमण्डल में है आपकी वह शायद कल न हो, इसलिए जो दीर्घ-कालीन ऋण की बात कही गई है वह केवल कल्पना है। यदि इस बजट के घाटे में महंगाई भत्ते की राशि को जोड़ दिया जाता है जो राज्य कर्मचारियों को दिया गया है उसका अनुमान लगाया जाता है तो यह घाटा 103 करोड़ पर जाकर पहुंचता है। कर इस प्रकार लगाये जायें कि इससे गरीबों को कम से कम नुकसान होते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। जो धन बड़े भू-पतियों के पास है, बड़े बड़े जमाखोरों के पास है उनसे कर के रूप में वसूल कर गरीबों को राहत दिलाई जाय तो वह टैक्स बुरा नहीं माना जाता है क्योंकि वह जन कल्याण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

कृषि और सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस बजट में विशेष ध्यान देने की बात कही गई है लेकिन जो राशि ग्रामीण क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जनता शासन में रखी गई थी वह 65 पर्सेन्ट थी और उनके दूसरे बजट में 70 पर्सेन्ट राशि थी उसको अब घटा कर 48 पर्सेन्ट रखा गया है, यह बहुत बेचैनी की स्थिति है। जो कांग्रेस की पहले की नीति रही थी शहरी अर्थ व्यवस्था के बारे में जो ध्यान गया था उसकी ओर यह मार्ग प्रशस्त करने का बताया गया है।

इस बजट में बिजली के बारे में कहा गया है कि ढाई हजार गांवों का और 30 हजार कुओं का विद्युतिकरण किया जायेगा। मैं यह नहीं सोचता कि जो ये आंकड़े दिये गये हैं, जो अनुमान लगाया गया है वह भी अपेक्षा से अधिक कल्पनाओं पर आधारित है। पिछले चार महीने में और मैं तो यहां तक कहूंगा पिछले 8 महीने से मेरे क्षेत्र की बात बताता हूं कि साल भर से बिजली के कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन्स जमा है, जिनके एस्टीमेट्स भी बन चुके हैं लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। यदि इस तरह की प्रगति रही तो 30 हजार कुओं में जो बिजली देने की योजना है उसकी बहुत ही दुर्दशा होने वाली है और यह योजना केवल आपके कागजों में ही रहेगी।

एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि आपके कर्मचारियों और उच्चाधिकारियों द्वारा जब बजट समाप्त होता है, उस समय ज्यादा से ज्यादा अमाउन्ट खर्च करने की कोशिश की जाती है इससे धन का दुरुपयोग होता है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस बजट में एक ओर अन्त्योदय योजना से जनता को भुलावा देने की बात कही गई

(श्री रामकिशोर मीणा)

है यह एक ऐसी योजना थी जिससे जनता को गुमराह किया गया तथा दूसरी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें अन्त्योदय योजना को स्वीकार किया गया है कि इसमें बड़ी भ्रामक स्थिति पैदा होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि वे स्वयं स्पष्ट नहीं है। इस कारण जो अच्छी योजना है उसको भी गुमराह करने वाली बात कही जाय तो यह अच्छी व्यवस्था नहीं कही जा सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आज राज्य प्रशासन में शक्तियों का केन्द्रीकरण बहुत ज्यादा है। यह कानून व्यवस्था के बिगड़ने का कारण हो रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, उसके बारे में मेरी मान्यता है कि शक्तियों को विकेन्द्रित किया जाय। जयपुर जिला है, शायद इसके बराबर और बड़ा जिला नहीं होगा। इस जिले में 19-17 तहसीलें हैं, 19 एम. एल. एज. की कान्सटीट्यूएंसीज हैं, यहां एक जिलाधीश, एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट है, वह हर एक गांव के बारे में सही स्थिति नहीं जानता। यदि राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है, सही प्रशासन देना है, सही सुदृढ़ व्यवस्था करनी है तो नये सिरे से जिलों का गठन करना होगा। राजनैतिक द्वेष के कारण जनता पार्टी शासन ने नये जिलों की घोषणा कर दी थी। आपको वह घोषणा नहीं करनी चाहिये थी। राष्ट्रपति शासन के समय यह कहा गया था कि जब भी नयी लोकतान्त्रिक सरकार आयेगी, नये जिलों का गठन किया जायेगा लेकिन मैं नहीं मानता, यह स्वयं पहाड़िया जी नहीं मानते। इस बजट भाषण में नये जिलों के गठन के बारे में कोई बात नहीं कही है।

मुझे दुःख है कि दौसा जैसी जगह पर जहां पर जिले के दफ्तर अधिकांश शिफ्ट हो चुके हैं, वहां जयपुर प्रथम और जयपुर द्वितीय के नाम से कार्यालय चल रहे हैं। यहां के अधिकांश जिले हैडक्वार्टर के जो ऑफिसेज थे, डिस्ट्रिक्ट आफिसेज थे वे सारे स्थानान्तरित हो चुके हैं। मैं यह नहीं मानता कि क्यों इसको राजनीतिक द्वेष देकर दौसा को जिला नहीं बनाया जाय। मैं एक निवेदन करूंगा कि नये जिलों की घोषणा बिना किसी द्वेष के कर नये जिलों का जल्दी पुनर्गठन किया जाये। यहां पर पहले जनता शासन में दौसा में दो ए. डी. एम. और एस. पी. के आफिस चलाये जाने के बारे में आदेश प्रसारित किये जा चुके थे। पता नहीं किस कारण से अटके हुए हैं। वहां पर जिले के जो जयपुर ग्रामीण के नाम से कार्यालय हैं, यदि उनको वहां पर रखा जाय तो जनता को सस्ता न्याय मिलेगा, लोगों को बहुत आने जाने में खर्चा नहीं करना पड़ेगा और अफसर, जो यहां पर एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, वहां टिकेंगे। लोगों को वहां पर मौके पर सही न्याय मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

इस बजट भाषण के अन्दर संजय गांधी का बार बार नाम लिया गया है। मैं नहीं मानता कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण कोई बजट प्रभावित हो या अन्य व्यवस्था प्रभावित होती हो। बजट सिद्धान्तों पर आधारित होता है, व्यक्ति पर आधारित नहीं होता है। मेरी मान्यता है कि यह जो गम्भीर स्थिति बतायी है पहाड़िया जी ने, यह केवल गम्भीर स्थिति उनके लिए हो सकती है,

(१०२)

(श्री रामकिशोर मीणा)

राजस्थान के लिए कोई गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी हो, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। हरिजनों के नेता के रूप में स्वयं पहाड़िया जी हैं, लेकिन आज राज्य में वर्तमान में हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पर हो रहा है, उनको भी सही तरीके से देखना होगा। उनका हम किस तरीके से निदान ढूंढ सकें, इसकी भी कल्पना करनी होगी और उसको कार्यान्वित करना होगा।

मैं अब मेरे क्षेत्र सिकराय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे यहां पर एक कोसी नदी है जो आगे जाकर बाण से निकलती है। कोसी नदी 50 गांवों को प्रभावित करती टोडाभीम और महुआ क्षेत्र में होती हुई गुजरती है। वह जब अपने पूरे वेग पर होती है, वहां पर जन धन की अपार हानि होती है। उसके कारण से उस गांव में ऐसी स्थिति हो गयी है कि कटाव के कारण गांव के गांव उजड़ने लगे हैं। ग्राम चान्देड़ा में ऐसी स्थिति है कि वहां पर बहुत भयंकर, अत्यधिक रूप से पानी गुजरता है। आज कुएं सूखते जा रहे हैं कटाव के कारण। वहां आगे बाणगंगा नदी आ जाती है। तो इसके पानी के सही निकास के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी कुछ व्यवस्था करें। बाणगंगा का पुल जो सिकंदरा और बांदीकुई के बीच में पड़ता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से ही इसके बारे में प्रयास भी किये गये हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान के सर्वांगीण विकास में इस पुल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कृपापूर्वक इस बाणगंगा नदी पर यदि पुलिया का निर्माण करा दिया जाय तो अपने राष्ट्रीयकृत मार्ग, जो बम्बई को जाता है दिल्ली से, को बहुत शार्टेस्ट कर सकेंगे और आवागमन के साधनों को बहुत लाभान्वित कर सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब मैं विद्युतीकरण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सिकराय क्षेत्र में काफी पानी है और जमीन उपजाऊ है। राजस्थान में जैसे गंगानगर प्रसिद्ध है उसी तरह जयपुर का सिकराय उपजाऊपन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। लेकिन वहां पर भू-जल विभाग ने पहले जो सर्वेक्षण किया उसमें यह बताया गया था कि वहां पर पर्याप्त जल स्रोत नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले का सर्वाधिक जल स्रोत सिकराय क्षेत्र में है। गत वर्ष सर्वेक्षण किया गया था, उसमें भी यही रिपोर्ट दी गयी है कि यहां बहुत ज्यादा अथाह पानी है। कोई विद्युतीकरण के लिए पानी की कमी नहीं है। इस रिपोर्ट के कारण वहां पर विद्युत् विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ था। इसको यदि विद्युतीकरण की स्कीम बनायी जाय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री राम किशोर मीणा : तो बहुत बेहतर है, इसी के साथ समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री ज्ञान सिंह।

एक माननीय सदस्य : थान सिंह हैं साहब।

श्री सभापति : थान सिंह ! ठीक है।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदया के द्वारा मुख्य मंत्री से कहती हूं, उन्हें धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बजट में कुमकुम और मेंहदी पर टैक्स नहीं लगाये और सुहागिनों का ध्यान रखा है, उसके लिए मैं आभारी हूं। दूसरे उन्होंने विधवा स्त्रियों का ध्यान रखा है जिसके लिए 10 साल की उम्र में और छूट दी है उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूं। गरीब तबके की औरतें काम पुरुषों के बराबर ही करती हैं, उनके बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बराबर का काम करने पर भी उनको इक्वल पे नहीं मिलती। मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं मुख्य मंत्री जी, जो गरीब तबके के आदमी और औरत बराबर का काम 8 घण्टे में करते हैं उनको बराबर ही, एक जैसी तनख्वाह, जैसी पुरुषों को मिलती है, उनको वैसी ही मिलनी चाहिए।

मैं उनका ध्यान उन औरतों की नौकरियों पर भी दिलाना चाहती हूं। सरकारी नौकरियों पर पुरुषों द्वारा रखा जाता है, उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि औरतों को कितनी पर्सेन्ट नौकरियां दी जायेंगी। महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करती हैं। मेरा खयाल है कि पुरुषों के साथ मिल कर उनसे ज्यादा ध्यान से काम करती हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका पुरुषों के बजाय ज्यादा अच्छा होता है इसलिए उनको महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, महिलाओं को भी पर्सेन्टेज उसमें देना चाहिए जैसे- कि पुरुषों को देते हैं तांकि महिलाओं को मालूम पड़े कि उनको कितनी, उनके लिए कितनी सीटें सुरक्षित हैं। जैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए सीट सुरक्षित होती हैं, उसी तरह महिलाओं के लिए भी सरकारी नौकरियों में सीट सुरक्षित होनी चाहिए ताकि वे भी काम कर सकें।

मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान उन महिलाओं की ओर भी दिलाना चाहती हूं जो बेचारी बहुत दूर से यहां काम करने आयी हैं, जैसे कि केरल की औरतें हैं, उन बेचारियों का काम सिर्फ यहां पर नर्सेज का है। इतनी नर्सेज यहां पर काम करती हैं। यहां पर केरल की नर्सेज काम करती हैं, यहां की तो बहुत कम लड़की हैं या औरतें हैं जो इस तरह का काम करती हैं, लेकिन उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जो दुर्व्यवहार उन महिलाओं के साथ हो रहा है उसकी ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं। आज जो महिलाएं हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है वह बेचारी दुखी होकर कभी-कभी तो आत्महत्या कर लेती हैं, कभी-कभी उनकी हत्या की जाती है। जनता पार्टी के समय उनको ऐसा मजबूर किया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की है। सदन में यह बात उठी थी तब पुलिस से जांच करवायी गयी लेकिन सदन ने उस पर भरोसा नहीं किया तो उस समय जो मुख्य मंत्री थे, भैरोंसिंह जी, उन्होंने यह केस सी. बी. आई. को दिया था। जो लोग बलात्कार की बात करते हैं, रेप केसेज की बात करते हैं, उनमें उस समय के मन्त्री जी भी शामिल हैं, अगर आप कहो तो मैं उनका नाम भी बता सकती हूं। आज जिन बेचारी महिलाओं ने जयपुर में, ब्यावर में, चूरू में आत्महत्या की या जिनकी हत्या की गयी है उनका भी यहां नाम आया है। बेचारी महिलाओं का यह हाल है कि वे न

(श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा)

तो मर सकती हैं और न वे काम कर सकती हैं। वे यहां भूखों मरती हैं। महिलाओं की हालत है। यह जो नर्सें हैं इनको छः छः महीनों से तनख्वाह नहीं मिलती। इनको छः छः महीनों से भूखों मरना पड़ रहा है। उनका घरबार इतना दूर है कि वह अपने घर वालों से, रिश्तेदारों के पास जाकर पैसा नहीं मांग सकती हैं। उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होता है तो वे बेचारियां एक अजनबी के पास मदद के लिए जाती हैं। अब अजनबी क्या करता है कि उनको चंगुल में फंसाता है। चंगुल में फंस जाती हैं वे तो उनको आत्म हत्या करनी पड़ती है। अगर कुछ बोलती हैं तो उनकी हत्या करा दी जाती है। जब एक नर्स की कहीं दूर बदली हो जाती है तो उसको रुकवाने के लिए भी उस बेचारी को उस अजनबी को ढूंढना पड़ता है, मददगार ढूंढना पड़ता है किन्तु कोई मददगार नहीं मिलता, कोई मदद करने तो तैयार नहीं होता। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसी महिलाओं के लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि एक स्पेशल लेडीज आॅफिसर रखी जावे जिसके पास जाकर वे अपने दुःख दर्द कह सकें और अपना काम करवा सकें ताकि इन चोर खोरों के हाथों से बच सकें। ऐसी महिलाओं, जो कि रेप केसेज में फंस जाती हैं, जो अपने दुःख दर्द को बता भी नहीं सकती हैं, जो अपने आचरण के लिए शर्मिन्दा हैं, के लिए मैं पहाड़िया जी से निवेदन करूंगी कि उनके लिए भी स्पेशल लेडीज फोर्स बनाई जावे और लेडी पुलिस होनी चाहिए जिनको कि अपने दुःख दर्द वे बता सकें। उनको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसी महिलाओं के लिए मैं आपको बताऊं कि उनका कितना दुःख दर्द है, कितनी तकलीफ है यह हमारी महिलाएं ही जानती हैं। हमारे विपक्ष की महिलाएं भी जानती हैं कि ऐसी महिलायें आगे जाकर न तो घर से बाहर जा सकती हैं और न कहीं अकेली घूम सकती हैं जैसे कि विदेशों में होता है। विदेशों में तो यहां तक है कि महिलायें टैक्सी तक चलाती हैं लेकिन हम लोगों को अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी बोडी गार्ड चाहिए ताकि महिलाओं की सेफ्टी हो।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(4.41 म.प.)

इसमें पुलिस का हाथ होता है। मैं उन पुलिस अफसरों को कहती हूं कि वह महिलाओं का इन्तजाम करें। लेकिन होता क्या है कि जब कोई महिला उनके पास जाती है अपना दुःख दर्द लेकर के तो उनका ध्यान ही उधर नहीं जाता है। उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए। यहां तक होता है कि जो महिला पुलिस के पास अपना दुःख दर्द लेकर जाती है वह उनके चंगुल में फंस जाती है और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। उन बेचारियों की जिन्दगी खराब हो जाती है। वे अपनी बात कहने के लायक भी नहीं रहती, वह अपना दुःख दर्द भी नहीं बता सकतीं। जहां पर भी ऐसा हो, तो ऐसे पुलिस वालों की तत्काल, एकदम से छुट्टी कर देनी चाहिए जो इस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यह दुर्व्यवहार इस जयपुर में ही नहीं बल्कि हर शहर में, हर जगह में और

(श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा)

हर गांव में होता है। औरतों की बुरी हालत हो रही है। आप लोगों को सिर्फ हम लोग ही बता सकते हैं लेकिन जिनके साथ यह बीतती है वही जानती है कि उनकी कितनी बुरी हालत हो जाती है। जिनकी बहू बेटियों के साथ यह होता है वे शर्म के मारे सिर नहीं उठा सकती हैं। कभी कभी तो ऐसी बेटियां अपने मां बाप को मिलने से पहले ही आत्म हत्या कर लेती हैं। तो मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगी कि ऐसे आदमियों को, ऐसे अफसरों को, जो आदमी इसमें शामिल हैं, उस रेप केस में शामिल हैं को उसी वक्त सजा जितनी भी ज्यादा से ज्यादा दी जा सके देनी चाहिए ताकि दूसरे आदमियों को भी सबक मिले कि यह बड़ी खतरनाक बात है और दूसरे लोग ऐसा न करें। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : आज समय और बढ़ाना है क्या? क्या राय है सदन की?

श्री खेतसिंह राठोड़ : राय ले लें, साहब।

श्री रामकिशोर मीणा : दो घण्टे बढ़ा दें, साहब।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आधा घण्टा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की बैठक का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से आधा घण्टे के लिए समय और बढ़ाया जाता है।

श्री चांद खां : पांच मिनट।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री चांद खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी देर में खतम कर दूंगा। मैं बोलना जानता भी नहीं हूं गांव का रहने वाला हूं। आप तो बोलते रहते हैं। इतना आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक बोलूं शांति से सुनते रहें। अभी, अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था और एक हमारे साथी ने उस पर कुछ मेरे ऊपर आरोप लगाए लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि मेरी कौन सी ऐसी बात उनको नजर आई कि जिससे मेरे ऊपर उन्होंने यह बात कही। कोई बात मैंने ऐसी नहीं कही है यह मैं यकीन दिलाता हूं फिर भी अगर कोई बात हुई हो तो उसके लिए मैं सदन से माफी चाहता हूं। इसमें कोई बात नहीं है।

अब दो बातें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहता हूं। यहां पर बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, वह कई दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। एक वर्ग वाले तो कहते हैं कि बजट में बड़ी कमियां हैं, बड़ी कमियां बता रहे हैं और दूसरे पक्ष वाले बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि तुम सच्चे हो या ये सच्चे हैं। हकीकत यह है, मैं एक बात कहूंगा। एक कहावत है हमारे यहां "जे जनाब हुई अच्छी तो मैं जनाब और मेरा बाप जनाब और बुरी हुई तो तु जनाब और तेरा बाप जनाब।"

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बातें नहीं करें आपस में ।

श्री चाव खां : तो मेरे दोस्तो, मतलब यह है कि अगर यह बजट हुआ अच्छा, जैसी कि आप तारीफ कर रहे हैं तो फिर शायद मौका मिले । और अगर बजट जैसा कह रहे हैं कि बुरा है और आप नहीं मान रहे हैं तो शायद कुछ दिनों के बाद इस जगह पर आना पड़े । तो इसलिए बजट के ऊपर इतना ही कहना अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है । अच्छा ही होना चाहिए । अगर यह हमारे हित का नहीं है · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । आपस में बातें नहीं करें, नियमों का थोड़ा ध्यान रखिए ।

श्री चाव खां : दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी सदस्य कुछ भी कह रहा हो उसको हमें सुनना चाहिए और जब आपकी बारी आये तो उसका जवाब दो । इस तरह से तो पूरा समय बढ़ता जा रहा है, समय को खराब करने वाले भी आप और बढ़ाने वाले भी खुद । इसलिए दोस्तो, जब कोई बोल रहा हो तो उसको सुन लो और उसके बाद में जब वह अपनी बात पूरी कर ले तब उसका जवाब दो तो समय भी खराब नहीं होगा और जवाब भी हर आदमी के सामने आ जाएगा । हमारी बिरादरी में एक परम्परा है कि कोई भी हम अपनी पंचायत करते हैं तो एक फर्श बिछा देते हैं और वहां पर भी एक अध्यक्ष बना कर बिठाते हैं और अध्यक्ष से आज्ञा लेकर बात करते हैं । अगर कोई आदमी अपनी मनमानी करता है, कोई आदमी बीच में बोलता है, कार्यवाही में दखलन्दाजी करता है तो फर्श से बाहर बिठा देते हैं । जब तक वह माफी नहीं मांगता उसे फर्श पर वापस नहीं आने देते · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपने यहां भी यही करने की सोच रहे हैं अब ।

श्री चाव खां : लेकिन यहां पर यह होता है कि अध्यक्ष बार बार पुकार रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है । ऐसा नहीं होना चाहिए । आप तो पढ़े लिखे हुए लोग हो । जनता तुम्हारा इन्तजार कर रही है कि हमारे लिए कुछ करेंगे । तुम यहां इस तरह से रोले करते हो यह बात अच्छी नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि पिछली सरकार ने जो अन्त्योदय और काम के बदले अनाज योजना चलाई और पंचायतों को सुविधा दीं, हकीकत में उनकी नीतियां स्पष्ट थीं । कोई बेईमानी नहीं थी । वे चाहते थे कि गांवों में विकास हो । इसका मतलब है कि सरपंच लाकर खा जाय । हमारी मौजूदा सरकार है, एक लाख का टेका है उसमें से पच्चीस हजार खर्चा होता है और बाकी बीच में लोग खा जाते हैं । अब इसके लिए सरकार क्या करे । जब कहूं तो सिफारिश आ जाय । इसलिए अब क्या हो रहा है । रात दिन मैं सुन रहा हूं कि कतल हो रहे हैं, रात दिन लूट खसोट हो रही है लेकिन हमारी सरकार कान छुपा कर बैठी है । जैसे वह काम कर रही है, छोटे मोटे काम हैं, असली काम क्या है कि ज्यादा से

(श्री चाव खां)

ज्यादा तबादले करना। अपने अफसरों को लाओ, बेईमानी करो और खूब खाओ। ज्यादातर रिश्वतें ली जाती हैं तबादलों में जो हमारी सरकार कर रही है। दूसरा अभी तो पूरा मंत्रिमण्डल भी नहीं बना है। थोड़ा बहुत है लेकिन ऑफिसों में जाकर देखें कि पांच पांच सौ आदमी वहां पर होते हैं, लाइन लगी हुई हैं लेकिन अगर कोई सदस्य जाता है तो उनको टाइम नहीं मिलता। इसलिए मेरे दोस्तो काम करो और किसी को करने दो।

अब भ्रष्टाचार की बात के बारे में मैं आपको बताऊं। एक आंखों देखा मामला बताता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है, इसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार जैसे अपने यहां पर होता है, अफसरान यहां से भिजवाये जायं…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री चाव खां : जो भी अफसर यहां से ले जाये जाते हैं उनसे हम लोग व्यर्थ के काम कराते हैं, गलत काम कराते हैं लोगों को लुटवाते हैं और जब जनता का कोई आदमी आकर कहता है, मेजरनामा देता है कि कर्मचारी खराब काम कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है तो लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। यहां उसके ऊपर कोई इन्क्वायरी नहीं की जाती है। चाहिए तो यह कि जनता ने चुन कर आपको यहां पर भेजा है, उस जनता की आवाज को सुना जाय, उनको बदला जाय। मैं यह नहीं कहता कि उस अफसर को फौरन मुअत्तिल करो, कम से कम वहां से तबादला करो और उसकी इन्क्वायरी कराओ। अगर आपने ऐसा किया तो वह भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर आपने उसकी परवाह नहीं की और उस मेजरनामे को बलाए ताक रख दिया तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जनता की बात हमें सुननी चाहिए, जनता की बात पर अमल करना चाहिए। कर्मचारियों को अगर शिकायत है तो कम से कम उनका तबादला करो और जांच कराओ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। बातें नहीं।

श्री चाव खां : अब एक बात और कहता हूं। आज जो कांग्रेसी हैं और हार गये, वह ज्यादा से ज्यादा जीते हैं जो हार गये, वह अपने आपको उप मुख्य मंत्री कहते हैं। वह कहते हैं, आज के तो मुख्य मंत्री हम हैं। आज यह भी कहते हैं कि रिश्वत नहीं लेने देंगे, वह कौन होते हैं, यहां का प्रमुख तो मैं हूं, लेकिन काम करो, जो मैं चाहूं वह काम करो। बल्कि उस काम को मिटाने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिश्वत देने पर उनको तरक्की देते हैं। रिश्वतखोरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको कहते हैं कि पहाड़ियाजी मैं हूं। हमारे मनोहरलाल जी वहां से हार गये वह करीब करीब, कसम खाकर कहता हूं रोजे की, आपस में लोगों को लुटा रहा है। जिन शिवचरन बिश्नोई इरिगेशन आफिसर के 6-6 महीने से तबादला हो गया है आज तक वह ड्यूटी पर नहीं गये और घर बैठे हुए हैं, दूसरी जगह नहीं जाने दिया गया। 15 हजार रुपए में सौदा किया है उनका तबादला कैन्सिल कराने के लिए। इस तरीके से हो रहा है।

(श्री चाव खां)

हमारे जिले में कामां और भरतपुर में ज्यादा बाढ़ आती है। यह मेरा आंखों देखा हाल है। मैं उस इलाके में रहता हूं। जाति का मैं किसान हूं और खेती मेरा दूसरा काम है। बाढ़ कैसे आती है? इसका इलाज क्या है? बाढ़ आती नहीं है बल्कि उसको लाया जाता है। लाया कैसे जाता है? एक ड्रेन है, उजीना ड्रेन जो वहां खोदी गई है। सिर्फ क्या काम है, पानी को निकालना। लेकिन पानी निकालने के लिए उसमें रेगुलेटर है, उसको बंद कर दिया गया। जब रेगुलेटर बंद कर दिया जाये, 15–15 फीट पानी तो इकट्ठा हो जाता है, पहाड़ी और कामां क्षेत्र भर जाता है, काफी तादाद में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और जब हम यू. पी. वालों से कहते हैं कि हमारा पानी निकालने दो तो वह कहते हैं, हम इतना पानी नहीं लेंगे। तुम इतना पानी दोगे तो क्या हम डूबेंगे? नहीं। यानि मतलब यह कि अगर वह पानी निकालना है तो उसमें तख्ते न डाले जावें, पानी को नहीं रोका जावे और उस पानी को निकाल दिया जाये तो एक छटांक पानी भी नहीं होगा। आप अपने इंजीनियर्स बुला लीजिए, भारत सरकार के लोगों को बुला लीजिए, यह काम मुझे सौंप दीजिए, अगर हमारे इलाके में बाढ़ आ जाये तो सारा नुकसान मैं दूंगा। बाढ़ नहीं आ सकती है। रोकने से लाई जाती है। और फिर होता क्या है उसको दूसरे से नीचा खुदवा दिया जाता है, जब टूट जाती है, एक हजार थेले लगते हैं, दो हजार का बिल बनता है। एक हजार मजदूर लगते हैं, दस हजार का मामला बनता है। इस तरह से लोगों का नुकसान किया जाता है। इसलिए भी मेरा कहना यही है कि उसमें तख्ते न डाले जावें, पानी को खुला रहने दिया जाये। मैं मिसाल दूं. एक मकान की छत होती है, छोटी सी मोरी होती है, वह खुली रहने से कितनी ही बरसात हो, पानी इकट्ठा नहीं होता है और अपने रास्ते से चला जाता है। अगर उसको इकट्ठा कर लिया जावे और तब मोरी को खोला जावे, और ऊपर से ज्यादा बारिश हो तो मकान को नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों और अध्यक्ष महोदय, तख्ते न डाले जावें और वह बन्द नहीं हो, जिससे सिंचाई हो। सिंचाई के लिए नहीं है, वह तो पानी निकालने के लिये है।

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री **चाव खां** : अजी बस दो तीन मिनट।

आज यह हालत है कांग्रेस के **जमाने में**। हमारे बाबू राज बहादुर बैठे हैं वहां के मैं कहूं, एक बार नहीं दो चार बार आपने भी गांव में विश्वास दिलाया, हमारे कस्बा पहाड़ी, गाजू का खडेवला, आलमपुर ये गांव ऐसे हैं, जिनमें बिल्कुल पानी पीने को नहीं है। मैं इसको जानता हूं, आदमी प्यासे मरते हैं, और पानी ऐसा है, जैसे बिल्कुल नमक डाला हुआ हो, इसलिए हमको बार-बार यह कहा गया था, मंगोडा छपरा से स्कीम मंजूर हो चुकी है, आपको पानी मिलेगा। लेकिन आज तक जो भी एम. पी. चुनाव लड़ता है, जो भी एम. एल. ए. चुनाव लड़ता है, उस वक्त कहता है कि स्कीम मंजूर हुई पड़ी है, पानी आ रहा है, लेकिन आज तक पानी नहीं आया। 15

(श्री चाव खां)
साल से मैं देख रहा हूं। लेकिन वहां पानी नहीं आ रहा है। अब हमारे मुख्य मंत्री से···

श्री अध्यक्ष : आपने वायदा तो नहीं कर दिया है कि ऐसा होगा।

श्री चाव खां : उम्मीद यही है, इस स्कीम को पूरा कर दें ताकि हमारे गांव को पानी मिलने लगे।

एक बात और है इसमें हमारे यहां पर मेरा सुझाव है कि स्कूलों में कम से कम 30-35 बच्चे उर्दू पढ़ना चाहें,चाहे वह पंजाबियों के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे दूसरी जाति के हों, उनके लिये वहां पर एक टीचर उर्दू का होना चाहिये। यह जुबान हिन्दुस्तान की जुबान है, आप रेडियो पर उर्दू सुनते हैं, इसका प्रोग्राम दिया है, लेकिन उर्दू के बारे में न कोई इसमें जिक्र किया, न राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र किया। मेरा सरकार से, आप सब लोगों से निवेदन है. इस पर थोड़ा-सा बल दिया जाये, जहां 25-30 बच्चे हों, वहां पर उर्दू टीचर रखा जाये।

एक माननीय सदस्य : यह व्यवस्था है।

श्री चाव खां : है, तो बहुत अच्छा है। एक सुझाव मेरा यह है कि देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और जो बेरोजगारी दफ्तर खुला हुआ है, वहां पर बढ़ते तो हैं, लेकिन घटते नहीं हैं। अब उसके लिये मेरा सुझाव है कि जो यह कारखाने दिल्ली, बम्बई में खुले हुए हैं, वह तो बड़े-बड़े कारखाने हैं, लेकिन छोटे कारखाने हैं, ऐसे जो हैं, उनको गावों और कस्बों में खोल दिया जाये। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है अगर वह लोग वहां पर जायें और पांच आदमी को आठ रुपया भी मिले तो 40 रुपया शाम को लेकर आये। इस तरह से गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सकती है। छोटे-छोटे कारखानों को कस्बों और गांवों में खोलना चाहिये, जहां की आबादी कम से कम है।

एक हमारी गुड़गांव केनाल है, जो बाबू राजबहादुर जी ने निकलवायी है। नाम तो बहुत अच्छा है, सारे इलाकों में सेलाब करती हुई चली जा रही है। लेकिन उसमें जो शाखा निकलती है, उनको जाकर देखा जाये, अब उनका बिल कितना बड़ा होगा, ऐसे धोरे, नाले निकाले जाते हैं। यहां पर मिट्टी पटकी, वहां पटकी नाम उनका हो जाता है, पैसे तो ले लेते हैं, वर्षा से बराबर हो जाती है। मैंने नोट किया, सही तरीके से यह बता दिया जाये, आफिसर जाकर वहां पहुंचे और उसको देखे, अध्यक्ष महोदय, सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं। तब तक उन लोगों को पेमेंट नहीं दिया जाये, जब तक मुकम्मिल और सही काम न हो जाये और वहां के विधायक वगैरह से जांच न करा लें, वरना सरकार का पैसा ठेकेदारों की जेबों में जा रहा है, न मालूम ऊपर के भी उसमें मिले हुए हों। तीसरी बात कंट्रोल के कपड़ों के बारे में है। मैं जानता हूं कि बहुत कपड़ा भरा हुआ है, लोग उसको खरीद रहे हैं। वह आता है गरीबों के लिये लेकिन उसको शहरों के आदमी ले जा रहे हैं। गांवों में आज तक किसी पंचायत के पास गया हो, बतायें, कस्बों में गया हो

(श्री चाव खां)
बतायें। इस लिये वह कपड़ा ज्यादा से ज्यादा गांव वालों को, गरीबों को, मजदूरों को दिया जाये, यही सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र सिंह।

श्री महेन्द्र सिंह (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 1980-81 का जो बजट पेश किया गया है वह बजट सराहनीय है क्योंकि यह बजट सामूहिक जनहित का है, इसमें हर आम आदमी की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति के लिये कार्यक्रम हैं जैसे विद्युतीकरण, सड़क निर्माण, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि आदि पर पिछले वर्ष 466.6 करोड़ का बजट था जब कि यह बजट 492.09 करोड़ का है। सिंचाई पर 136.07 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। 1800 गांव-

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें न करें।

श्री महेन्द्र सिंह : 1800 गांवों में विद्युतीकरण और 20 हजार कुओं को बिजली उपलब्ध होने का अनुमान है। शिक्षा के संबंध में 600 प्राथमिक तथा 200 उच्च प्राथमिक नये विद्यालय खोलने का अनुमान है। अकाल राहत कार्यक्रमों की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। परन्तु कोई नये कर नहीं लगाये जा रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री थानसिंह।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं 1980-81 के बजट का समर्थन करता हूं। मैं आदिवासी क्षेत्र के बारे में, मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा। सलूम्बर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर आदिवासी लोग ज्यादा हैं। 60 प्रतिशत आदिवासी हैं। उस क्षेत्र में जनता पार्टी के राज के टाइम में एक प्र. श भी विकास नहीं हुआ। जहां तक स्कूलों का सवाल है हमारे क्षेत्र में 3 सैकण्डरी स्कूल हैं। सराड़ा क्षेत्र में करीब 10-11 सैकण्डरी स्कूल हैं। हमारे यहां जो पहले एम. एल. ए. थे सराडा से, जनसंघी गुट के थे ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 6-7 सैकण्डरी स्कूल खुलवा दिये। मावजी भाई जो वहां एम.एल ए. थे जो महाराणा में विश्वास करते थे ऐसी परिस्थिति में वहां पर एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खुला। हमारे कांग्रेस के राज में 77 में तोड़िया में सैकण्डरी स्कूल खुला, बजराणा और वामणियां में सैकण्डरी स्कूल खुले उनको रद्द करके ढाई तीन साल के दरमियान एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में सराड़ा आदिवासी क्षेत्र है, सलूम्बर आदिवासी क्षेत्र है दो सैकण्डरी स्कूल वहां हैं और तीन सलूम्बर में हैं ये हमारे साथ कहां का न्याय है?

दूसरी बात मैं जयसमन्द झील के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जो विश्व की बड़ी नहरों में गिनी जाती है। इस झील का आधुनीकरण किया जायेगा। इसका दफ्तर उदयपुर में किया गया है। वह दफ्तर हमारे सलूम्बर में खोलना चाहिये उस पर राशि भी मन्जूर हुई लेकिन अब तक बड़ा भवन बना नहीं है और इन्जीनियर साहब उदयपुर में विराजमान रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो

(श्री थानसिंह मीणा)

आधुनीकरण का आफिस है वह सलूम्बर में होना चाहिये ताकि हमारे वहां के लोगों को मजदूरी और काम मिल सके।

दूसरे हमारे यहां जो नहरें हैं 11 करोड़ विश्व बैंक से जोशी जी की सरकार के समय में पास हुए लेकिन वे राजस्थान कैनाल पर चले गये। जनता पार्टी के राज के टाइम में भैरोंसिंह जी की सरकार आई उसके बाद वह पैसा वहां खर्च न करके न मालूम कोटा और छबड़ा चला गया। ऐसी परिस्थिति में 90 प्र. काश्तकार ऐसे हैं जिनके यहां आज भी नहरें नहीं हैं। कम से कम दो तहसीलों में सिंचाई होती है। नहरों को पक्की न करने के कारण सारी जमीन खराब हो गई है क्षरण से। इसलिये जो नहरों के आधुनीकरण पर पैसा खर्च होना है वह 11 करोड़ रखा गया है। हमारे जयसमन्द इलाके में ऐसी परिस्थिति में पैसा खर्च किया जाय यह हमारी मांग है।

दूसरी मांग है हमारे सलूम्बर में कांग्रेस के राज में अस्पताल खुला, रेफरल हास्पिटल और स्कूल खुला लेकिन जब जनता पार्टी का राज आया और हमारे यहां के एम. एल. ए. साहब उससे अलग अलग रहे, ऐसी परिस्थिति में दूसरे लोग जो होशियार थे, केशरिया जी में हास्पिटल चला गया। भैरोंसिंह जी साहब पधारे और उसका शिलान्यास किया, पत्थर खड़ा किया शिलान्यास का, वह सलूम्बर में होना चाहिये था लेकिन वह पत्थर-पत्थर ही रह गया। आज वह 25 हजार की आबादी का कस्बा है। आदिवासी क्षेत्र है। वह कम से कम सलूम्बर में अवश्य होना चाहिये।

जयसमन्द की झील में जो नदियां पड़ती हैं उनमें सबसे बड़ी नदी खरगा नदी है उस पर पुल का अभाव है। वह क्षेत्र ऐसा है जहां से कोटा में पेशियां होती हैं तो वहां पर जा नहीं सकते। 2-3-4 महीने तक सलूम्बर तक उनको आने जाने का मार्ग ही नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में पुल की आवश्यकता है।

शराबबन्दी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सलूम्बर क्षेत्र में जब कांग्रेस पार्टी का राज था तब ड्राई एरिया घोषित नहीं हुआ था उस समय एक ही दुकान शराब की थी। आज हालत यह है कि जनता पार्टी के राज में पहले साल में 100 दुकानें हुई, दूसरे साल में 200 और आज ढाई साल बाद 300 दुकानें हैं। सलूम्बर में शराब बिकती है। जितने भी आबकारी के अधिकारी हैं उनके 25–25 रुपये बन्धे हुए हैं। 100 रु. होते ही उगाही शुरू हो जाती है। इस प्रकार वसूलियां करते हैं जुर्माना करके। आदिवासियों को पकड़ा जाता है उनको पैसा देना पड़ता है। आदिवासी लोगों को सजा हो रही है। ठेकेदार 25–25 रुपये देकर खुले आम बेचते हैं। यह शराबबन्दी की हालत है।

इसके बाद निवेदन करूं आदिवासी क्षेत्र में जब जोशी जी की सरकार थी उस समय आदिवासियों को निःशुल्क पट्टे दिये गये लेकिन जब जनता पार्टी का राज आया तो वहां से लोगों को हटा दिया गया, पट्टे वापस ले लिये गये। पट्टों को खारिज कर दिया गया। अतः मेरा निवेदन है कि 77 में जो आदिवासियों को पट्टे दिये गये जन-जाति के लोगों को, उन पर उन लोगों को

112

(श्री थानसिंह मीणा)

बसने दिया जाय ताकि वे वहां पर रह कर कार्य कर सकें, अपने मकान बना सकें।

दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में जहां आदिवासी बहुत ज्यादा हैं वहां पर लोगों के पास जमीनें नहीं हैं। आज भी आदिवासियों के पास में आधा बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है उनको जमीनें दी जायें।

पढ़ाई की दृष्टि से सलूम्बर क्षेत्र में पढ़े लिखे बहुत कम हैं। आज मैट्रिक पास भी कोई नहीं मिल सकता। जो भी सरकार रही, वहां शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं दिया गया। इस ओर ध्यान दिया जावे।

इसके अलावा हमारे यहां जो जंगलात की जमीन है सराड़ा क्षेत्र के अन्दर, उसके बाद सलूम्बर और उसके बाद धरियावद के इलाके में जो 20 सालों से जंगलात की जमीन है उसको कृषि भूमि में परिवर्तित करके इन आदिवासी लोगों को जमीन दी जाय। मेरा निवेदन यह है कि 15-20 साल से जो लोग वहां पर काबिज हैं, वह जमीन उन्हीं को दे दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर 20-25 हजार की आबादी का कस्बा है। हमारे यहां पर विद्युत् के 4–5 हजार उपभोक्ता हैं। वहां पर ए. ई एन. का कार्यालय होना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सलूम्बर क्षेत्र में थाना है परन्तु उसकी बिल्डिंग नहीं है। इसलिए वहां पर थाना बल्डिंग की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। वहां के लोग कई वर्षों से कालेज की मांग करते रहे हैं। पचास मील की दूरी पर वहां कोई कालेज नहीं है। इस लिए सलूम्बर में कालेज का होना अत्यन्त आवश्यक है। यही मेरा निवेदन है। सरकार से निवेदन है कि वह इन मांगों की ओर ध्यान दे। हमारे यहां की जनता आस लगाये बैठी है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है कि वह मेरे क्षेत्र की समस्या की ओर ध्यान देकर तुरन्त कार्यवाही करे। मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रेवतराम।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो बजट मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में पेश किया है उसका मैं पूरा तरह से समर्थन करता हूं। इन परिस्थितियों में ऐसा बजट पेश करने के लिए वे धन्यवाद के पात्र है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। विरोधी पक्ष के लोगों की जो पुरानी आदत पिछले 27 साल से है उसमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश नहीं दिखायी देती है। पिछले टाइम 30 महीने राज करने के बाद भी वे उसी नीति पर चल रहे हैं जब कि उन्होंने भी अपना बजट पेश किया था। वातावरण में कोई सुधार नहीं आया है। इस बजट में कोई कमी हो ऐसा नहीं लग रहा है लेकिन विरोध करने वालों का काम विरोध करना है जैसे व्यापारी का काम व्यापार करने का है।

अध्यक्ष जी, ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के बाबत मैं आपके माध्यम से मुख्य

(श्री रेवतराम चौधरी)

मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना के अन्दर एक से दूसरे गांव को जोड़ा जाता है। इसमें अधिकतर गांवों को पानी नहीं पहुंचता है जिससे ग्रामवासियों को पानी की समस्या रहती है। वे विभाग के अधिकारियों के पीछे पीछे भागते रहते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को चाहिए कि जिस गांव में पानी का सोर्स उपलब्ध है, उस गांव को बिजली देकर उस गांव को प्राप्त सोर्स से ही पानी उपलब्ध कराया जाए। ग्रामवासियों को पीने का पानी आराम से उपलब्ध कराने का एकमात्र यही उपाय है। पेयजल योजना जो आज तक हमारे इलाके में बनाई गई है उसमें पशुधन को सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे जो भी योजना बनायी जाए या बनायी जा रही है, मैं मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे इसमें पशुधन को भी सम्मिलित कर लें। हमारे इलाके के अन्दर बहुत नजदीक से राजस्थान नहर निकल रही है इसमें डूंगरगढ़ क्षेत्र के लगभग 20 गांव सिंचाई योजना के अन्तर्गत आते थे। इन गांवों के नाम मैं बता देना चाहता हूं– सेरूणा, पुनरासर, भभेऊं, जोधासर, दुलचासर, गोपालसर, सूड़सर, टेऊ, देराजसर, लखासर, नारसीसर, बेनीसर, भोजास, लोडेरा, भीजासर, मणकरासर, समससर, डेल्वा छोलीया आदि इन गांवों को अब इस योजना से निकाल दिया गया है। इन गांवों के अन्दर, वहां की जमीन के अन्दर पानी कम है इसलिए पेयजल योजना के अन्तर्गत इन गांवों के पीने के पानी की समस्या हल नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर राजस्थान नहर नजदीक से निकल रही है, उससे इनको पानी दे दिया जाए तो उत्तम होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चूरू जिला पूर्णतया बरसात पर निर्भर है। बरसात न होने के कारण यहां पर प्रायः अकाल की स्थिति रहती है जिससे राज्य सरकार को हमारे यहां पर अकाल राहत कार्यों पर हजारों, करोड़ों रुपया खर्च करने पड़ते हैं और फिर भी जो समस्याएं हैं उनका स्थायी हल नहीं हो पाता है। डी.पी.ए.पी. योजना के अन्तर्गत कुन्ड निर्माण कार्य हो रहे हैं परन्तु वे भी हमारे हिसाब से उपयुक्त नहीं हैं। इन पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है। मेरा इसमें एक निवेदन है। हमारे चूरू जिले में सात तहसीलें हैं। नेहरू नहर जो जमुना नहर से निकली है यह लोहारू तक आ गई है। इस नहर को चूरू जिले में लाकर चूरू जिले की सभी तहसीलों को इसके जरिए पानी दिया जाए। इससे एक तो अकाल की समस्या जो बराबर लोगों को तंग कर रही है, वहां के पशुओं की, रहने वाले लोगों की जो समस्या है, वह दूर हो सकती है। इससे पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चूरू जिले के पास ही लोहारू है, नजदीक है, अगर वहां से नेहरू नहर को चूरू जिले में से होकर निकाल दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया काम होगा।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के विषय में भी मैं थोड़ा आपकी मार्फत मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा। बजट में शिक्षा

(श्री रेवतराम चौधरी)

के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की जरूरत है। तहसील मुख्यालय में आई. टी. आई. स्कूल्स खोले जाने चाहिए। इसके अलावा बिजली के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। हरिजन मोहल्लों में जो कुछ भी बिजली लगाई जाती है वह समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाई जाती है लेकिन लगाने के बाद उसकी देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी देखभाल की व्यवस्था को ठीक किया जाए। या तो यह व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा हो या इसका खर्चा राज्य सरकार वहन करे। ऐसी व्यवस्था करना जरूरी है।

अध्यक्ष जी, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सड़क है। श्री डूंगरगढ़ से कालू। इस सड़क का बनना बहुत जरूरी है। यह सड़क राज्य सरकार द्वारा काफी टाइम पहले से मन्जूर की हुई है परन्तु यह अभी तक पूरी नहीं बन पाई है। यह सड़क बन जाने से हमारी तहसील से गंगानगर का सम्बन्ध सीधा हो जाएगा और गंगानगर जयपुर से 70 किलोमीटर नजदीक हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण सड़क है इसके बन जाने से लाखों रुपयों की राष्ट्रीय बचत होगी पैट्रोल और डीजल की। इससे हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। माननीय मुख्य मंत्री से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बार जो सड़क की योजना है उसमें इस डूंगरगढ़-कालू सड़क को जरूर लिया जाए। इसका केवल 14 मील का टुकड़ा बाकी है। इसको सब से पहले ले लिया जाए और दूसरी सड़कों को बाद में लिया जाए। इसके अलावा एक सड़क और है। जो नेशनल हाई वे नम्बर 11 है, उसमें एक सड़क सेरूणा से वाया दुलचासर, सूडसर। इस सड़क के बन जाने पर गंगानगर वालों को हमारी तहसील से होकर नागौर पहुंचने के लिए सीधा रास्ता हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण सड़क है। यह भी 20 मील का टुकड़ा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सड़क और है। यह डूंगरगढ़-उनयारा सड़क हो जाती है तो यह सुजानगढ़ को गांवों से मिलाएगी। यह सड़क भी लगभग 15-16 मील की है। इस प्रकार सड़कों के काम की ओर मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक खास प्रश्न और है। हमारे डूंगरगढ़ का न्यायालय तहसील रतनगढ़ में है। इसको रतनगढ़ से डूंगरगढ़ स्थानान्तरित किया जाए। इस न्यायालय में सारे के सारे मुकदमे डूंगरगढ़ के ही सुलझाये जाते हैं लेकिन यह न्यायालय रतनगढ़ में है। इससे हमारे लोगों को तकलीफ होती है। टाइम और पैसा भी बर्बाद होता है। सरकार का भी पैसा लगता है। इसलिए इसको डूंगरगढ़ स्थानान्तरित कर देना बहुत जरूरी है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्य मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी हमारे यहां डूंगरगढ़ में ट्रान्सफर कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक और समस्या काफी वर्षों से चली आ रही है रेलवे फाटक की। यहां कुछ ग्रामों में जो रेलवे लाइन निकलती है, उस लाइन के फाटक कई वर्षों से बन्द कर दिये गये हैं। इसके ऊपर से किसानों को, पशुओं को, आदमियों को, किसी को भी

(श्री रेवतराम चौधरी)

निकलने नहीं दिया जाता है। रेलवे वाले कभी हमारे से रुष्ट हो जाते हैं तो आदमियों को पकड़ कर ले जाते हैं। बोलते हैं कि आप इधर से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि क्रोसिंग बंद है। कई दफा राज्य सरकार को लिखा गया है। रेलवे वालों को भी लिखा गया है। हमारे जो ऐम. पी. थे, मंत्री थे उनसे भी यह शिकायत की गयी। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस संबंध में रेलवे के सुपरिन्टेन्डेण्ट से भी मिला था। उन्होंने यह बताया कि यह पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। इस राशि का अगर राज्य सरकार के पास प्रावधान है तो हमारी यह समस्या जल्दी से जल्दी सुलझायी जाये। मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट कर कहना चाहता हूं कि वे गांव ये हैं–देराजसर, सूंडसर, दुलचासर, बेनीसर, डूंगरगढ़, पुनरत्नसर, जैसलमेर, सलासर, रामसर, बिग्गा, सितेल नगर। इसकी व्यवस्था बजट में की जाकर यह फाटक तुरन्त खुलवाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक समस्या और है राजस्थान रोडवेज जो है उसमें हमारे यहां पर भारी घोटाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहां पर सड़क नहीं होने की वजह से कुछ सड़क प्राइवेट गाड़ियों को दी गई है जो बिल्कुल अव्यवस्था में लगे हुए हैं। उसका मालिक जो है वह जनता पार्टी का उम्मीदवार था, मेरे सामने चुनाव लड़ा था, वह आज भी बस चलाता है। अगर कोई बोल देता है कि उसने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है तो उसको वह जगल में ही उतार देता है और डबल चार्ज करता है, ट्रिबल-चार्ज करता है। ऐसे व्यक्ति को आयन्दा परमिट नहीं दिया जाना चाहिये जो व्यक्तिगत रूप से या पार्टी के कारण इस तरह की कार्यवाही करता है? इस विषय में मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री रेवतराम चौधरी : जैसी सरकार के पास व्यवस्था है उसके अनुसार अभी वहां रोडवेज का 2/3 भाग निगम को व 1/3 भाग प्राईवेट बसों को दिया जा सकता है।

अध्यक्ष जी, समस्या यह भी है कि मेरे क्षेत्र डूंगरपुर में बहुत से मकान ऐसे हैं जो पुराने हैं। वह मकान जो पुराने हो गये हैं उन लोगों को सीमेंट नहीं मिलने से वहां के लोगों को बरसात में बहुत तकलीफ हो रही है, गिरने की सम्भावना है। उनको जैसे भी हो सीमेन्ट उपलब्ध करायी जाये ताकि लोग मकान वगैरह को ठीक करा सकें और किसानों को अपने कुएं वगैरह तथा टैंक बनवाने के लिये सीमेंट मिल सके तो बहुत मेहरबानी होगी। इसके साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं।

जयहिन्द!

श्री अध्यक्ष : श्री भगवान दास।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : जो मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है 80–81 का उसका मैं समर्थन करता हूं। इन परिस्थितियों में इससे ज्यादा अच्छा बजट पेश नहीं कर सकते थे क्योंकि जनता पार्टी के शासन में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही डांवाडोल कर दी गयी थी।

(श्री भगवान दास डोसी)

उन्होंने आयोगों पर भर भी बहुत खर्चा किया था। हम सेक्रेटेरियट जाते थे तो सामने कानसिंह आयोग दिखता था वह आज समाप्त हो गया।

मैं मेरे में जो बीती वह कह कर बताता हूं कि मैं वहां का सरपंच था। मेरे ऊपर भी कई झूंठे मुकदमे फौजदारी और पंचायत के चलाये गयें। मेरे ऊपर केसेज डाले गये और मुझे परेशान किया गया। इस तरह से इन लोगों ने बदले की भावना से काम लिया। ये काम के कारण ही आज अपोजिशन की बेंचेज पर बैठें हैं•••

श्री भंवरलाल शर्मा : मुकदमे किस दफा पर थे••••

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहली बार बोल रहे हैं। कृपया व्यवधान न डालें।

एक माननीय सदस्य : मैं व्यवधान नहीं डाल रहा, सहयोग कर रहा हूं।

श्री भगवानदास डोसी : जो निर्माण कार्य शिड्यूल रेट में कराये जिसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हो गये थे, उसके अन्दर हमारे ऊपर दफा 420 और 409 आदि के मुकदमे चलाये गये। जो कैलाश मेघवाल साहब हैं, यहां विराजमान हैं उन्होंने स्पेशल आर्डर दिया कि इनके खिलाफ मुकदमे चलाये जायें। एक डिप्टी ने कहा कि कोई चार्ज नहीं बनता है तो दूसरा डिप्टी भेजा। दूसरे ने नहीं किया तो तीसरा डिप्टी भेजा। इस तरह 3-3 बार परेशान किया गया। आखिर जा मुकदमे लगे थे उनकी सच्चाई सामने आयी। यही कारण है कि आप लोग वहां पर बैठे हैं। मैं जीता जागता उदाहरण हूं आपके सामने। चौहटन में हमने जागीरदारों से संघर्ष किया था। ऐसे लोगों से संघर्ष किया था जो सामन्तशाही थे, जो लोग कत्ल कर देते थे, उन सबके बीच में तलवारों के बीच में मैं सरपंच था मैं खड़ा हो गया। जमीन के झगड़ों को निपटाया। हमारे वकील थे श्री विरधीचन्द जी। उन्होंने 23 मुकदमे फ्री लड़े। जो विकास किया था उस जमीन में तो जमीन को कोई लेने वाला नहीं था, 100 रुपयों में लेने वाला नहीं था। विकास करने के बाद उसकी कीमत बढ़ गयी। पर 10-10 साल पहले के बने हुये मकानों को 50-50 को ज्यों का त्यों खारिज कर दिया बिना कोई कानून बनाये। उसके लिये हम लड़े और हाई कोर्ट से स्टे लाये। उसमें आपकी गवर्नमेंट की हार हुयी है। मुकदमों में आप फेल हो गये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाये, शिड्यूल रेंज में मैंने काम कराये, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद मुकदमे चलाये गये। मैं बताऊं कि आज भी आपके जो सरपंच हैं उनके द्वारा गबन होता है जो कुएं की योजना है वह 10 हजार की है उसका एस्टीमेट बनाते हैं 30 हजार का। 35-40 पर्सेन्ट के अबव में काम कराते हैं। और सरपंचों को आपने ×××बनाया है। आपके सरपंचों के खिलाफ मुकदमे चलाये जाने चाहिये••••

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल××× है•••

श्री भगवानदास डोसी : मैं सच कह रहा हूँ•••

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ××× शब्द सदन की कार्यवाही से निकाला जाये।

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भगवानदास डोसी : आप लोगों ने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के खिलाफ आयोग बैठाये। उसमें जोशी जी को बैठाया जो मेरे से जलेसी रखता था। श्री कैलाश मेघवाल साहब ने मेरी तीन पेशियां करायीं। जब मैं तीनों पेशियों में आया तो आप क्या पूछते हैं कि आप सरपंच के चुनावों में हार गये। यह तो मजाक है। मैं कहता हूं कि आप अब हार गये हैं तो क्या हुआ ? हार जीत का इतना अभिमान नहीं करना चाहिये। यह तो होता ही है कि कभी आप इधर बैठे थे आज हम इधर बैठे हैं। यह कोई नयी बात नहीं है···

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सदन की अनुमति से माननीय सदस्य के भाषण समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

कृपया प्रारम्भ कीजिये।

(व्यवधान)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

आर्डर प्लीज। इन माननीय सदस्य का यह पहला ही भाषण है इसलिये व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री भगवानदास डोसी : मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने कांग्रेस के साथियों से भी कहता हूं कि बदले की भावना से कोई काम नहीं करें। इन्होंने बदले की भावना से काम किया उसी का नतीजा है कि आज ये इधर इतने से बैठे हैं। इसलिये हम भी बदले की भावना के कारण काम न करें।

राजनीतिक स्थिति पर इतना ही कह कर अब आर्थिक स्थिति पर आता हूं। आर्थिक स्थिति हमारे प्रान्त की जो घाटे में चल रही है उसके कारण हमारा बजट विकास के अन्दर पूरा प्रगतिशील तो नहीं है। इसमें कुछ विकास के सुधार के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो जनता पार्टी के 3-4 प्रोग्राम थे उनको बन्द किया जाना चाहिये।

एक तो मैं सर्वप्रथम यह आपको निवेदन करूंगा कि यह जो प्रौढ़ शिक्षा का काम होता है इसको अविलम्ब बन्द करना चाहिये। इसमें शिक्षा नहीं होती है। मैं तो बाड़मेर जिले में देखता हूं कि आर. एस. एस. वालों को फ्री पे दी जाती है। कोई पढ़ाई नहीं होती है। बजट का पैसा फिजूलखर्च हो रहा है। यह इन्होंने अपना काम करने के लिए बनाया है, इसका कोई उपयोग नहीं है। एक तो इसको बिल्कुल बन्द किया जाये। दूसरे मैं जैन हूं। मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन सभी लोग जानते हैं कि शराबबन्दी नहीं की जानी चाहिए।

सूचना

सीकर में बाढ़ के सम्बन्ध में शासकीय प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। एक सूचना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, सीकर में बाढ़ के सम्बन्ध में। उस पर सरकार की ओर से दिनांक 5-8-80 को वक्तव्य होगा।

श्री भगवानदास डोसी : इसके अलावा···

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करता हूं जो इन्होंने

118

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
निर्णय लिया है 5 तारीख का, उसके बारे में ...

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका आदेश मानता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री **खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष-महोदय, सदन की इच्छा है कि आधा घण्टा समय और बढ़ा दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : एक घण्टा।

श्री **अध्यक्ष** : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की बैठक का समय आधा घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय आधा घण्टा और बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री **भगवानदास डोशी** : तीसरा, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो घाटे की अर्थव्यवस्था चल रही है इसको समाप्त किया जाये। हमारे सरकारी विभाग किस तरह से काम करते हैं। बाड़मेर से जब बसें चलती हैं तो दस बीस टिकट काटे जाते हैं बाकी यों ही चलते हैं चोरी होती है। इसके लिए जिला हैडक्वार्टर पर किसी अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाय कि अगर घाटा हुआ तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं तो मुझे यह दिखता है ये बसें सारी योजनाओं को खा जायेगी। सरकार को कितना नुकसान होगा पता नहीं। अब मैं विकास के बारे में निवेदन करूं, प्राथमिक पाठशालाओं के बारे में ठीक है, 600 स्कूलों का इस तरह से वितरण हुआ कि तीन तीन स्कूलें आये हमारे इलाके में मैं चुनाव के समय गया था वास्तव में यह उनकी मांग है। कई लड़के पढ़ते हैं तो वह प्राईवेट पढ़ाते हैं। स्कूलों को हिसाब से रखा जाये और वह हिसाब लगाया जाये कि जिसको पहले ज्यादा मिले हैं, उनको नहीं दें। कम मिले हैं, उनको दें। पानी के बारे में मैं निवेदन करूंगा, हमारे इलाके में पानी की स्कीम बहुत कम बनाई गई है। पहले के एम. एल. ए. बहुत जागरूक नहीं थे। वहां खारा पानी है। पडारिया, बिजराड, सोभाला, नवातला, केलनार, गपनो में ऐसा ही पानी है। टैंकर से अकाल में पानी जाता है। टैंकर से पानी आने जाने में खर्चा होता है। इसलिए पानी में हमको ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। सड़कों के बारे में भी पहले सुन रहा था। 1500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। गंगासरा फागलिया, पनोरिया आते हैं, वहां जाने में बड़ी मुश्किल है। जहां धीरे धीरे ही है। उन गांवों को जोड़ना चाहिए। दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के मकानों की स्कीम बनी थी। हमारे गांव से भी 65 आदमी लिये थे और हमने 6500 रु. भी जमा कराया। न तो वह मकान बने और न रुपया वापस मिला। उनके बारे में कुछ होना चाहिए। काम के बदले अनाज की जो योजना जनता पार्टी ने चलाई उसने हमारे सारे भण्डार खाली कर दिये। सरपंचों को जो अनाज दिया जाता है काम के बदले अनाज योजना में उसमें घोटाले होते हैं। चोरियां चलती हैं। सरपंचों पर भी मुकदमे चलेंगे। चोरियां होती है तो ऊपर के चोरों को पैसे

(श्री भगवान दास डोसी)

दिये जाते हैं। बहुत घपला होता है। अन्त्योदय योजना को माने तो कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हमने तो देखा नहीं है। अन्त्योदय एक निकम्मा प्रोग्राम है। पहले से ही यह घोषित कर दिया जाता है कि यह निकम्मा परिवार है।

बिजली के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में अभी एक भी गांव में बिजली नहीं पहुंचाई गई है। कई जगह खम्भे लगे हुए हैं। तारों को भी खींचा गया है। लेकिन अभी तक बिजली नहीं दी है। शरणार्थियों के बारे में मेरी सहानुभूति है। मैं निवेदन करूंगा कि उनको बसाया जाये। लेकिन हमारे इलाके में झगड़ा नहीं करवाया जाये। उनको बिना झगड़े की जमीन दी जाए या उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाये। झगड़े की जमीन देने पर जो उनको मिलता है वह झगड़े में ही चला जाता है। झगड़े की जमीन देते हैं तो जो मुकदमें चलते हैं, उनमें सब चला जाता है। इतना ही कह कर मैं इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपने मणे बोलन रे वास्ते समय दियो है, वीके लिए मैं आपरो आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश कियो है। ई बजट न देखर म्हाने बड़ो तरस आ रह्यो है। ई में कुण कुण सी चीज रखी है। इता अधिकारियां ने काम खोटी कियो हैं। इसो बजट तो एक बाबू ही बैठ कर बना सके हैं। ई में कांई अक्लमन्दी की है, म्हारी समझ में नहीं आवे है। आपने अर्ज करूं शिक्षा के बारे में, अध्यक्ष महोदय, कांई प्रावधान कियो है। पूरा प्रदेश रे अन्दर मैं अर्ज करनो चाहूं, कह्यो गयो है कि प्राथमिक स्कूल खोलांगा। अपना देश और प्रदेश री उन्नति चावे है। अपना देश री विकास चावे तो बच्चां, टाबरां ने शिक्षा दो। आज चरित्र निर्माण री शिक्षा नहीं दे रह्या हो तो म्हारी समझ में कोई विकास होवेला नहीं। म्हे तो सोच रह्या हां कि ईसूं कांई विकास होवेला। कोई छूट नहीं दे सक्या तो यो सरकार कांई प्रशासन चलायेगी? आज गांवां री यह हालत है कि म्हारा कोलायत क्षेत्र में, मूं पश्चिमी क्षेत्र री बात करूं, गांवां में स्कूलां री कोई व्यवस्था नहीं है। जठे अफसर कोई पहुंच नहीं सके, आपरा कोई अधिकारी पहुंच नहीं सके। वठे वाने शिक्षित करने री व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। हर गांव में स्कूल होना चाहिए। मिडिल स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मूं आप रे द्वारा पूछनो चाहूं, मुख्य मन्त्री जी अठे विराजे नहीं हैं, लोगां ने शिक्षित करनो आपनो एक फर्ज है। कर्तव्य है। म्हारो अर्ज करनो यो है कि आपने शिक्षा की स्कीम बनाई है। म्हे सहयोग दे सकां। आप शिक्षा रे सम्बन्ध में आपना अधिकारियों सू विचार विमर्श करो। अगर चरित्र निर्माण री शिक्षा नहीं देओला तो चरित्र निर्माण कदई नहीं हो वेला। म्हारो सोचनो है क्योंकि सरकार आपरी बनी है आज मूं आपसूं अर्ज करूं के म्हारा जी का क्षेत्र है वठे राजस्थान कैनाल आ रही है वठे एक भूत विभाग है, उपनिवेशन विभाग, जिणसूं सारा का सारा किसान परेशान है, वा की पेढ़ियां चढ़ता-चढ़ता। एक हल्का में चार-चार खेत हैं, खसरा हैं, वठे चकबन्दी होनी हैं, एक खसरो

(श्री देवीसिंह भाटी)

250 बीघा रो है और जमीन है 25 बीघा, बीने कटे फिट करोला। आ एक प्रकार री तानाशाही हो रयी है, मर्जी आवे जठे फिट कर दे, कोई व्यवस्था नहीं है, मौके पर कब्जो मिलणो चाहिजे। घणी पेचीदगियां हो रयी हैं। इ वास्ते आप अधिकारियां सूं विचार-विमर्श कर व्यवस्था कराओ जी सूं किसानां ने परेशानी कोनी होवे। आप कहो हो के किसानां रे हित रे वास्ते सरकार बनी है, किसाना री हित की बात सोचो तो सही।

अध्यक्ष महोदय, गुगल साइड में मुरब्बा अलाट हुआ है, हुआ बताया, तीन जगां पर एक चक में 8 बीघा, एक में 10 बीघा और तीजी जग्यां 2 बीघा अलाट हुया है, ई हिसाब सुं तो काश्त कोनी कर सके। आपने इ हिसाब सूं सोचबो चावे कि कृषि रो उत्पादन नहीं वढ़ेला तो अनाज पैदा नहीं होवेला, और अनाज पैदा नहीं होसी तो खुशहाली कोनी हो सके। तीन-तीन जगह खेती क्यां कर सके। खेती सम्भालवा रे वास्ते मूं अर्ज करूं आप अधिकारियां ने आदेश देवो के जठे-जठे वंट्योड़ा लाता है वे एक जगह फिट करे।

दूजी बात, भूमिहीना ने जमीन अलाट कीनी, उण मांय लोटरी सिस्टम चालू कर दीयो। एक आदमी एक ही जगह लेबो चावे, पण रेवेन्यू कमिश्नर साहब फरमावे के कानून बण्योड़ो है, दस बीघा एक जगह खाली जमीन पड़ी है तो उसको देनी चाहिजे जिणसूं एक जग्यां पर बस सके, लेकिन नहीं, कानून वण्योड़ो है। म्हारी अर्ज है बारानी क्षेत्र में जठे खाली जमीन है और एक दावेदार होवे तो आप उणने दे सको हो। दूजी बात आ है के आज भूमिहीन जमीन तो लेबो चावे पण वो बहुत गरीब है, वाने सोचनो पड़े, वाकी तकलीफ ने देखते हुए आपने कानून बनावणो चावे। मूं कहूं कि आप भूमिहीनां ने जमीन दे रह्या हो और या जरूरी होवे कि पांच रुपयां रा स्टाम्प लगावे, 80 मील दूरी सूं तो वो आवे, 25 रुपया री कमिश्नर साहब ने फीस देवे, फेर भूमिहीन रो कांई होवेला आ म्हारी समझ में कोनी आवे।

अध्यक्ष महोदय, अगर किसाना रे हित री बात सोचेला तो वास्तव में किसाना ने फायदो होवेला वरना तो परेशानियां ही होवेली। कोलायत क्षेत्र में 200 वर्षां सूं 8 गांव अलग है और वठे रा लोग विचारा परेशान है। 1952 री वोटर लिस्ट जब वणी तो भोला आदमियां री कोई पहुंच कोनी, वा ने आ भी मालूम कोनी के चुनाव कांई चीज होवे। वारो नाम दरज नहीं होने से सरकार सबूत मांग रही है कि 52 री वोटर लिस्ट में नाम होवेला तो जमीन देवालां। मूं उपनिवेशन आयुक्त से भी बात करी और वाने जांच करके रिपोर्ट भेजी वठे कम सूं कम 4000 किसान वस्योड़ा है वाकां बारा में अगर आप नहीं सोचोला तो कुण सोचेलो। पीढ़ियां सूं लोग वैठ्या है, जमीन ले कोनी सके तो फेर संविधान में उनरा कांई अधिकार है? तो, अध्यक्ष महोदय, म्हारी अर्ज है सरकार सूं कि इस बारे में सोचो, कम से कम किसानां के बारे में जरूर सोचनो चाहिए।

दूसरी बात मूं अर्ज करनो चाहूं कि वी क्षेत्र में पीढ़ियां सूं अकाल पड़ रह्यो है, वठे खारा पाणी रा कुआं है, वरसात रा पाणी रा कुण्ड भी हैं पण दो चार महीने में खतम हो जावे। मैं अर्ज करूं कि बीस-बीस

(श्री देवीसिंह भाटी)

मील सूं पाणी लावणो पड़े, ऊंटां पर लोग पाणी लावे है। मैं लारली सरकार ने भी दोष दे रयो हूं और आपने भी दे रयो हूं, बीस पच्चीस साल में पाणी की व्यवस्था भी कोनी हो सकी। अध्यक्ष महोदय, मूं आपने अर्ज करूं के 76 में 17 लाख रुपयां री लागत सूं गुड़ा स्कीम में सुरजीत रणजीत सागर पर लगा दिया पण एक बूंद भी पाणी कोनी पहुंच्यो। लोग परेशान है, परेशानी किने जाकर कवे, कोई सुनवाई नहीं, आखिर सरकार पैसा लगावे है, जनता रो पैसा है, वी को उपयोग होनो चाहिए। म्हारी अर्ज है कि इस स्कीम री जांच होनी चाहिये और पानी री व्यवस्था होनी चाहिए।

मूं राजस्थान कैनाल रे बारे में अर्ज करूं कि राजस्थान कैनाल एरिया में नहरें बनवाई, दुनियां री बहुत बड़ी स्कीम है, चार सौ मील लम्बी और करोड़ों रुपया लग रया है, वी की जांच होनी चाहिए, काई ढंग से खर्च किया। क्वालिटी कण्ट्रोल डिपार्टमेंट ने काई एक्शन लियो, कितनां ठेकेदारों रे बिल रोके, कितनां रे खिलाफ जांच हुई? नहरां री मिट्टी रे लिए प्रावधान है दो फीट कैटल प्लोवर चले, फिर मिट्टी रुके, फिर वह जमनी चाहिए, फिर सीमेन्ट होवे। ऐसे हैं जहां अनूपगढ़ पहुंची है। सारा लोग लाखां की तादाद में प्यासा रेवेला क्योंकि लोगां रे पास जो सारा साधन है, कूंडा है वे तो टूट जावेगा। जद नहर रो पानी पहुंच जावेला तो फेर कुण कूंडा राखेला। तो बी बरस ज्यादा पानी आयो और पानी आगे बढ़तो गयो और लारे सूं नहर टूटती गई तो हजारां मीलां के मायने लोग प्यासा मरेगा। पानी की व्यवस्था नहीं होवण सूं लोग मर जावेला। ई वास्ते आपने विशेष तौर से ईके ऊपर हिदायत करणी चाहिजे, समय समय पर जांच कर रिपोर्ट मंगानी चाहिजे। मंथली रिपोर्ट आपरे पास आणी चाहिजे और जन प्रतिनिधियों री भी वी में उपयोग लेणो चाहिजे। वी रे सागे म्हारा क्षेत्र कोलायत है, गजनेर है, नागौर है, चूरू है, वीरे मायने समय-समय पर या सरकार की नीति ही, कांग्रेस सरकार की नीति रही कि वा लिफ्ट मंजूर कर दी। जनता राज आयो तो वो लिफ्ट कैंसिल कर दी। म्हांकी पार्टी ही ठीक है, म्हे पार्टी के सागे हां, पण मूं यह कहणो चाहूं कि सागे चाहे होवां पहले म्हाको हित जरूरी है। किसानां री हित करणो जरूरी है। आज भी वे पीवण रे पाणी की मांग कर रया है लिफ्ट, कैनाल गजनेर, कोलायत, नागौर में आवण री स्कीम मंजूर करा ली तो लाखां की तादाद में किसाना ने पाणी पीवण रे वास्ते मिलेगा। ई वास्ते म्हारो अर्ज करणो है कि ई बात पर आप दुबारा सोचो, विचार करो और दुबारा सोच कर आ स्कीम चालू करो। जहां पर सर्वे तो कम्पलीट हो गया है वहां पर दुबारा डिविजन खोल कर दुबारा चालू करवावा रे वास्ते मूं अर्ज करूं।

अध्यक्ष महोदय, वी क्षेत्र रे मांइने सड़कां री व्यवस्था रे बाबत भी अर्ज करूं। म्हारा और साथी तो सारा राजस्थान री बात करे पण मूं तो पश्चिमी क्षेत्र रे वास्ते विशेष तौर पर कहणा चाहूं। पश्चिमी क्षेत्र रे वास्ते विशेष तौर पर ध्यान दिलाऊं क्योंकि म्हारे जेड़ा अमीन खां जेड़ा और भोला भोला प्रतिनिधि चुन कर आ जावे जो काई जाणे नहीं और ई क्षेत्रां रे वास्ते कोई नया प्रयास नहीं होवे। आज तक भी सागे ऊंट पर

(श्री देवीसिंह भाटी)

चाले। पांच सो साल पहले, हजार साल पहले ऊंट पर चलता आ रया हां, पचासों मील दूरी से आकर बस पकड़नी पड़े। बस आवे नहीं। क्योंकि पश्चिमी ई क्षेत्रां मा कम से कम सड़कां री व्यवस्था होनी चाहिए, आवागमन री व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रां रे वास्ते पढ़ाई री व्यवस्था की जा सके ई की व्यवस्था होणी चाहिए और पश्चिमी क्षेत्र रे वास्ते आज विशेष रूप से ध्यान दो।

मैं, हुकुम अध्यक्ष महोदय, अर्ज करूं कि बस्तरपुर बीकानेर मार्ग पर आज व्यवस्था बस री बहुत खराब है। ट्रांसपोर्ट रे मायने बार बार शिकायत करता रिया पर कांई सुणवाई नहीं होवे। ऊंटा पर 90–90 मील तक जाणो पड़े, आवण जावण रो कोई साधन नहीं है और बरसलपुर सूं आगे म्हाने कठई जाणो होवे तो गोड़वाड़ जाकर बस पकड़नी पड़े। रणजीतपुर आकर बस पकड़नी पड़े। आज कोई बहण बेटी आवे बस में तो ऊ के पास कोई टेलीफोन या वायरलैस तो लग्योडो कोणी के घर पर समाचार करा दे कि म्हाने लेवाने आ जावो बस पर। बहण बेटी आपरे सिर पर वो पेटी, संदूक रख कर बीस मील चल कर घर आवे, आपने रहम नहीं आवे, सरकार ने सोचणो चाहिजे। कम से कम सरकार देखे कि आज रो हालत में दुनियां जी रह्यो है। तीस साल हो गया, 25 साल हो गया आजाद हुयां, कम से कम ज्यादा नहीं तो पांच सात मील रो फासलो ही तय करे, थोड़ी बहुत सड़क मिलनी चाहिए। अब तो व्यवस्था करणी चाहिजे और सड़क रो ध्यान रखणो चाहिजे। और बसां भी जितरी आवे, बसां रे ऊपर आप गांव पर देखो, रोडवेज तो है पण प्राइवेट बसां भी है। पण गांवां में हालत या है कि ऊपर नीचे खचाखच भरी रेवे। आ बुवाई रो समय है, मायें बोरियां भरी रहे। ज्वार की बोरी, बाजरे की बोरी मायें और बी में मायें आदमी भरयोड्या। गर्मी के मायने की तरह्या सूं चाले। आर.टी.ओ. विभाग भी है ट्रांसपोर्ट विभाग भी है पण कोई जांच करबा वाला नहीं। इन्सपेक्टर है वो भी चूंगी रे पास जाकर खड़ा हो जावे। बस ने रोके और आपरो हिस्सा पूंजी ली और रवाना हो गया। फिर ऊं बस रो कोई हिसाब नहीं। म्हारी आपसूं अर्ज करणी है कि वहां पर लोग परमिट लेवा रे वास्ते इच्छुक है। जठे कच्चा रास्ता वहां-वहां पर और परमिट दिया जावे। परमिट लेबा पर कांई पाबन्दी नहीं लगाई जावे। ईसूं सरकार ने टैक्स भी मिलेगा वरना टैक्सी री भी चोरी होवे। तो, अध्यक्ष महोदय, मूं आपरे द्वारा सरकार ने अर्ज करूं कि सरकार आपणा विभागीय अधिकारियों रे साथे बात करे और यह आदेश देणो चाहिजे कि जितना भी कच्चा रूट है वहां पर ज्यादा से ज्यादा इच्छुक हैं परमिट लेवा वाला वाने परमिट देवे ताकि लोगां ने जावण आवण की सुविधा मिल सके।

अब मूं अर्ज करूं हुकुम, आज नहरी क्षेत्र रे मायन गंगानगर जिले में रायसिंह नगर, जैतसर में आज भी लोग आ बात करे, चुनाव रे बाद कि म्हारी सारी कमाई लुट गई.....

श्री अध्यक्ष : कृपया शीघ्र समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह : थी बातां करें कि खाद रा पैसा बढ़ गया, कीटनाशक दवाइयां रा पैसा बढ़ गया पर म्हारी ऊपज रा पैसा

(श्री देवीसिंह भाटी)

नहीं बढ़ाया। आप सरकार सूं कहो। मूं वांने कह्यो कि सरकार ने केणो मारे साल्ह हैं। करणो सरकार के साल्ह है। वीरे वास्ते आप सेंट्रल लीडरां सूं बात करो। केबिनेट मिनिस्टरां सूं बात करो यांकी कीमतां कम करो। खाद और कीटनाशक दवाइयों री खास तौर से कीमत कम करावणरे वास्ते अर्ज करूं। जो पहले कई माननीय सदस्य और हंसराज जी फरमायो कि राजस्थान प्रदेश ज्यादातर पशुपालन पर आधारित है। तो ई पशुपालन रे वास्ते जठे आपरी हजारों री तादाद में भेडां, गायां है, ऊंट है वां के वास्ते जठे जठे नहर आ रही है वठे वठे पर बीघो भी नहीं छुट्यो है। आप या देखो कि गांव के कने भी जठे आज पुराना चरागाह हां, छोटी-छोटी गोचर भूमि ही, पायतान हां, वहां पर अलाट कर दिया है। आखिर पशुधन नहीं रेवेला तो यह भेड़ां रो धन, या गायां रो धन, सांड और ऊंठ सब खत्म हो जावेला। वी रे वास्ते यो रिजर्वेशन होणो चाहिए। या राजस्थान नहर एरिया रे केचमेंट रे मायने या जगह जगह पर पानी जावे वी हिसाब सूं रिजर्वेशन होणो चाहिए और जठे बारानी क्षेत्र है वठे भी रिजर्वेशन होणो चाहिए जिससे पशुधन पनप सके। अगर पशुधन नहीं होगो तो वी क्षेत्र रा लोगबाग बेरोजगार हो जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, वठे ऋण देवण रे वास्ते किसानां ने ऋण देवण रे वास्ते बीज रे वास्ते खाद रे वास्ते तो मैं अर्ज करूं कि सरकार ई दिशा में ऋण वितरण हो रयो है तो मूं बात करी तो यो फरमायो साहब कि मांने तो इत्तो ही मिल्यो इससे ज्यादा मां कोनी दे सकां। एक तरफ तो भरोसा पर रख दियो कि आपने कम व्याज पर रकम मिलेगी आपने पन्द्रह सौ रुपया पर परिवार मिलेगो। वीको बाद कह दियो कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है। इस वास्ते रकम री व्यवस्था करवाई जावे। व्यवस्थापक सोसायटियां पहुंचे नहीं। यां ने जरा आदेश फरमाओ, यां ने हिदायत फरमाओ।

अध्यक्ष महोदय, म्हारे क्षेत्र में गंगाशहर और बीनासर इस्या शहर हैं, वठे हमेशा आज तक बरसां सूं म्यूनिसिपल एरिया रे मायने नालियां, ड्रेनेज रे वास्ते हर साल बजट में प्रावधान होवे। आज इतना वर्ष हो गया, पण वैल प्लाण्ड गंगाशहर और बीनासर शहर है कि देखने लायक कस्बा है। वहां पर नालियां भी हैं परन्तु एक भी पैसा नहीं लाग्यो। वी कस्बां में एक भी नाली कोनी बनी। आज री तारीख में म्युनिसिपैलिटी रे पास जो बजट है वीको तो उपयोग होणो चाहिए। यो बजट पेश कियो तो ई को सही उपयोग तो होणो चाहिजे। ईकी निगरानी करा सको हो। आपरे पास इतना अफसर है इतना कर्मचारी भरया है तो वी के वास्ते जांच कराओ। म्यूनिसिपैलिटी में वहां पर सफाई री व्यवस्था कोनी। गंदो पानी पड्यो रेवे जिणसूं हालत बड़ी खराब है या भी देखणी चाहिजे। आज एक बीमारी लाग गई तो वी रे वास्ते भी कितनों खर्चो करणो पडेगो और वी रो कितनो भार देश पर पडेगो। मूं ई वास्ते अर्ज कर दूं कि जठे आवासीय भूखण्ड रे वास्ते पैसा जमा कराया हां, हजारों आदमी पैसा जमा कराया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : म्हारा क्षेत्र में कच्ची बस्तियां रो आन्दोलन चाल्यो। कच्ची बस्तियां ने आप मान्यता दे दी और हरिजनां रा मोहल्ला में पाणी रे वास्ते स्टेंड खड़ा कर दियो। मैं खुद हरिजनां रा मोहल्ला में गयो तो एक स्टेण्ड बना राख्यो। पूरे दो हजार फैमिलीज रे बीच में और वहां घड़ा की लाइन लागे। टूटी तो लाग्योडी दो और वीं पर पचासों बेचारी औरतां वठे घड़ा लेकर पहुंचे लाइन लगावे और खड़ी रहे इन्तजार में। आप जाणो हो कि भीड़ ज्यादा कठे होवे। चीज थोड़ी होवे और इच्छुक ज्यादा होवे तो लड़ाई होणी ही है। तो वे एक घड़ा पाणी रे लारे सिर फूटे, एफ आई आर दर्ज होवे और कच्ची बस्तियां मायने जगह जगह पर पाणी रा स्टेंड बनाया जावे सड़कां री, बिजली की व्यवस्था की जावे। आखिर वे भी तो आदमी है। वे भी शहर में बसे हैं। वीरे वास्ते अर्ज करूं हो वांरे वास्ते। आप हिदायत दिराओ कि ज्यादा से ज्यादा बिजली पाणी री व्यवस्था करावे।

कच्ची बस्तियां रे वास्ते म्हारो सुझाव है कि नाजायज कब्जा क्यों होवे। यू आई टी. री तरफ से योजना बनाई जावे। एक नई आबादी बनाई जावे तो कोई योजना होवे और जब कोई योजना टाउन प्लानिंग में जावे तो टाउन प्लानिंग में महीनां तक योजना पड़ी रहे। टाउन प्लानिंग में योजना पास नहीं होने से लोग, वाग खाली जगा देख कर, कब्जो करे और बस जावे। ई वास्ते कम से कम हिदायत कराओ टाउन प्लानिंग ने जल्दी से जल्दी प्लान पास करा कर यू आई टी में भेजो ताकि नई कालोनी बसे वा जल्दी से जल्दी बस जावे और वेल प्लाण्ड बसे।

अब मूं आपने अर्ज करूं कि शराबबन्दी आप करी बहुत अच्छी बात है। परन्तु कम से कम आपरे पास स्टाफ भी कोनी, इत्तो बजट में प्रावधान भी कोनी, तो ईरे वास्ते या तो आप पूरी व्यवस्था कराओ कि जठे जठे गांव में, गली-गली में जो भी दारू का ठेका बणाया है वा ने बन्द कराया जावे।

आपरे पास इतनो स्टाफ है, सारी व्यवस्था है या तो पूरो बजट रखो ताकि गली गली और मोहल्ले में नाकेबंदी कर सके और नाजायज शराब न बिके। वीके लिए शराब बंदी को खतम करो। शराबबंदी से राज्य को घाटो देनसूं और जनता को घाटो देन सूं काई फायदो? शराबबंदी खतम करने सूं बजट में एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इसलिए म्हारो निवेदन है कि जनता पार्टी सूं बात करो।

इसके अलावा म्हारो निवेदन है कि आज हर जगह लाइन लगी हुई है। चाहे चीनी हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे गेहूं हो, आज कहीं भी देखो, लोग लाइन लगाकर खड़या है। राशन कार्ड रे लिए भी लाइन लगी हुई है, हर जगह सिफारिश चाले है। लोग भूल गया कि जनता राज में इसो नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार 4 अगस्त, 1980 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.00 बजे सोमवार दिनांक 4 अगस्त, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक स्थगित की गई।)